राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 31–10–2011 के अन्य मद संख्या–16 की विषय सूची।

क्र0सं0	अन्य मद संख्या	विषय
1	1	मोटरकैब एवं टैक्सी कैब परमिटों के मॉडल सीमा पूर्व की भांति 15 वर्ष करने सम्बन्धी अध्यक्ष, गढवाल जीप टैक्सी समिति, कोटद्वार जिला गढवाल के मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य को सम्बोधित प्रत्यावेदन दिनांक 19–09–2011 पर विचार व आदेश।
2	2	समस्त भारतवर्ष के परमिट संख्या–4477/एसटीए/मैक्सी पर संचालित वाहन संख्या–यूए08डी–9974 जिसका रंग लाल है, के अधिकार पत्र नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद नेगी, बी–15, शारदा नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार के प्रत्यावेदन दिनांक 20–10–2011 पर विचार व आदेश।
3	3	श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामशरण, निवासी 528 मोहनपुरा, रूड़की के वाहन संख्या–यूके08टीए–2372 मॉडल 2010 को जारी किये गये समस्त भारतवर्ष का मोटरकैब परमिट संख्या–11285 को निरस्त करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन दिनांक 22–10–2011 पर विचार व आदेश।
4	4	मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट पिटीशन संख्या–1499/2007 (एम/एस), 1547/2007 (एम/एस) एवं 1618/2007 (एम/एस) श्री एस0के0 श्रीवास्तव बनाम् उत्तराखण्ड राज्य तथा अन्य में दिनांक 18–12–2008 को पारित आदेशों का अनुपालन करने विषयक श्री एस0के0 श्रीवास्ताव, 4 बी, राजा रोड़, देहरादून के प्रत्यावेदन दिनांक 25–10–2011 पर विचार व आदेश।
5	5	देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाडी परमिटों के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में श्री अतुल सिंघल, देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मोटर यूनियन, देहरादून के प्रत्यावेदन दिनांक 25–10–2011 पर विचार व आदेश।

6	6	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 की उपधारा (6) में दिये गये प्राविधानानुसार हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य पारस्परिक परिवहन करार को लागू करने हेतु दोनों राज्यों के मध्य दिनांक 17–10–2011 को बनी सहमति के क्रम में शासन द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या–255/ix/2011/526/2003 दिनांक 19–10–2011 का अवलोकन।
7	7	मोटरकैब, मैक्सी कैब परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा 15–11–2002 के मद संख्या–19 के अन्तर्गत मोटरकैब, मैक्सी कैब परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के कार्यालय में उपस्थित होने के स्थान पर वाहन स्वामियों को पंजीकृत प्राधिकारी के सामने उपस्थित होकर प्रमाणित करने की सुविधा प्रदान करने विषयक सचिव, उत्तराखण्ड टैक्सी/बस ऑपरेटर एसोशिएसन, 13 बी, राजपुर रोड़, देहरादून के प्रत्यावेदन दिनांक 25–10–2011 पर विचार व आदेश।

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड़।

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 31–10–2011 की कार्यसूची।

मद संख्या–01

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 30–07–2010 में पारित आदेशों का अनुपालन निम्नवत् किया गयाः–

1– मद संख्या–01 के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 23–10–2009 के मद संख्या–1 से 20 तक सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिनिधायन के अधिकारों के अन्तर्गत पारित आदेश, रामनगर–बद्रीनाथ मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट, समस्त भारतवर्ष एवं उत्तराखण्ड के ठेका गाड़ी परमिट, उत्तराखण्ड परिवहन निगम के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट, मंगलौर–हरिद्वार–लखनौती–बीएचईएल मार्ग, रूड़की– मुजफ्फरनगर वाया भगवानपुर–सहारनपुर–देवबन्द मार्ग, मंगलौर–झबरेड़ा– सहारनपुर मार्ग, देहरादून–विकासनगर– डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग, देहरादून–पौंटा वाया विकासनगर मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी के परमिट, समस्त भारतवर्ष एवं उत्तराखण्ड के स्वीकृत मैक्सी कैब के समय बढ़ाने के प्रार्थना पत्रों के मामले, परमिटों के विरूद्ध धारा–86 की कार्यवाही सम्बन्धी मामले, परमिट प्रतिहस्ताक्षर के मामले एवं मोटर कैब, मैक्सी कैब परमिट हस्तान्तरण के मामले उक्त मदों में सम्मिलित थे।

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 30–07–2010 में संकल्प संख्या–01 के अन्तर्गत पारित आदेशों का अनुमोदन किया गया।

2– मद संख्या–02 के अन्तर्गत मोटरगाड़ी अधिनियम–1988 की धारा–87, 88(8) के अन्तर्गत सवारी गाड़ी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, ठेका बसों के अस्थाई परमिट एवं धारा–88(9) के अन्तर्गत मोटर कैब, मैक्सी कैब, ठेका बसों के स्थायी परमिट, नवीनीकरण के प्रार्थना पत्रों, अर्न्तराज्यीय मार्गों पर राजस्थान, पंजाब (चन्डीगढ़) राज्य के परिवहन निगम की वाहनों के स्थायी

संकल्प संख्या–02 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी नियमावली–1998 के नियम–57 में दिये गये प्राविधानानुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 30–07–2010 की बैठक में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों के

प्रतिहस्ताक्षर परमिट, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों के परिवहन निगमों की वाहनों के अस्थाई प्रतिहस्ताक्षर परमिट एवं उत्तर प्रदेश राज्य के स्थाई जनभार वाहनों के परमिट प्रतिहस्ताक्षर के प्रार्थना पत्रों पर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक 16–02–2009 से 30–09–2009 तक जारी किये गये आदेशों का अनुमोदन किया जाना था।

अन्तर्गत मद संख्या–2 में जारी किये गये सभी प्रकार के परमिटों के आदेशों का अनुमोदन किया गया।

3– मद संख्या–03 के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–82(1) व (2) में दिये गये प्राविधानानुसार समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर कैब एवं मैक्सी कैब परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा जारी किये गये आदेशों का अनुमोदन किया जाना था।

संकल्प संख्या–03 में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मोटरगाड़ी अधिनियम– 1988 की धारा–82(1) व (2) में दिये गये प्राविधानानुसार समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर कैब एवं मैक्सी कैब परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में पारित आदेशों का अनुमोदन किया गया।

4– मद संख्या–04 के अन्तर्गत रामनगर–श्रीबद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–56, 57, 59, 60, 61 एवं 141/60 के नवीनीकरण के मामले में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन किया जाना था।

संकल्प संख्या–04 के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपने सचिव को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत रामनगर–श्रीबद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थाई सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–56, 57, 59, 60, 61 एवं 141/60 के नवीनीकरण के मामले में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन किया गया।

5– मद संख्या–05 के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 23–10–2009 के मद संख्या–15 एवं 16 के अन्तर्गत समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के स्वीकृत

संकल्प संख्या–05 के अन्तर्गत समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के स्वीकृत मोटर कैब, मैक्सी कैब, ठेका बस के समय बढ़ाने के

किये गये मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस परमिटों के प्रार्थना पत्र, जिनकी समय सीमा मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों के हड़ताल की अवधि में समाप्त हो गयी थी, के सम्बन्ध में समस्त भारतवर्ष मैक्सी कैब के 47, ठेका बस के 02 व समस्त उत्तराखण्ड मोटर कैब के 62 एवं ठेका बस के 16 परमिटों के समय बढ़ाने के मामलों में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन किया जाना था।

मामलों में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन किया गया।

6– मद संख्या–06 के अन्तर्गत व्यवसायिक वाहनों में लगे म्यूजिक सिस्टम, वाहन चालक का लाईसेंस 05 वर्ष पुराना होने, चालक कैबिन में पार्टीसन होने एवं लकड़ी के गुटके की अनिवार्यता होने की शर्त हटाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार तायल का पत्र दिनांक 08–07–2010 प्राधिकरण की बैठक में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प संख्या–06 के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा टूरिस्ट बसों में म्यूजिक सिस्टम की व्यवस्था परिचालक के पास होना, 05 वर्ष से अधिक पुराने लाईसेंस धारक ही वाहन का संचालन कर सकता है, की शर्त में संशोधन करते हुए चालक द्वारा राज्य सरकार के चालक प्रशिक्षण संस्थान में 02 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग करने की अनिवार्यता, मोटर कैब, मैक्सी कैब वाहन के अग्रभाग में पार्टीशन रॉड के स्थान पर बकैट सीट की शर्त एवं लकड़ी का गुटका अनिवार्य रूप से रखे जाने की शर्त अधिरोपित की गयी।

7– मद संख्या–07 के अन्तर्गत व्यवसायिक वाहनों के यात्री किराया एवं माल भाड़े की पूर्व निर्धारित दरों में वृद्धि का मामला प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प संख्या–07 के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–67(1) (घ) (1) के अधीन राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत राज्य के व्यवसायिक वाहनों के पूर्व निर्धारित यात्री/माल भाड़े के किराये की दरों में 13 प्रतिशत् की वृद्धि की गयी।

8– मद संख्या–08 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय मार्गों पर संचालित बसों हेतु पूर्व में निर्धारित मापदण्डों में संशोधन करने विषयक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प संख्या–08 के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा देहरादून–मसूरी मार्ग पर संचालित बसों हेतु पूर्व में निर्धारित व्हीलबेस 190 इंच के स्थान पर 195 इंच, राज्य के सभी सम्भागों के पर्वतीय मार्गों पर संचालित बसों की चौड़ाई 234 से0मी0 के स्थान पर 250 से0मी0 एवं ओवरहैंग 50 प्रतिशत् के स्थान पर 60 प्रतिशत किया गया।

9– मद संख्या–09 के अन्तर्गत मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर के टनकपुर–ग्वालियर वाया बरेली–आगरा मार्ग हेतु प्राप्त स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों के प्रार्थना पत्रों को प्राधिकरण की बैठक में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प संख्या–09 के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर को प्रश्नगत मार्ग का एक–एक स्थायी सवारी गाड़ी परमिट 05 वर्ष की अवधि हेतु पूर्व प्रतिबन्धों/सामान्य शर्तों तथा सम्बन्धित राज्य में पड़ने वाले मार्ग भाग के लिए प्रतिस्ताक्षर की शर्त पर स्वीकृत किया गया।

10– मद संख्या–10 के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–70, 71 व 72 के प्राविधानानुसार रामनगर–श्री बद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग पर स्थायी सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्राप्त 16 आवेदन पत्रों को प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प संख्या–10 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–80 (1) में दिये गये प्राविधानानुसार मद में उल्लिखित 16 आवेदकों को सम्बन्धित मार्ग का एक–एक स्थायी सवारी गाड़ी परमिट पूर्व प्रतिबन्धों/सामान्य शर्तों के साथ स्वीकृत किये गये।

11– मद संख्या–11 के अन्तर्गत समस्त भारतवर्ष के स्थायी मोटर कैब परमिट के 130 एवं ठेका बस के 04 प्रार्थना पत्रों को

संकल्प संख्या–11 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब एवं ठेका

विचार व आदेश हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

बस परमिटों हेतु प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों को पूर्व प्रतिबन्धों एवं सामान्य शर्तों के साथ स्वीकृत करते हुये स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु दो माह का समय प्रदान किया गया।

12– मद संख्या–12 के अन्तर्गत समस्त उत्तराखण्ड के स्थायी मोटर कैब परमिट के 62, मैक्सी कैब के 870 एवं ठेका बस के 25 प्रार्थना पत्रों को विचार व आदेश हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प संख्या–12 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस परमिटों हेतु प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों को पूर्व प्रतिबन्धों एवं सामान्य शर्तों के साथ स्वीकृत करते हुये स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु दो माह का समय प्रदान किया गया।

13– मद संख्या–13 के अन्तर्गत देहरादून–विकासनगर तथा सम्बन्धित मार्ग के 11 स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्रों को प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प संख्या–13 के अन्तर्गत स्पेशल अपील संख्या–201/2009 में पारित आदेश दिनांक 26–10–2009 के दृष्टिगत मामले को मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश पारित होने तक स्थगित किया गया।

14– मद संख्या–14 के अन्तर्गत देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–1344 एवं 1487 के नवीनीकृत परमिटों के समय बढ़ाने के प्रार्थना पत्रों को प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प संख्या–14 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा स्पेशल अपील संख्या–201/2009 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2009 के अनुपालन में मामले को स्थगित किया गया।

15– मद संख्या–15 के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 की कार्यवाही हेतु प्राप्त 19 मामलों को प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प संख्या–15 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 की कार्यवाही हेतु प्राप्त 19 मामलों में से 03 परमिट निरस्त किये गये, 02 मामले स्थगित

किये गये तथा शेष 14 मामलों पर परमिट निलम्बन अथवा निलम्बन अवधि का प्रशमन शुल्क निर्धारित किया गया।

16– अन्य मद संख्या–16 के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–75 में दिये गये प्राविधानानुसार मोटर साइकिल किराये पर दिये जाने एवं धारा–86 के मामले को प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

अन्य मद–16 (1) के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा ''मोटर साइकिल किराया योजना, 1997'' उत्तराखण्ड राज्य में लागू करने से पूर्व दिल्ली एवं गोवा राज्यों में प्रचलित उक्त प्रकार की योजना का परीक्षण किये जाने एवं परीक्षणोपरान्त पूर्ण स्थिति से अवगत कराते हुये मामले पर परिचालन अथवा प्राधिकरण की नियमित बैठक में स्वीकृति आदेश प्राप्त करने का निर्णय लिया गया तथा मद संख्या–16(2) में धारा–86 की कार्यवाही करते हुए प्रशमन शुल्क निर्धारित किया गया।

मद संख्या–02

सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तराखण्ड द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (जो वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त है) के नियम–57 में दिये गये प्राविधानानुसार प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये गये निम्नलिखित परमिटों के मामले में पारित आदेशों का अनुमोदनः–

(अ)– सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक **16–07–2010** से **30–09–2011** तक मोटरगाड़ी अधिनियम–1988 की धारा–87, 88(8) एवं 88(9) के अन्तर्गत जारी किये गये अस्थाई परमिटः–

क0सं0	परमिटों का प्रकार	परमिटों की संख्या
1	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–87 के अन्तर्गत जारी किये गये अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट।	**431**

2	अन्तर्राज्यीय मार्गों (राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा, चण्डीगढ़ एवं हिमाचल राज्य परिवहन निगम की बसों) के लिए द्वि–पक्षीय कराधान के अन्तर्गत अधिकतम चार माह की अवधि के लिए जारी किये गये अस्थाई सवारी गाड़ी परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर।	**528**
3	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–74 में दिये गये प्राविधानानुसार धारा–87 के अन्तर्गत जारी किये गये समस्त उत्तराखण्ड के अस्थाई मोटर कैब परमिट।	**13**
4	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–74 में दिये गये प्राविधानानुसार धारा–87 के अन्तर्गत जारी किये गये समस्त उत्तराखण्ड के अस्थाई मैक्सी कैब परमिट।	**236**
5	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–74 में दिये गये प्राविधानानुसार धारा–87 के अन्तर्गत जारी किये गये समस्त उत्तराखण्ड के अस्थाई ठेका बस परमिट।	**17**

(ब)– सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए गये समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब, मैक्सी कैब, ठेका बसों एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर जारी किये गये मंजिली गाड़ियों के स्थायी परमिट एवं नवीनीकृत किये गये स्थाई परमिट :–

क्र0सं0	परमिटों का प्रकार	परमिटों की संख्या
1	समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब, मैक्सी कैब स्थाई परमिट।	**2338**
2	समस्त भारतवर्ष के ठेका बस के स्थाई परमिट।	**77**
3	मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस के समस्त भारतवर्ष के अधिकार पत्रों का नवीनीकरण।	**4852**
4	समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब, मैक्सी कैब परमिटों के नवीनीकरण।	**421**
5	समस्त भारतवर्ष के ठेका बस परमिटों के नवीनीकरण।	**18**
6	समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब परमिटों के नवीनीकरण।	**70**
7	समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब परमिटों के नवीनीकरण।	**432**
8	समस्त उत्तराखण्ड के ठेका बस परमिटों के नवीनीकरण।	**11**
9	प्राईवेट स्टेज कैरिज बस परमिटों के नवीनीकरण।	**01**
10	पंजाब एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य हुये पारस्परिक परिवहन करार के अधीन उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों को पंजाब राज्य के विभिन्न मार्गों पर जारी किये गये स्थायी मंजिली गाड़ी परमिट।	**35**
11	मध्य प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के बीच हुये पारस्परिक परिवहन करार के अधीन	**06**

	उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों को मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न मार्गों पर जारी किये गये स्थायी मंजिली गाड़ी परमिट।	

(स)– मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–88 (6) में दिये गये प्राविधानानुसार राजस्थान/उत्तर प्रदेश राज्य के सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा पारस्परिक परिवहन करार में बनी सहमति के अनुसार जारी किये गये स्थायी मंजिली/जनभार वाहन परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर के संस्तुति पत्रों पर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में संचालन हेतु प्रतिहस्ताक्षर किये गये परमिटों पर पारित आदेशों का अनुमोदन।

(1)	समस्त उत्तर प्रदेश के जनभार वाहनों के स्थाई परमिटों का प्रतिहस्ताक्षर–	क्रमांक 10925 से 13289 तक।
(2)	समस्त उत्तर प्रदेश के मोटरकैब के स्थाई परमिटों का प्रतिहस्ताक्षर–	क्रमांक 47 से 52 तक।
(3)	अन्तर्राज्यीय मार्गों पर पंजाब रोड़वेज एवं पंजाब रोड़ ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन के स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों का प्रतिहस्ताक्षर–	क्रमांक 01 से 16 तक।
(4)	समस्त पंजाब राज्य जनभार वाहनों के स्थाई परमिटों का प्रतिहस्ताक्षर–	क्रमांक 01 से 03 तक।

(द) सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक **16–07–2010 से 30–09–2011** तक की अवधि में विभिन्न प्रकार के परमिटों को निरस्त करने के सम्बन्ध में प्राप्त **1939** एवं प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में प्राप्त **138** प्रार्थना पत्रों में पारित आदेशों का अनुमोदन।

मद संख्या–03

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–87 (4) में दिये गये प्राविधानानुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 15–11–2002 के मद संख्या–19 में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–82 (1) व

(2) में दिये गये प्राविधानानुसार हस्तान्तरण के मामले में मोटरकैब, मैक्सी कैब वाहनों के परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रदत्त किये गये अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक **16–07–2010** से **30–09–2011** तक हस्तान्तरित किये गये उक्त प्रकार के परमिटों में पारित आदेशों का अनुमोदन।

उक्त अवधि में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तराखण्ड ने प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–82 (1) के अन्तर्गत **समस्त भारतवर्ष के स्थाई मोटर कैब परमिट संख्या–**827, 2582, 3497, 3499, 3639, 3675, 3693, 4032, 4130, 4196, 4374, 4446, 4507, 4523, 4580, 4622, 4631, 4642, 4662, 4669, 4676, 4684, 4700, 4706, 4753, 4766, 4784, 4787, 4801, 4821, 4823, 4828, 4877, 4889, 4956, 4968, 5015, 5024, 5052, 5066, 5147, 5155, 5164, 5201, 5216, 5237, 5300, 5310, 5320, 5330, 5365, 5371, 5377, 5411, 5428, 5476, 5600, 5699, 5767, 5823, 5841, 5927, 6019, 6295, 6320, 6356, 6367, 6458, 6461, 6527, 6548, 6587, 6612, 6756, 6804, 6934, 7140, 7157, 7346, 7405, 7500, 7507, 7610, 7828, 7837, 7879, 8043, 8102, 8237, 8423, 8430, 8459, 8476, 8480, 8649, 9312, 9364, 9454, 9504, 9683, 9716, 9908, 9940, 10078, 10083, 10104, 11107, 11508, **मैक्सी कैब परमिट संख्या–**432, 2201, 2860, 2923, 3216, 3397, 3475, 3491, 3637, 3723, 3763, 3765, 3772, 3784, 3858, 3872, 3899, 3946, 3974, 4005, 4073, 4121, 4152, 4161, 4201, 4207, 4257, 4277, 4358, 4409, 4448, 4453, 4484, 4496, 4561, 4567, 4588, 4594, 4597, 4605, 4607, 4852, 4853, 4870, 4881, 4899, 4903, 4942, 4965, 4974, 4986, 5068, 5073, 5100, 5151, 5157, 5175, 5220, 5223, 5289, 5328, 5340, 5444, 5518, 5686, 5711, 5737, 5752, 5992, 6104, 6120, 6217, 6235, 6281, 6282, 6335, 6399, 6477, 6677, 6962, 6996, 7279, 7467, 7663, 8114, 8950, 10641, 10685, **समस्त उत्तराखण्ड के स्थायी मोटर कैब परमिट संख्या–**1088, 1117, 1153, 1159, 1174, 1307, 1471, 1478, **मैक्सी कैब परमिट संख्या–**161, 874, 924, 932, 1083, 1241, 1321, 1353, 1356, 1371, 1373, 1421, 1557, 1601, 1622, 1655, 1711, 1720, 1731, 1739, 1846, 1948, 1999, 2020, 2039, 2047, 2051, 2065, 2074, 2134, 2159, 2227, 2237, 2252, 2284, 2335, 2353, 2370, 2417, 2451, 2460, 2475, 2485, 2552, 2559, 2563, 2567,

2601, 2610, 2644, 2746, 2779, 2924, 2959, 3021, 3038, 3043, 3088, 3196, 3288, 3318, 3336, 3342, 3457, 3484, 3526, 3551, 3577, 3584, 3612, 3616, 3633, 3714, 3773, 3805, 3818, 3845, 3869, 3893, 3905, 3944, 4200, 4240, 4274, 4398, 4533, 4546, 4746, 4795, 4909, 5084, 5110, 5236, 5383, 5611, 6019 एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–82(2) के अन्तर्गत **समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब परमिट संख्या**–6914, 8997, **उत्तराखण्ड मोटर कैब परमिट संख्या**–1359, **उत्तराखण्ड मैक्सी कैब परमिट संख्या**–2673, 4143 परमिटों के हस्तान्तरण के मामलों पर पारित आदेशों का अनुमोदन।

मद संख्या–04

सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत रामनगर–श्री बद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या पीएसटीपी– 02, 07, 62, 64, 65, 66, 67, 68 **एवं** 69 के नवीनीकरण के मामलों में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन।

मद संख्या–05

ट्रैक्टर को कार्मशियल में पंजीकृत करने सम्बन्धी श्री शंकर चन्द रमोला महामंत्री, उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी, देहरादून के शासन को सम्बोधित पत्र दिनांक 03–03–2011 पर विचार व आदेश।

श्री शंकर चन्द रमोला द्वारा प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 03–03–2011 में श्री आर0एन0 शर्मा के ट्रैक्टर को कार्मशियल में पंजीकृत करने हेतु ए0आर0टी0ओ0, ऋषिकेश को निर्देशित करने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–39 में वाहनों के पंजीकरण के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था की गयी है :–

''किसी सार्वजनिक स्थान में अथवा किसी अन्य स्थान में किसी मोटरयान को कोई व्यक्ति तभी चलाएगा और कोई मोटरयान का स्वामी तभी चलवाएगा या चलाने की अनुज्ञा देगा जब वह यान को इस अध्याय के अनुसार रजिस्ट्रीकृत हा तथा यान का रजिस्ट्रीकरण–प्रमाण पत्र निलम्बित या रद्द न किया गया हो और यान पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह विहित रीति से प्रदर्शित हो।''

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–2 (44) में ट्रैक्टर को निम्नवत परिभाषित किया गया है :–

*''**ट्रैक्टर** से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो स्वयं (नोदन के प्रयोजन के लिए काम में आने वाले उपस्कर से भिन्न) कोई भार वहन करने के लिए निर्मित नहीं है, किन्तु इसके अन्तर्गत रोड़–रोलर नहीं है''*

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि केन्द्र सरकार ने मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–41 की उपधारा (4) के अन्तर्गत सरकुलर संख्या–1248(ई) दिनांक 05–11–2004 द्वारा मोटरयानों का वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकृत तालिका के परिवहन यानों के क्रमांक–7 में पावर टीलर और ट्रैक्टर को परिवहन यान की श्रेणी में तथा तालिका के नॉन ट्रान्सपोर्ट यानों के क्रमांक–9 में एग्रीकलचर ट्रैक्टर और पावर टीलर को नॉन ट्रान्सपोर्ट श्रेणी में रखा गया है।

वाहन प्रत्येक मोटरयान को सड़क मार्ग के संचालन के लिए उपयुक्त्ता प्रोटोटाइप प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध मे केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–126 मे निम्न प्राविधान किया गया है :–

''केन्द्रीय मोटरयान (संशोधन) नियम, 1993 के प्रवृत्त होने के दिनांक को या उस दिनांक से, ट्रेलर्स और सेमीट्रेलर्स से भिन्न अन्य मोटर यानों का प्रत्येक निर्माता अपने द्वारा विनिर्मित किये जाने वाले यान का प्रोटोटाइप भा
रक्षा मंत्रालय के यान अनुसंधान और विकास स्थापना आया आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इण्डिया, पूर्ण,
मशीनरी टेस्टिंग एण्ड ट्रैनिंग इंस्टीटयूट बूदनी (म0प्र0) को या ऐसे अन्य अभिकरणों को परीक्षण के लिए भेजेग
अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुपालन के बारे में उस स्थापना द्वारा प्रमाणप
लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जांए।

(परन्तु यह कि–इन नियमों की पालना के लिए मोटरयान के टाइप अप्रूवल और सर्टिफिकेशन के लिए प्रक्रिया समय समय पर यथा–संशोधन AIS : 017-2000 के अनुसार होगी)

*(**126 क** – नियम 126 में बताई गई परीक्षण–ऐजेन्सीज केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपादित (बताए गए) तरीके के अनुसार निर्माता की उत्पादन–पंक्ति से आहरित किए गए यानों का यह सत्यापन करने के लिए भी परीक्षण करेंगी [वे यान (इस अधिनियम की धारा 110 के अधीन बने नियमों) की पालना करते हैं)*

(परन्तु यह कि–किसी दिए गए आधार–मॉडल के लिए और इसके परिवर्तित रूपों में (Variants) (भारत में निर्मित या भारत में आयातित) भारत में बेचे गए यानों की संख्या एक वर्ष में लगातार छः मास की अवधि में 250 स आधार–मॉडल और इसके परिवर्तित रूपों को उपरोक्त परीक्षण (टेस्ट) के अध्यधीन होने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि कम से कम एक मॉडल या उसके परिवर्तित रूप जो निर्माता या आयातकर्ता द्वारा निर्मित या यथास्थिति, आयातित है वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे परीक्षणों के अध्यधीन रहे हैं।

परन्तु आगे यह कि– निर्मित/आयातित अधार मॉडलों और उनके परिवर्तित रूपों की संख्या एक से अधिक है और यदि व्यक्तिगत आधार मॉडल और उसके परिवर्तित रूप की संख्या एक वर्ष में 6 मास की किसी लागातार अवधि में 250 से कम है, तो परीक्षण–ऐजेन्सियों ऐसे मॉडलों और उनके परिवर्तित रूपों में से वर्ष में एक बार ऐसा पर किसी यान को पकड़ सकते हैं।)''

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत् कराना है कि मुख्यालय के प्राविधिक शाखा की आख्यानुसार वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में ट्रैक्टरों को केवल कृषि कार्य हेतु पंजीकृत करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है।

अतः प्राधिकरण मामले पर आदेश पारित करना चाहें।

मद संख्या–06

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 30–07–2010 के मद संख्या–06 के अन्तर्गत व्यवसायिक चालक अनुज्ञप्ति नवीनीकरण कराते समय रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग करने की अनिवार्यता की शर्त में संशोधन करने विषयक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी/अल्मोड़ा के पत्र संख्या–278/सा0–प्र0/दो–2/2010 दिनांक 18–10–2010 पर विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 30–07–2010 के मद संख्या–6 के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–72 की उपधारा–2(xxii), धारा–74 की उपधारा–2(ix), धारा–76 की उपधारा–3(iii) एवं धारा–78 की उपधारा–2(vii) में विहित प्राविधानानुसार व्यवसायिक वाहनों में ***''पांच वर्ष से अधिक पुराने लाईसेंस धारक ही वाहन का संचालन कर सकता है, सम्बन्धित शर्त को हटाया जाता है, परन्तु यात्री वाहनों का संचालन करने वाले चालकों के चालक लाईसेंसों का नवीनीकरण के समय सम्बन्धित चालक द्वारा राज्य सरकार के चालक प्रशिक्षण संस्थान में दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा, की शर्त अधिरोपित की गयी थी।***

उक्त सम्बन्ध में सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी/अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्र दिनांक 18–10–2010 में उल्लेख किया गया है कि प्राधिकरण के उक्त आदेशों के अनुरूप कुमांऊ सम्भाग के समस्त कार्यालयों को अन्य शर्तों के अतिरिक्त उपरोक्त शर्त का भी कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त शर्त के सम्बन्ध में कई परिवहन यान के लाईसेन्स धारकों ने प्रत्येक बार रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग करने हेतु देहरादून स्थित प्रशिक्षण स्कूल की बाध्यता से आने वाली कठिनाइयों के दृष्टिगत कुमांऊ के चालकों को उक्त शर्त से छूट देने की मांग की है। इसके अतिरिक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई राजकीय वाहन चालकों द्वारा भी देहरादून जाकर रिफ्रेशर कोर्स करने सम्बन्धी इस शर्त से कठिनाई होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। अतः उनके द्वारा कुमांऊ मण्डल के चालकों को उक्त शर्त से छूट प्रदान करने अथवा शर्त में संशोधन करते हुए कुमांऊ क्षेत्र में स्थित ऐसे निजी चालक

प्रशिक्षण स्कूलों को रिफ्रेशर कोर्स चलाने के लिए अधिकृत करने का सुझाव दिया गया है, जिनके पास हल्की एवं भारी वाहनों हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी/अल्मोड़ा द्वारा उल्लिखित उक्त मामले से सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सहायक परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ने दिनांक 18–10–2010 को अध्यक्ष/आयुक्त, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को अवगत कराया गया, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्बन्धित शर्त के अनुपालन में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत मामले को पुनः राज्य परिवहन प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–07

मैसर्स स्नो लैपर्ड एडवेन्चर प्रा0 लि0 के प्रत्यावेदन दिनांक 13–07–2011 के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–383/नि0स0–प्रमुख सचिव/2011 दिनांक 21–09–2011 पर विचार व आदेश।

इण्डियन टूरिस्ट ट्रान्सपोटर्स एसोसिएशन के मा0 मुख्यमंत्री को सम्बोधित एवं परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड को पृष्ठांकित पत्र दिनांक 07–12–2010 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें आयुक्त महोदय द्वारा तत्काल आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। इण्डियन टूरिस्ट ट्रान्सपोटर्स एसोसिएशन ने अपने उक्त पत्र में यह उल्लेख किया है कि उनकी संस्था टूरिस्ट ट्रान्सपोर्ट्स आपरेटर के नाम से पंजीकृत है एवं पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि M/s Snow Leopard Adventures Pvt. Ltd. के शिवपुरी, ऋषिकेश में पर्यटक आवास हैं एवं इनके द्वारा एक स्वराज माजदा, ए0सी0 बस, जिसका व्हीलबेस 4760 एम0एम0 है, को ऋषिकेश से शिवपुरी पर्यटक आवास तक एवं ऋषिकेश से श्रीनगर तक संचालित किया जाना है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड राज्य

के पर्वतीय मार्गों पर 166 इन्च व्हीलबेस की यात्री वाहनों को संचालन की अनुमति है। जिस कारण वे अपनी उक्त वाहन का संचालन प्रश्नगत मार्ग पर नहीं कर पा रहे हैं। उनके द्वारा विशेष परिस्थितियों में 4760 एम0एम0 व्हीलबेस की प्रश्नगत वाहन को संचालित करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य गठन के पश्चात् राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पर्वतीय मार्गों पर संचालित वाहनों के लिए अपनी बैठक दिनांक 03–03–2001 के मद संख्या–20 के अन्तर्गत निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये थे :–

मद	पौडी सम्भाग	देहरादून सम्भाग	कुमांऊ सम्भाग
व्हीलबेस	166 इन्च	देहरादून–मसूरी मार्ग पर 190 इन्च अन्य पर्वतीय मार्गों पर–171 इन्च	टनकपुर–पिथौरागढ–धारचुला मार्ग पर– 195 इन्च भवाली–खैरना–क्वारस–अल्मोड़ा मार्ग पर– 205 इन्च हल्द्वानी–नैनीताल वाया बल्दियाखान मार्ग पर–218 इन्च शेष पर्वतीय मार्गों पर–166 इन्च
समग्र चौड़ाई	234 से0मी0	234 से0मी0	234 से0मी0
ओवरहैंग	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत

राज्य गठन के पश्चात् राज्य के पर्वतीय मार्गों की दशा एवं चौड़ाई में अपेक्षाकृत सुधार होने के कारण राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03–03–2001 के मद संख्या–20 में निर्धारित माप दण्डो में संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30–07–2010 के मद संख्या–8 के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–72 की उपधारा– 2(xxii), धारा–74 की उपधारा–2(ix) एवं धारा–76 की उपधारा–3 (iii) में दी गयी व्यवस्थानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुये पर्वतीय मार्गों पर संचालित बसों के मापदण्डों में संशोधन करते हुये निम्न मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :–

मद	पौडी सम्भाग	देहरादून सम्भाग	कुमांऊ सम्भाग
व्हीलबेस	166 इन्च	देहरादून–मसूरी मार्ग पर 195 इन्च अन्य पर्वतीय मार्गों पर–171 इन्च	टनकपुर–पिथौरागढ–धारचुला मार्ग पर– 195 इन्च भवाली–खैरना–क्वारस–अल्मोड़ा मार्ग पर– 205 इन्च हल्द्वानी–नैनीताल वाया बल्दियाखान मार्ग पर–218 इन्च शेष पर्वतीय मार्गों पर–166 इन्च

समग्र चौड़ाई	250 से0मी0	250 से0मी0	250 से0मी0
ओवरहैंग	60 प्रतिशत	60 प्रतिशत	60 प्रतिशत

देहरादून–मसूरी मार्ग को छोड़कर शेष पौड़ी सम्भाग, देहरादून सम्भाग एवं कुमांऊ मण्डल के पर्वतीय मार्गों पर संचालित बसों के व्हीलबेस के मापदण्ड पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के समय से लागू होने के कारण राज्य गठन के पश्चात् राज्य के पर्वतीय मार्गों पर अपेक्षाकृत सुधार के कारण पत्र संख्या–3767/एसटीए/दस–5/2010 दिनांक 25–11–2010 द्वारा मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड से राज्य के पर्वतीय जनपदों में निर्मित ऐसे मार्ग जिन पर 166 व्हीलबेस से अधिक व्हीलबेस की बसें संचालित की जा सकती हैं, के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था, जिसका उत्तर अपेक्षित है।

प्रश्नगत् वाहन लगभग 187 इन्च व्हीलबेस की होने के कारण पत्र संख्या–62/एसटीए/दस–5/ 2010 दिनांक 07–01–11 के द्वारा श्री सुधाकर चन्दोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश से M/s Snow Leopard Adventures Pvt. Ltd. की 4760 एम0एम0 व्हीलबेस की प्रश्नगत वाहन संख्या–यूके07पीसी–0215 से स्वयं ऋषिकेश–शिवपुरी–श्रीनगर मार्ग का सर्वेक्षण करते हुये उक्त प्रश्नगत् मार्ग पर कितनी व्हीलबेस की वाहन संचालित की जा सकती है, के सम्बन्ध में अपनी आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश ने अपने पत्र संख्या–128/ स0प0प्र0/10 दिनांक 27–01–2011 द्वारा निम्न आख्या प्रेषित की है :–

''उक्त वाहन का संचालन करने हेतु M/s Snow Leopard Adventures Pvt. Ltd. की वाहन संख्या–यूके07पीसी–215 को कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऋषिकेश में चालक श्री नाराय भंडारी, परिचालक श्री राम सिंह एवं प्रशासकीय प्रबन्धक श्री एस0पी0 राणा द्वारा प्रस्तुत की गयी। श्री कुलवन्त सिं सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) ऋषिकेश के साथ उक्त वाहन को लेकर ऋषिकेश से प्रस्थान करते हुए

शिवपुरी–देवप्रयाग–श्रीनगर एवं रूद्रप्रयाग तक ले जाया गया तथा अगले दिन उक्त वाहन को ऋषिकेश–नरेन्द्रनगर–चंबा–धनोल्टी–मसूरी–देहरादून मार्ग पर ले जाया गया वाहन का संचालन दोनों मार्गों पर अन्य वाहनों की तरह ही सुगमता से सम्पन्न हुआ, कहीं भी मार्ग पर वाहन के व्हील बेस के बड़े होने के कारण कोई असुविधा उत्पन्न नहीं हुई। इनके द्वारा विशेष परिस्थितियों में वाहन संख्या–यूके07पीसी–0215, जिसका व्हीलबेस 4760 एम0एम0 है। उक्त मार्ग पर संचालन की संस्तुति की जाती है।''

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा केवल आवेदक की वाहन को विशेष परिस्थितियों में प्रश्नगत मार्ग पर संचालन की संस्तुति करने पर पुनः पत्र दिनांक 24–8–2011 द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर ऋषिकेश–शिवपुरी–देवप्रयाग–श्रीनगर तथा ऋषिकेश–नरेन्द्रनगर–चम्बा–धनौल्टी–मसूरी–देहरादून मार्ग का सर्वेक्षण कर उक्त मार्ग पर लगभग 187 इन्च व्हीलबेस की 50 प्रतिशत अथवा 60 प्रतिशत ओवरहैंग की सभी वाहनों को संचालन की अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में आख्या भेजने के निर्देश दिए गये थे, जिसका उत्तर अपेक्षित है।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा भी अपने पत्र दिनांक 21–09–2011 में यह उल्लेख किया गया है कि *''मेरे विचार से ऋषिकेश से शिवपुरी तक का मार्ग बड़ी वाहनों के लिए उपयुक्त हो सकता है, अतः कृपया श्री बजाज को शिवपुरी तक वाहन संचालन की अनुमति प्रदान करने पर विचार कर लें। भविष्य में उनके द्वारा निवेदित मार्ग के सम्बन्ध में स्थिति ज्ञात होने पर अग्रिम कार्यवाही कर ली जाए।*

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करना चाहें।

मद संख्या–08

श्रीमती चम्पा वैला पत्नी श्री जगदीश चन्द्र, रानीखेत रोड़, रामनगर के रामनगर–श्री बद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–33/एसटीए/यूए/एससी/2003 पर ऊंचे मॉडल की वाहन संख्या–यूपी16एटी–1697, मॉडल 1998 प्रतिस्थापित करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन दिनांक 24–05–2011 पर विचार व आदेश।

श्रीमती चम्पा वैला पत्नी श्री जगदीश चन्द्र, निवासी पलगांव, अल्मोड़ा के नाम रामनगर–श्रीबद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग का स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–33 है, जो दिनांक 07–01–2013 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या यूए04–1497, मॉडल 1997 चल रही थी। प्रार्थिनी ने दिनांक 22–02–2010 को उक्त परमिट पर ऊंचे माडल की वाहन लगाने के लिए दो माह के समय की प्रार्थना की थी। परमिट धारक की प्रार्थना पर उन्हें ऊंचे मॉडल की वाहन लगाने के लिए दिनांक 22–02–2010 को दो माह का समय प्रदान किया गया था, जो दिनांक 21–04–2010 को समाप्त हो गया है। परमिट धारक द्वारा दी गयी समयावधि की समाप्ति के पश्चात् 458 दिन विलम्ब से उक्त परमिट पर ऊंचे मॉडल की वाहन संख्या यूपी16एटी–1697, मॉडल 1998 प्रतिस्थापन करने की प्रार्थना की थी। विलम्ब से वाहन लगाने के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड में कोई नीति निर्धारित न होने के कारण सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन), द्वारा विलम्ब से प्राप्त प्रतिस्थापन के आवेदन पत्रों के मामलों पर नीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में मामले को राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की आगामी बैठक में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी है।

परमिट पर वाहन प्रतिस्थापित करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–83 में निम्न प्राविधान किया गया है:–

"The holder of a permit may, with the permission of the authority by which the permit was granted, replace any vehicle covered by the permit by any other vehicle of the same nature".

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर नीति निर्धारण करने के सम्बन्ध में आदेश पारित करना चाहें।

मद संख्या–09

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–83 में दिये गये प्राविधानानुसार परमिटों पर वाहन प्रतिस्थापित करने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने पर विचार व आदेश।

सभी प्रकार के परमिटों पर यानों को बदलने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–83 में निम्न प्राविधान है :–

"Replacement of vehicles.-*The holder of permit may, with the permission of the authority by which the permit was granted, replace any vehicle covered by the permit by any other vehicle of the same nature."*

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (जो वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त है) के नियम–84 (1) में परमिटों द्वारा प्राधिकृत यान का प्रतिस्थापित करने के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी गयी है :–

*"**(1)** If the holder of a permit desire at any time to replace any vehicle covered by the permit with another, he shall apply in Form SR-32 along with the fee as specified under Rule 125 to the Transport Authority by which the permit was issued stating the reasons why the replacement is desired and shall-*

(i) if the new vehicle is in his possession, forward the certificate of registration therof; or

(ii) if the new vehicle is not in his possession, state any material particular in respect of which the new vehicle will differ from the old."

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–83 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (जो वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त है) के नियम–84 (1) में दी गयी व्यवस्थानुसार परमिट पर पूर्व से संचालित वाहन मॉडल सीमा में आने, तकनीकी खराबी आने तथा किसी कारणवश वाहन बेच देने पर परमिट धारकों द्वारा प्रश्नगत परमिट पर ऊंचे मॉडल की वाहन लगाने के लिए समय की प्रार्थना की जाती है। सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत परमिट धारक को ऊंचे माडल की वाहन लगाने हेतु दो माह का समय प्रदान किया जाता है। परमिट धारक द्वारा परमिट पर ऊंचे माडल की वाहन लगाने के लिए समय प्राप्त करने के पश्चात् कतिपय परमिट धारकों द्वारा परमिट पर अपनी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण नीचा मॉडल

(Lower Model) की वाहन लगाने की प्रार्थना की जाती है। जबकि अधिनियम में **''परमिट के अन्तर्गत किसी यान को उसी किस्म के किसी अन्य यान से बदल सकेगा की व्यवस्था की गयी है''।**

अतः प्राधिकरण मामले पर नीति निर्धारण के सम्बन्ध में विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–10

मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून के देहरादून–ऋषिकेश से ग्वालियर मार्ग हेतु प्राप्त स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों के आवेदन पत्रों पर विचार व आदेश।

मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून द्वारा मसूरी, ऋषिकेश से ग्वालियर के लिए स्थायी सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत करने हेतु परमिटों के 04 आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परमिट स्वीकृत/जारी करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88(1), (5) एवं (6) में निम्न प्रावधान किया गया है:–

"Section 88- Validation of permits for use outside region in which granted- (1) Except as may be otherwise prescribed, a permit granted by the Regional Transport Authority of any one region shall be valid in any other region, unless the permit has been countersigned by the Regional Transport Authority of that other region, and a permit granted in any one State shall not be valid in any other State unless countersigned by the State Transport Authority of that other State or by the Regional Transport Authority concerned;

Provided that a goods carriage permit, granted by the Regional Transport Authority of any one region, for any area in any other region or regions within the same State shall be valid in that area without the countersignature of the Regional Transport Authority of the other region or of each of the other regions concerned;

Provided further that where both the starting point and the terminal point of a route are situate within the same State, but part of such route lies in any other State and the length of such part does not exceed sixteen kilometres, the permit shall be valid in the other State in respect of that part of the route which is in

that other State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State;

Provided also that-

(a) where a motor vehicle covered by a permit granted in one State is to be used for the purposes of defence in any other State, such vehicle shall display a certificate, in such form, and issued by such Authority, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, to the effect that the vehicle shall be used for the period specified therein exclusively for the purposes of defence; and

(b) any such permit shall be valid in that other State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State."

(5) Every proposal to enter into an agreement between the States to fix the number of permits which is proposed to be granted or countersigned in respect of each route or area; shall be published by each of the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in regional language circulating in the area or route proposed to be covered by the agreement together with a notice of the date before which representations in connection therewith may be submitted, and the date not being less than thirty days from the date of publication in the Official Gazette, on which, and the authority by which, and the time and place at which, the proposal and any representation received in connection therewith will be considered.

(6) Every agreement arrived at between the States shall, in so far as it relates to the grant of countersignature of permits, be published by each of the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in the regional language circulating in the area or route covered by the agreement and the State Transport Authority of the State and the Regional Transport Authority concerned shall give effect to it."

उक्त प्राविधानों को दृष्टिगत् रखते हुये उत्तराखण्ड एवं मध्य प्रदेश राज्य के बीच दिनांक 26–02–2009 को मोटरयान अधिनियम, 1988 की उपधारा (5) में दी गयी व्यवस्थानुसार पारस्परिक परिवहन करार पर सहमति बनने के उपरान्त शासन द्वारा आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु अधिसूचना संख्या–232/ix/2009/06/2008 दिनांक 30–07–2009 प्रकाशित की गयी थी। तद्पोरान्त आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 की उपधारा (6) में दिये गये प्राविधानानुसार दिनांक 25–11–2009 को बनी अन्तिम सहमति दिनांक 01–03–2010 से लागू करने हेतु

सरकारी गजट एवं समाचार पत्रों में अधिसूचना संख्या–86/ix/2010/06/2008 दिनांक 30–04–2010 प्रकाशित की गयी है, जिसमें उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में तथा मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों अथवा मध्य प्रदेश निगम की समाप्ति के पश्चात् निगम उपक्रम के स्थान पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा नामित निर्दिष्ट संचालक के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में निगम की वाहनों के संचालन पर निम्नवत् सहमति बनी है:–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	दूरी कि0मी0 में		अन्य राज्य	मार्ग की कुल दूरी	करार पाये गये सिंगल फेरों की संख्या		अनुज्ञा पत्रों की निर्धारित संख्या		कुल संचालित कि0मी0	
		मध्य प्रदेश द्वारा उत्तरा0	उत्तरा0 द्वारा मध्य प्रदेश			मध्य प्रदेश द्वारा उत्तरा0	उत्तरा0 द्वारा मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	उत्तरा0	मध्य प्रदेश द्वारा उत्तरा0	उत्तरा0 द्वारा मध्य प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	देहरादून–ग्वालियर वाया आगरा, दिल्ली, गाजियाबाद	51	66	383	500	–	02	–	02	–	132
2	हरिद्वार–ग्वालियर वाया मेरठ आगरा	51	66	290	407	04	02	04	02	204	132
3	ऋषिकेश–ग्वालियर वाया मेरठ आगरा	82	66	290	438	–	02	–	02	–	132
4	नैनीताल–ग्वालियर वाया आगरा, अतरौली, मुरादाबाद	80	66	290	436	02	02	02	02	160	132
5	टनकपुर–ग्वालियर वाया आगरा, बरेली, पीलीभीत	37	66	471	574	–	02	–	02	–	132
6	मसूरी–ग्वालियर वाया दिल्ली	95	66	383	544	02	02	02	02	190	132
7	देहरादून–ग्वालियर वाया आगरा, मेरठ	51	66	290	407	02	–	02	–	102	–
8	हरिद्वार–ग्वालियर वाया आगरा, दिल्ली	51	66	348	465	02	–	02	–	102	–
9	ग्वालियर–उधमसिंहनगर वाया आगरा, दिल्ली	04	66	383	453	02	–	02	–	08	–
	योग					**14**	**12**	**14**	**12**	**766**	**792**

उक्त सहमति के परिप्रेक्ष्य में मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून द्वारा उक्त करार के क्रमांक–3 व 6 पर उल्लिखित मार्ग क्रमशः ऋषिकेश–ग्वालियर वाया मेरठ आगरा एवं मसूरी–ग्वालियर वाया दिल्ली अन्तर्राज्यीय मार्गों हेतु 02–02 सिंगल फेरों के स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों के आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत है :–

क्रं0सं0	प्रार्थना पत्र प्राप्ति की तिथि	परमिट धारक का नाम व पता	मार्ग का नाम
1	13–12–2010	मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।	ऋषिकेश–ग्वालियर वाया हरिद्वार–आगरा
2	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
3	20–01–2011	–तदैव–	मसूरी–दिल्ली–ग्वालियर
4	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–

अतः प्राधिकरण उत्तराखण्ड एवं मध्य प्रदेश राज्य के मध्य शासन स्तर पर दिनांक 25–11–2009 को पारस्परिक परिवहन करार के सम्बन्ध में बनी सहमति को दिनांक 01–03–2010 से क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में पारित आदेशों का अनुमोदन करते हुये मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून को उक्त अन्तर्राज्यीय मार्गों के निवेदित स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों को स्वीकृत/जारी करने के मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–11

मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–70, 71 व 72 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत रामनगर–श्रीबद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के लिए प्राप्त स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों के 22 प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश।

उल्लेखनीय है कि सवारी गाड़ी/ठेका गाड़ी परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–80 की उपधारा–2 में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

''प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा–66 की उपधारा (1) में विहित अन्य प्राधिकारी) साधारणतः इस अधिनियम के अधीन किसी भी समय किसी भी प्रकार के परमिट के लिए किए गए आवेदन को मंजूर से इन्कार नहीं करेगाः

परन्तु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कोई आवेदन संक्षिप्ततः नामंजूर कर सकेगा यदि आवेदन के अनुसार किसी परमिट के देने से यह प्रभाव पड़ेगा कि धारा–71 की उपधारा–3 के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट मंजिली गाड़ियों की संख्या में या धारा–74 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट ठेका–गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होगीः

परन्तु यह और कि जहां प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा 66 की उपधारा (1) विहित अन्य प्राधिकारी) इस अधिनियम के अधीन किसी भी प्रकार के परमिट देने सम्बन्धी आवेदन को नामंजूर क वहां वह आवेदक को उसके नामंजूर किए जाने के अपने कारण लिखित रूप में देगा और इस विषय में उसे सुनवाई का अवसर देगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–71 की उपधारा–3 (क) में पॉच लाख से अन्यून जनसंख्या वाले शहरों के लिए निम्न प्राविधान किया गया हैः–

''राज्य सरकार, यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा यानों की संख्या, सड़कों की दशा और अन्य सुसंगत बातों का ध्यान रखते हुए, इस प्रकार निर्दिष्ट किया जाए तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रादेशिक प्राधिकरण को यह निर्देश देगी कि वह पांच लाख से अन्यून जनसंख्या वाले शहरों में नगर मार्गों पर प्रचालित होने वाली साधारण मंजिली–यान या किसी विनिर्दिष्ट किस्म की मंजिली–गाड़ी की संख्या को, जो अधिसूचना में नियत और की जाए, सीमित करे।''

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मार्ग अर्न्तसम्भागीय मार्ग है। इस मार्ग की शाखा मार्गों को सम्मिलित करते हुए मार्ग की कुल लम्बाई 514 कि0मी0 है। इस मार्ग का 196 कि0मी0 पौड़ी सम्भाग में तथा 318 कि0मी0 कुमाऊॅ

सम्भाग में पड़ता है। मार्ग पर वर्तमान में कुल 70 स्थायी सवारी गाड़ी परमिट वैध हैं। रामनगर–श्रीबद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग पर स्थायी सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत करने हेतु निम्नलिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	प्रार्थना पत्र प्राप्ति की तिथि	प्रार्थी का नाम व पता	वाहन संख्या	अन्य विवरण
1	06–10–2010	श्री सुधान सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह, निवासी–भरतपुरी, लखनपुर, रामनगर।	–	समय सारणी संलग्न नहीं है।
2	27–11–2010	श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री धन सिंह, निवासी–ग्राम सिमार, पो0–मासी, अल्मोड़ा।	यूए12–9437	प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
3	26–04–2011	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह, निवासी–महरा गांव, भवाली।	यूके04पीए–0180	प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
4	28–04–2011	श्रीमती जानकी पत्नी श्री सुधान सिंह, निवासी–भरतपुर, लखनपुर, रामनगर, नैनीताल।	यूए04पीए–0321	समय सारणी व शपथ पत्र संलग्न नहीं है। आवेदन पत्र अपूर्ण है।
5	20–07–2011	श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी–खताड़ी, रामनगर, नैनीताल।	–	समय सारणी संलग्न नहीं है।
6	28–07–2011	श्री संजीव कुमार पुत्र श्री दीनानाथ, निवासी– कैनाल क्वार्टर, हनुमानगढ़ी, रामनगर।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
7	–तदैव–	श्री हरीश चन्द्र पुत्र श्री दयाकिशन, निवासी खताड़ी, रामनगर, नैनीताल।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
8	–तदैव–	श्रीमती सरस्वती पत्नी श्री रमेश चन्द्र, निवासी–चिल्किया, रामनगर, नैनीताल।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
9	18–10–2011	श्री देवेन्द्र शर्मा पुत्र स्व0 श्री	–	समय सारणी संलग्न नहीं है।

		दामोदर शर्मा, निवासी हिम्मतपुर तल्ला, पो0 हरीपुर नायक, हल्द्वानी, नैनीताल।		
10	20–10–2011	श्री मोहन सिंह रावत पुत्र श्री बटन सिंह रावत निवासी मोहान वाया रामनगर, नैनीताल।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
11	21–10–2011	श्री हफीजुर रहमान पुत्र श्री मौ0 उसमान निवासी दुर्गा मिल–खत्याड़ी, रामनगर, नैनीताल।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
12	–तदैव–	श्री दीप चन्द्र पाण्डे पुत्र श्री अम्बादत्त पाण्डे निवासी भरतपुरी, रामनगर, नैनीताल।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
13	–तदैव–	श्री नीरज कुमार पुत्र श्री रामकुमार निवासी मोती महल, कोसी रोड़, रामनगर, नैनीताल।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
14	–तदैव–	श्री हवीकुर्र रहमान पुत्र श्री उसमान निवासी दुर्गा मिल खताडी, रामनगर, नैनीताल।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
15	–तदैव–	श्री मौ0 साजिद पुत्र श्री अब्दुल वाहिद निवासी दुर्गा मिल खत्याड़ी, रामनगर, नैनीताल।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
16	–तदैव–	श्री रिजवान पुत्र श्री अब्दुल रहमान निवासी दुर्गा मिल, खत्याड़ी, रामनगर, नैनीताल।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
17	–तदैव–	श्री दिनेश चन्द्र छिमवाल पुत्र श्री महेश चन्द्र निवासी विपिन विहार कोटद्वार रोड़, लखनपुर, रामनगर, नैनीताल।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
18	–तदैव–	श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री गुरूदेव	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा

		सिंह निवासी मोती महल, रामनगर, नैनीताल।		समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
19	–तदैव–	श्री अतीकुर रहमान पुत्र श्री मौ0 उसमान निवासी दुर्गा मिल, खत्याड़ी, रामनगर, नैनीताल।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
20	–तदैव–	श्री रणजीत सिंह कडाकोटी पुत्र श्री डी0एस0 कडाकोटी निवासी खत्याड़ी रोड़, रामनगर, नैनीताल।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
21	–तदैव–	श्री इरशाद अली पुत्र श्री अशरफ अली निवासी सिविल, हाथी खाना रोड़, खताडी, रामनगर, नैनीताल।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।
22	–तदैव–	श्री देवेन्द्र सिंह निवासी जयपाल सिंह निवासी भरतपुरी, रामनगर, नैनीताल।	–	नयी वाहन क्रय करेंगें। प्रार्थी द्वारा समय–सारिणी व शपथ पत्र संलग्न किया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत् कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 15–11–2007 के संकल्प संख्या–12 के अन्तर्गत उक्त मार्ग पर मार्ग की दशा, प्रदूषण एवं जनसुरक्षा की दृष्टि से स्वीकृत परमिट 05 वर्ष से कम पुरानी वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी करने की शर्त अधिरोपित की गई है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–12

मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–88 (9) के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली–1989 के नियम–82 में दिये गये प्राविधानानुसार समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब एवं ठेका बसों के परमिटों के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश।

1– मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–2 की उपधारा–(7) में ठेका गाड़ी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:–

''ठेका गाड़ी'' (कान्ट्रेक्ट कैरिज) से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्री या यात्रियों का वहन करता है और जो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे यान के सम्बन्ध में किसी प्रकार के धारक या इस निमित्त उसके द्वारा प
किसी व्यक्ति के साथ ऐसे सम्पूर्ण यान के उपयोग के लिये की गयी किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के अधीन, उसमें वर्णित यात्रियों के किसी नियत या तय हुई दर या धनराशि पर–

(क) समय के आधार पर, चाहे वह किसी मार्ग या दूरी के प्रति निर्देश से है अथवा नहीं, या

(ख) एक स्थान से अन्य स्थान तक,

वाहन में लगा है, और इन दोनों में से किसी भी दशा में, यात्रा के दौरान ऐसे यात्रियों को, जो सं
चढ़ाने या उतारने के लिये कहीं भी रूकता नहीं है, और इसके अन्तर्गत–

(i) *बड़ी टैक्सी (मैक्सी कैब) और*

(ii) *मोटर टैक्सी (कैब), इस बात के होते हुये भी है कि इसके यात्रियों से अलग–अलग किराए प्रभारित किए जाते हैं।''*

2– उपरोक्त के अतिरिक्त परमिटों हेतु आवेदन करने तथा परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–80 की उपधारा–2 में निम्न प्राविधान किया गया है:–

''प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा–66 की उपधारा (1) में विहित अन्य प्राधिकारी) साधारणतः इस अधिनियम के अधीन किसी भी समय किसी भी प्रकार के परमिट के लिए किए गए आवेदन को मंजूर
से इन्कार नहीं करेगाः

परन्तु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कोई आवेदन संक्षिप्ततः नामंजूर कर सकेगा यदि आवेदन के अनुसार किसी परमिट के देने से यह प्रभाव पड़ेगा कि धारा–71 की उपधारा– 3 के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना
और विनिर्दिष्ट मंजिली गाड़ियों की संख्या में या धारा–74 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना में

नियत और विनिर्दिष्ट ठेका–गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होगी, परन्तु यह और कि जहां प्रादेशिक परिवहन प
परिवहन प्राधिकरण या धारा–66 की उपधारा (1) में विहित अन्य प्राधिकारी) इस अधिनियम के अधीन किसी भी प्रकार के परमिट देने सम्बन्धी आवेदन को नामंजूर कर देता है, वहां वह आवेदक को उसके नामंजूर किए जाने के अपने लिखित रूप में देगा और इस विषय में उसे सुनवाई का अवसर देगा।

3– मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–74 की उपधारा–3 (क) में पॉच लाख से अन्यून जनसंख्या वाले शहरों के लिए निम्न प्राविधान किया गया हैः–

''राज्य सरकार, यदि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा यानों की संख्या, सड़क की दशा और अन्य सुसंगत विषयों को में रखते हुये, इस प्रकार र्निदिष्ट किया जाये तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को यह निर्देश देगी कि वह 5 लाख से अन्यून जनसंख्या वाले शहरों में नगर मार्ग पर प्रच वाली साधारणतया ठेका गाड़ी या किसी विर्निदिष्ट किस्म की ठेका गाड़ी की संख्या को, जो अधिसूचना में निय विनिर्दिष्ट की जाये, सीमित करे।''

4– इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 03–03–2001 की बैठक में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस प्रकार की वाहनों को समस्त भारतवर्ष एवं समस्त उत्तराखण्ड के परमिट उदार नीति से जारी किये जा रहे थे, परन्तु अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 08–08–2002 को उक्त प्रकार की वाहनों को परमिट जारी करने के प्रदत्त अधिकारों को प्रतिनिधानित न करने एवं सम्भाग में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा प्रदेश में राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में ही ऐसे परमिटों को जारी करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों के पश्चात् केवल **बीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार, बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड एवं सरकार द्वारा चलायी जा रही अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभार्थियों** को रोजगार सृजन के उद्देश्य से राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा

अपनी बैठक दिनांक 20–6–2006 में अपने सचिव को लाभार्थियों द्वारा निवेदित परमिट प्राधिकरण से अनुमोदन की शर्त पर स्वीकृत/जारी करने के अधिकार प्रदत्त किए गये थे।

उपरोक्त आदेशों के पश्चात् चारधाम यात्रा में यात्रियों को सुगम, सस्ती एवं आरामदेह यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 30–04–2007 के अन्तर्गत अपने सचिव को प्राधिकरण की अनुमोदन की शर्त पर केवल समस्त भारतवर्ष के **मोटर कैब एवं मैक्सी कैब में यथा–इनोवा, टवेरा, स्कार्पियो एवं क्वॉलिस आदि सदृश्य** प्रकार की लग्जरी वाहनों को स्थाई परमिट एवं शेष प्रकार की हार्ड टॉप वाहनों को समस्त उत्तराखण्ड के अस्थाई परमिट स्वीकृत/जारी करने के अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। उक्त प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा तद्नुसार स्थाई एवं अस्थाई परमिट स्वीकृत/जारी किये जा रहे हैं।

प्राधिकरण को यह भी अवगत कराना है कि केन्द्रीय मोटरयान नियमावली–1989 के नियम–82 उप नियम–2(क) में पर्यटक परमिट से आच्छादित वाहनों की मॉडल सीमा के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

''एक पर्यटक परमिट उस दिनांक से अवैध समझा जावेगा, जिस दिनांक को उस परमिट से आवृत्त मोटर यान मोटर कैब होने की दशा में 9 वर्ष तथा जहॉ मोटर कैब के अलावा अन्य मोटर यान है, तो 08 वर्ष पूरे कर लेता है, जब तक कि मोटर यान को बदला (Replaced) नहीं गया हो ।''

उपरोक्त के अतिरिक्त नियम–85 में निर्धारित पर्यटन परमिट की शर्तों के साथ जारी किए जाते हैं तथा मोटर कैब को छोड़कर मैक्सी कैब व बड़ी ठेका बसों में पर्यटकों के नाम, पते एवं आयु तथा यात्रा प्रारम्भ एवं गन्तव्य स्थान की सूची तीन प्रतियों में रखने का प्रतिबन्ध भी लगाया जाता है, परन्तु टूरिस्ट बसों (पर्यटन यान) के लिए वाहन की आयु सीमा 08 वर्ष निर्धारित है। पर्यटन यान के रूप में संचालन के लिए बसों के स्वरूप का प्राविधान केन्द्रीय मोटरयान नियमावली–1989 के नियम–128 में किया गया है।

वर्तमान में समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब एवं ठेका बसों के निम्न आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैंः–

(1)–समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैबः–

समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब परमिटों हेतु (यथा टाटा सूमो, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा मैक्स, बुलेरो आदि सदृश्य प्रकार की वाहनों) प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–88 (9) के अन्तर्गत विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत् कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब यथा–इनोवा, टवेरा, स्कार्पियो एवं क्वॉलिस आदि सदृश्य प्रकार की लग्जरी वाहनों को उदार नीति से शेष अन्य प्रकार की हार्ड टॉप वाहनों को प्राधिकरण की बैठक से परमिट स्वीकृत/जारी किये जा रहे हैं। वर्तमान में समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब के 2394 परमिट वैध हैं तथा दिनांक 21–10–2011 तक टाटा सूमो, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा मैक्स, बुलेरो आदि प्रकार की वाहनों के स्थाई परमिट के **263** प्रार्थना पत्र लम्बित हैं, जिनका विवरण **परिशिष्ट–'क'** में वर्णित है।

(2)–समस्त भारतवर्ष के ठेका बसः–

समस्त भारतवर्ष के ठेका बस परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–88 (9) के अन्तर्गत विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत् कराना है कि वर्तमान में समस्त भारतवर्ष के ठेका बस के 325 परमिट वैध हैं तथा दिनांक **21–10–2011** तक समस्त भारतवर्ष के स्थाई ठेका बस परमिटों हेतु **06** प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण **परिशिष्ट 'ख'** में वर्णित है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–13

समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस परमिटों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार व आदेश।

1– मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–2 की उपधारा–(7) में ठेका यान को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया हैः–

'' ठेका गाड़ी'' (कान्ट्रेक्ट कैरिज) से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्री या यात्रियों का वहन करता है और जो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे यान के सम्बन्ध में किसी प्रकार के धारक या इस निमित्त उसके द्वा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के साथ ऐसे सम्पूर्ण यान के उपयोग के लिये की गयी किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संवि अधीन, उसमें वर्णित यात्रियों के किसी नियत या तय हुई दर या धनराशि पर–

(क) समय के आधार पर, चाहे वह किसी मार्ग या दूरी के प्रति निर्देश से है अथवा नहीं, या

(ख) एक स्थान से अन्य स्थान तक, और इन दोनों में से किसी भी दशा में, यात्रा के दौरान ऐसे यात्रियों को, जो संविदा में सम्मिलित नहीं हैं, चढ़ाने या उतारने के लिये कहीं भी रूकता नहीं है, और इसके अन्तर्गत–

(i) बड़ी टैक्सी (मैक्सी कैब) और

(ii) मोटर टैक्सी (कैब), इस बात के होते हुये भी है कि इसके यात्रियों से अलग–अलग किराए प्रभारित किए जाते हैं।''

2– उपरोक्त के अतिरिक्त परमिटों हेतु आवेदन करने तथा परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–80 की उपधारा–2 में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

''प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा–66 की उपधारा (1) में विहित अन्य प्राधिकारी) साधारणतः इस अधिनियम के अधीन किसी भी समय किसी भी प्रकार के परमिट के लिए किए गए आवेदन को मंजूर से इन्कार नहीं करेगाः

परन्तु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कोई आवेदन संक्षिप्ततः नामंजूर कर सकेगा यदि आवेदन के अनुसार किसी परमिट के देने से यह प्रभाव पड़ेगा कि धारा–71 की उपधारा–3 के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट मंजिली गाड़ियों की संख्या में या धारा–74 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट ठेका–गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होगीः

परन्तु यह और कि जहां प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा–66 की उपधारा (1) में विहित अन्य प्राधिकारी) इस अधिनियम के अधीन किसी भी प्रकार के परमिट देने सम्बन्धी आवेदन को नामंजूर क

वहां वह आवेदक को उसके नामंजूर किए जाने के अपने कारण लिखित रूप में देगा और इस विषय में उसे सुनवाई का अवसर देगा।

3– मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–74 की उपधारा–3 (क) में पॉच लाख से अन्यून जनसंख्या वाले शहरों के लिए निम्न प्राविधान किया गया हैः–

''राज्य सरकार, यदि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा यानों की संख्या, सड़क की दशा और अन्य सुसंगत विषयों को ध्यान में रखते हुये, इस प्रकार निर्दिष्ट किया जाये तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकरण अ

परिवहन प्राधिकरण को यह निर्देश देगी कि वह 5 लाख से अन्यून जनसंख्या वाले शहरों में नगर मार्ग पर प्रचालित होने वाली साधारणतया ठेका गाड़ी या किसी विर्निदिष्ट किस्म की ठेका गाड़ी की संख्या को, जो अधिसूचना में निय

विनिर्दिष्ट की जाये, सीमित करे।''

4– इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 03–03–2001 की बैठक में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस प्रकार की वाहनों को समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के परमिट उदार नीति से जारी किये जा रहे थे, परन्तु अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 08–08–2002 को उक्त प्रकार की वाहनों को परमिट जारी करने के प्रदत्त अधिकारों को प्रतिनिधानित न करने एवं सम्भाग में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा प्रदेश में राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में ही ऐसे परमिटों को जारी करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये थे तथा दिनांक 15–06–2005 की बैठक में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण को केवल समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब वाहन परमिट स्वीकृत करने के अधिकार प्रदत्त किये गये।

उपरोक्त आदेशों के पश्चात् चारधाम यात्रा में यात्रियों को सुगम, सस्ती एवं आरामदेह यातायात सुविधा उपलब्ध प्रदान कराने के उद्देश्य से राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 30–04–2007 के अन्तर्गत अपने

सचिव को प्राधिकरण की अनुमोदन की शर्त पर नियमित बैठक होने तक हार्ड टॉप वाहनों को समस्त उत्तराखण्ड के अस्थाई परमिट स्वीकृत/जारी करने के अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। उक्त प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा तद्नुसार स्थाई एवं अस्थाई परमिट स्वीकृत/जारी किये जा रहे हैं।

5— उपरोक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण को यह भी अवगत् कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड ने अपनी बैठक दिनांक 15—04—2004 में समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस परमिट स्वीकृत करने विषयक नीति निर्धारित की थी कि **प्राधिकरण द्वारा परमिट स्वीकृत करने के उपरान्त ही आवेदक वाहन क्रय करेंगे तथा वित्त पोषक (फाईनेन्सर) बिना परमिट स्वीकृति के वाहन वित्त पोषित नहीं करेगा। परमिट स्वीकृत न होने की दशा में ऐसे वाहनों के अनधिकृत संचालन तथा फाईनेन्सर की देय किश्तों का भुगतान न करने की दशा में वाहन स्वामी के साथ—साथ वित्त पोषक भी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा विक्रेता (डीलर) द्वारा वाहन तभी विक्रय की जाय जब तक प्रार्थी परमिट स्वीकृत होने का प्रमाण प्रस्तुत न करे। यदि प्राधिकरण की उक्त नीति के विरूद्ध आवेदक स्वेच्छा से वाहन क्रय करते हैं, वित्त पोषक बिना परमिट स्वीकृति के वाहन वित्त पोषित करता है एवं डीलर वाहन विक्रय करता है तो प्राधिकरण ऐसे प्रार्थियों को परमिट स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं होगा।** प्राधिकरण की उक्त नीति से सर्वसम्बन्धित के सूचनार्थ दिनांक 15—04—2004 को विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया, जो दिनांक 16—04—2004 के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी।

वर्तमान में समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस परमिटों के निम्न आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैंः—

(1)—<u>समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैबः—</u>

समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर मोटरयान अधिनियम—1988 की धारा—74 के अन्तर्गत विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत् कराना है कि वर्तमान में समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब/जीप टैक्सी के **569** परमिट वैध हैं तथा दिनांक **21—10—2011** तक समस्त उत्तराखण्ड के स्थायी मोटर कैब परमिटों हेतु **138** प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण **<u>परिशिष्ट—'ग'</u>** में वर्णित है।

(2)–समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैबः–

समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–74 के अन्तर्गत विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत् कराना है कि वर्तमान में समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब के **4601** परमिट वैध हैं तथा दिनांक **21–10–2011** तक समस्त उत्तराखण्ड के स्थायी मैक्सी कैब परमिटों हेतु **1205** प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण **परिशिष्ट–'घ'** में वर्णित है।

(3)–समस्त उत्तराखण्ड के ठेका बसः–

समस्त उत्तराखण्ड के ठेका बस परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–74 के अन्तर्गत विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत् कराना है कि वर्तमान में समस्त उत्तराखण्ड के ठेका बस के **167** परमिट वैध हैं तथा दिनांक **21–10–2011** तक समस्त उत्तराखण्ड के स्थायी ठेका बस परमिटों हेतु **21** प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण **परिशिष्ट–'च'** में वर्णित है।

मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–74 में दिये गये प्राविधानानुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बसों को 09 वर्ष की मॉडल सीमा के प्रतिबन्ध के साथ एवं मैक्सी कैब/ठेका बसों के परमिटों पर ठेका गाड़ी के लिए अधिसूचित मार्गों को छोड़कर की शर्त एवं अन्य शर्तों के साथ–साथ उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम–70 में दी गई शर्तें अधिरोपित की जाती हैं।

मद संख्या–14

पंतजलि योगपीठ, महर्षि दयानन्द, हरिद्वार की वाहन संख्या–यूके08पीए–1001 को समस्त भारतवर्ष का ठेका बस परमिट जारी करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन दिनांक 30–05–2011 पर विचार व आदेश।

पंतजलि योगपीठ के नाम बस संख्या–यूके08पीए–1001 है। जो दिनांक 23–05–2011 को हरिद्वार कार्यालय में पंजीकृत है। उक्त वाहन में 30 सीट बैठने की तथा 15 स्लीपर हैं। केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–128 में समस्त भारतवर्ष से आच्छादित बसों के सीट और सीटों के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी गयी हैः–

(ii) Seating layout shall be 5[two and two or one and two or one and one] on either side, all seats facing forward, with a clear gangway of at least 355 millimetres width at the centre. Each passenger seat shall have a minimum area of 447 millimetres × 457 millimetres and an arm rest on both sides and seat back of full height.

(iii) The seat frames shall be sturdy, properly finished and so mounted as to transfer the weight directly to the structural members of framework. The seats shall be of reclining type and adjustable.

(iv) The seats shall be so mounted as to provide at least 280 millimetres leg room from the front of the rear seat to the back of the front seat. A foot rest at suitable location and height shall be provided for every passenger.

वाहन में 30 सीटों के अतिरिक्त 15 स्लीपर लगे होने के कारण सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार से वाहन की सीटों की लम्बाई, चौड़ाई, गैंग स्पैस, गैंगवे आदि ए0आई0टी0पी0 के मानकों के अनुरूप है अथवा नहीं के सम्बन्ध में पत्र संख्या–2065/एसटीए/2011–12 दिनांक 23–06–2011 द्वारा अपनी सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के अनुपालन में परिवहन अधिकारी, हरिद्वार ने अपने पत्र संख्या–120/टी0आर0/यूके08पीए–1001/11 दिनांक 04–07–2011 द्वारा निम्न आख्या प्रेषित की हैः–

''1– वाहन संख्या–यूके08पीए–1001 जो पतांजलि योगपीठ ट्रस्ट, महर्षि दयानन्द ग्राम, दिल्ली–हरिद्वार हाईवे, हरिद्वार के नाम से दिनांक 23–05–2011 को किया गया है, जिसके अनुसार निम्न प्रकार है :–

(1) ड्राईवर साईड के पीछे 2 x 2 की सीटें लगी हैं, और ड्राईवर के लैफ्ट साईड की ओर 1 x 1 की सीटें लगी हैं जिसकी 01 सीट की लम्बाई 1 फीट 8 इंच व चौड़ाई 1 फीट 10 इंच है। वाहन में कुल दायी साईड की ओर 8 x 2=16

एवं बायीं ओर 8 x 1=8 एवं बैक साईड में 04 सीटें लगी है। इस प्रकार 28 सीटें + 1 ड्राईवर सीट + 1 कन्डक्टर सीट कुल 30 सीट लगी है।

(2) वाहन में ड्राईवर साईड की पीछे की तरफ 5 स्लीपर दो व्यक्तियों के सोने के लिये एवं बायी तरफ 05 स्लीपर 1 व्यक्ति के सोने के लिये बनायें गये हैं, इस प्रकार दायी ओर 5 x 2=10 व्यक्ति एवं बायी ओर 5 x 1=5 कुल 15 व्यक्तियों के सोने की व्यवस्था है। स्लीपर वाहन के फ्लौर से 4 फीट 7 इंच पर बनाये गये, फ्लौर से ऊपर तक की छत की ऊंचाई 8 फीट 1 इंच है। दायी साईड के स्लीपर की लम्बाई 6 फीट व चौड़ाई 4 फीट है। बायी साईड के स्लीपर की लम्बाई 6 फीट व चौड़ाई 2 फीट 2 इंच है।

(3) लेग स्पेस 1 फीट 8 इंच।

(4) वाहन में गेंगवे 2 फीट 2 इंच है।

(5) ड्राईवर सीट के पास कन्डक्टर सीट लगी है।

(6) वाहन में 28 व्यक्तियों के बैठने की सीटें तथा 1 कन्डक्टर व 1 ड्राईवर की सीट है। इस प्रकार बैठने की 28+2 सीटें एवं 10+5 व्यक्तियों के सोने की व्यवस्था है।

(7) वाहन का व्हीलबेस 20 फीट 4 इंच है।

(8) वाहन का ओवर हैंग 10 फीट 11 इंच है।

(9) वाहन की चौड़ाई अन्दर से 8 फीट 1 इंच है।

इस प्रकार की वाहन पहली बार हरिद्वार कार्यालय में पंजीकृत हुई। भविष्य के लिये उत्तराखण्ड के सभी परिवहन कार्यालयों में उक्त प्रकार के वाहनों के पंजीकरण मे एकरूपता बनाए जाने के लिये सड़क सुरक्षा की दृष्टि से की गणना एवं स्लीपर के दृष्टिकोण से वाहनों के पंजीयन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये जाने की कृपा करना चाहेंगे।''

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–128 में प्राविधानित सभी विशिष्टियों की पूर्ति हो रही है। स्लीपर की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है जो नियम–128 में वर्णित नहीं है। स्लीपर सीट पर टैक्स की व्यवस्था उत्तरांचल कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की प्रथम अनुसूची के स्पष्टीकरण (दो) में निम्नवत की गयी है :–

"Where a motor vihicle is equipped with sleeping berths, each sleeping berth shall, for the purposes of Article I and II this part be regarded as the equivalent of two passenger seats."

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–15

राज्य परिवहन प्राधिकरण के परमिटों से आच्छादित व्यवसायिक वाहनों के ओवरलोडिंग/ओवरस्पीडिंग में दो या दो से अधिक बार प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किये गये चालान, जो वर्तमान में अनिस्तारित हैं, के परमिटों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही करने पर विचार व आदेश पारित करना।

इस सम्बन्ध में अवगत् कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 15–07–2003 के संकल्प संख्या–15 में आदेश पारित किए गये थे कि **''ओवरलोडिंग के प्रथम अपराध को प्रशमित किया जाय तथा द्वितीय एवं तृतीय अपराध में क्रमशः परमिट एवं लाईसेन्स के निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाय।''** प्राधिकरण के उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा दो या दो से अधिक बार ओवरलोडिंग के अभियोगों में किये गये चालान, परमिटों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 की कार्यवाही हेतु सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रेषित् किये गये हैं।

मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 में परमिटों के विरूद्ध धारा–86 की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किया गया है:–

(1) जिस परिवहन प्राधिकरण ने परमिट दिया है वह निम्नलिखित दशाओं में परमिट रद्द कर सकेगा या इतनी अवधि के लिए निलम्बित कर सकेगा, जितना वह ठीक समझे।

(ख) यदि परमिट का धारक किसी यान का उपयोग किसी ऐसी रीति से करता है या कराता है या करने देता है, जो परमिट द्वारा प्राधिकृत नहीं है।

x x x

परन्तु कोई भी परमिट तब तक निलम्बित या रद्द नहीं किया जायेगा जब तक परमिट के धारक को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर न दे दिया गया हो।

(3) जहॉ परिवहन प्राधिकरण किसी परमिट को रद्द या निलम्बित करता है वहां वह की गई कार्यवाही के बारे में अपने कारण उसके धारक को लिखित रूप से देगा।

(5) जहां कोई परमिट उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ङ) के अधीन रद्द या निलम्बित किए जाने योग्य है और परिवहन प्राधिकरण की यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परमिट को इस प्रकार रद्द या निलम्बित करना उस दशा में आवश्यक या समीचीन न होगा जब परमिट का धारक एक निश्चित धनराशि देने के लिए सहमत हो जाता है वहां उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी परिवहन प्राधिकरण, यथास्थिति, परमिट को रद्द या निलम्बित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है।

मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 में दिए गये प्राविधानानुसार प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों, जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग से परमिट के विरूद्ध धारा–86 की कार्यवाही की संस्तुति के आधार पर 16 मामले प्राप्त हुये हैं, जिनका विवरण **परिशिष्ट–'छ'** में वर्णित है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–16

अन्य मद अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण की आज्ञा से।

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 31–10–2011 के अन्य मद

अन्य मद 16 (1)

मोटरकैब एवं टैक्सी कैब परमिटों के मॉडल सीमा पूर्व की भांति 15 वर्ष करने सम्बन्धी अध्यक्ष, गढवाल जीप टैक्सी समिति, कोटद्वार जिला गढवाल के मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य को सम्बोधित प्रत्यावेदन दिनांक 19–09–2011 पर विचार व आदेश।

अध्यक्ष, गढवाल जीप टैक्सी समिति, कोटद्वार के अन्य के साथ मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार को सम्बोधित तथा परिवहन आयुक्त कार्यालय को पृष्ठांकित पत्र दिनांक 19–09–2011 प्राप्त हुआ है। जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि परिवहन प्राधिकरण की बैठक में दिनांक 20–06–2006 के संकल्प संख्या–07 में यह निर्णय लिया गया था कि जीप टैक्सी/मैक्सी कैब वाहनों की आयु सीमा 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष किया गया है व 10 वर्ष खत्म हो जाने के बाद 2 वर्ष तथा 6 माह के अन्तराल में भौतिक निरीक्षण करने के बाद ही स्वास्थता प्रमाणपत्र जारी किया जाए। इसी बैठक में यह निर्णय भी लिया गया था कि 20–06–2006 से पहले जिन वाहनों को 15 वर्ष की आयु सीमा की अवधि के लिए जारी किये गये परमिटों से आच्छादित वाहनों की माडल सीमा 15 वर्ष ही रहेगी। 15 वर्ष पूर्ण होने पर ऐसे परमिटों पर ऊंचे माडल की वाहन प्रतिस्थापित करते समय 12 वर्ष की माडल सीमा की शर्त अधिरोपित की जाए।

परिवहन अधिकारी, पौड़ी द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। जिन वाहनों की आयु सीमा पूर्व में 15 वर्ष निर्धारित की गई थी उनको अगर वह वाहन स्वामी बेचता है व दूसरा वाहन स्वामी वाहन को अपने नाम परमिट ट्रान्सफर करता है तो उसकी आयु सीमा 12 वर्ष कर दी जाती है। जो कि परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20–06–2006 के संकल्प संख्या–7 के अनुरूप नहीं है। क्योंकि वाहन का रजिस्ट्रेशन व नम्बर व माडल वही है सिर्फ मालिक ही बदली

हुआ है। इस स्थिति में वाहन की आयु सीमा घटाना सरासर गलत है। इससे गाडी मालिकों को आर्थिक क्षति होगी। उनके द्वारा जिन वाहनों की परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20–06–2006 से पूर्व में 15 वर्ष की आयु सीमा के परमिट जारी किये गये हैं, इनका ट्रान्सफर करते समय उन वाहनों की आयु सीमा 15 वर्ष पूर्व की भांति यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी किये जा रहे मोटरकैब, मैक्सी कैब परमिटों की मॉडल सीमा में एकरूपता न होने के कारण, एकरूपता लाने के उद्देश्य से मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68 की उपधारा (4) में दिये गये प्राविधानानुसार प्रदेश के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी किये जा रहे मोटरकैब, मैक्सी कैब परमिटों के मॉडल सीमा के सम्बन्ध में अपनी बैठक दिनांक 20–06–2006 के संकल्प संख्या–7 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किये गये हैं :–

''मद संख्या–07 के अन्तर्गत पर्वतीय मार्गों पर संचालित मोटर कैब एवं मैक्सी कैब वाहनों की आयु सीमा कुमाऊॅ सम्भाग में 10 वर्ष तथा पौड़ी व देहरादून सम्भाग में 15 वर्ष होने के कारण गढ़वाल एवं कुमाऊॅ मण्डल क परिस्थितियॉ एक समान होने के फलस्वरूप राज्य के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा पर्वतीय मार्गों पर संचा मोटर कैब/मैक्सी कैब वाहनों की मॉडल सीमा में एकरूपता न होने के कारण पर्वतीय मार्गों पर संचालित उपरा प्रकार की वाहनों की मॉडल सीमा में एकरूपता लाने के लिए नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों तथा समय–समय पर वाहन स्वामियों द्वारा प्राप्त सुझावों पर मामले को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत था। प्राधिकरण द्वारा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून, पौड़ी एवं हल्द्वानी द्वारा पर्वतीय मार्गों पर संचालित उपरोक्त प्रकार की वाहनों के परमिटों पर अधिरोपित की जा रही मॉडल सीमा के सम्बन्ध में गम्भीरता से वि गया तथा विचार विमर्श के दौरान अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी द्वारा यह भी मन्तव्य व्यक्त किया गया कि पर्वतीय मार्गों पर संचालित मोटर कैब, मैक्सी कैब वाहनों की मॉडल सीमा 08 वर्ष रखी जा सकती है, परन्तु सर्वसम्मति से विचार किया गया तथा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि गढ़वाल एवं कुमाऊॅ मण्डल के पर्वतीय मार्गों की भौगोलिक परिस्थिति एक समान होने तथा प्राधिकरणों द्वारा उक्त प्रकार के परमिटों पर लगाई जा रही शर्तों में एकरूपता न होने के कारण मोटरगाड़ी अधिनियम–1988 की धारा–68 की उपधारा (3) व (4) में दिये गये प्राविधानानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए पर्वतीय मार्गों पर बढ़ती हुई दुर्घटनाओं एवं जान–माल की हा रखते हुए दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं जनता को सुरक्षित तथा सुविधाजनक यातायात उपलब्ध कराने के उद्देश्य

से प्रदेश के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा पर्वतीय मार्गों पर जारी किए जा रहे मोटर कैब एवं मैक्स से आच्छादित वाहनों की मॉडल सीमा 12 वर्ष निर्धारित की जाती है। 10 वर्ष की आयु हो जाने के पश्चात् वाहन की फिटनैस एक समिति के द्वारा की जाय। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

1– सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (जहॉ सम्भागीय परिवहन अधिकारी न हों।)

2– सम्भागीय/सहा0 सम्भागीय निरीक्षक।

समिति द्वारा परमिट पर आच्छादित वाहन की आयु 10 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात् प्रत्येक 6–6 माह के अन्तराल में 02 वर्ष तक वाहन का भौतिक निरीक्षण करते हुए वाहन उपयुक्त पाये जाने पर स्वस्थता प्रमाण पत्र ज किया जाय। पूर्व में 15 वर्ष की आयु सीमा की अवधि के लिए जारी किए गये परमिटों पर आच्छादित वाहनों की मॉडल सीमा 15 वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् ऐसे परमिटों पर ऊॅचे मॉडल की वाहन प्रतिस्थापित करते समय 12 वर्ष मॉडल सीमा की शर्त अधिरोपित की जाय। साथ ही उक्त गठित समिति द्वारा पूर्व में जारी परमिटों पर संचालित मोटर कैब एवं मैक्सी कैब वाहनों द्वारा 10 वर्ष आयु सीमा पूर्ण करने के पश्चात् 6–6 माह का स्वस्थता प्रमाण पत्र जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि जीप प्रकार की मोटर कैब, मैक्सी कैब वाहनों में (ओवरलोडिंग को देखते हुए) चालक केबिन में पार्टीशन होने पर ही स्वस्थता प्रमाण जारी किया जाय। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन करने हेतु प्रदेश के सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाय।''

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

<u>अन्य मद 16 (2)</u>

समस्त भारतवर्ष के परमिट संख्या–4477/एसटीए/मैक्सी पर संचालित वाहन संख्या–यूए08डी–9974 जिसका रंग लाल है, के अधिकार पत्र नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद नेगी, बी–15, शारदा नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार के प्रत्यावेदन दिनांक 20–10–2011 पर विचार व आदेश।

श्री प्रमोद नेगी, बी–15, शारदा नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार के नाम मैक्सी कैब परमिट संख्या–4477 है, जो दिनांक 11–07–2015 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूए08डी–9974 मॉडल 2005 संचालित है। जिसका रंग लाल है। समस्त भारतवर्ष के मोटरकैब, मैक्सी कैब, ठेका बस के परमिटों पर संचालित वाहनों के सम्बन्ध में केन्द्रीय मोटरयान

नियमावली, 1989 के नियम–85 में धारा–88 की उपधारा (9) के अधीन मोटरकैब से भिन्न किसी पर्यटन यान को दिये गये प्रत्येक पर्यटक परमिट की अतिरिक्त शर्तें निर्धारित की गयी है। उक्त नियम के उपनियम (7) में मोटरकैब से भिन्न पर्यटन यान के रंग के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी गयी है :–

"The tourist vehicle shall be painted in white colour with blue ribbon of five centimetres width at the centre of the exterior of the body and the word "Tourist" shall be inserted on two sides of the vichile within a circle of sixty centimetres diameter."

प्रार्थी की वाहन मोटरयान अधिनियम, 1989 के नियम–85 (7) के अनुरूप न होकर लाल रंग की है। जो उक्त नियम के विरूद्ध है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

<u>अन्य मद 16 (3)</u>

श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामशरण, निवासी 528 मोहनपुरा, रूड़की के वाहन संख्या–यूके08टीए–2372 मॉडल 2010 को जारी किये गये समस्त भारतवर्ष का मोटरकैब परमिट संख्या–11285 को निरस्त करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन दिनांक 22–10–2011 पर विचार व आदेश।

श्री धर्मेन्द्र सिंह ने 22–10–2011 को एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया है कि *''उक्त परमिट पर आच्छादित वाहन को चालक से चलवाने में मुझे काफी नुकसान हो गया है। अगर चालक को कुछ कहते है तो प्रति दिन वाहन में टूट फूट करके लाता है। जिससे मैं बहुत परेशान हूँ और उक्त वाहन को निजी में परिवर्तित कराना चाहता हूँ। ताकि अपने घर के कार्य में प्रयोग कर सकूं। उक्त वाहन पर मेरे को कम्पनी द्वारा रिवेट नहीं दिया गया है। यदि मेरा वाहन किराये की सवारी ढोती हुयी पायी जायेगी तो उसे तत्काल सीज कर दिया जाय।''* उक्त परमिट धारक वाहन व्यवसायिक में संचालित करने पर हो रही आर्थिक हानि के दृष्टिगत निरस्त करने की प्रार्थना की है।

श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामशरण, निवासी 528 मोहनपुरा, रूड़की के नाम मोटरकैब परमिट संख्या–11285 है जो दिनांक 27–01–2016 तक समस्त भारतवर्ष के मार्ग हेतु वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूके08टीए–2372 मॉडल 2010 संचालित है। उत्तराखण्ड गठन से पूर्व पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा समस्त भारतवर्ष के मोटरकैब, मैक्सी कैब परमिटों पर संचालित वाहनों को परमिट जारी करने की तिथि से 05 वर्ष तक निजी वाहन के रूप में परिर्वतन की अनुमति नही दिये जाने की शर्त अधिरोपित की गयी थी। जो वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू है। पूर्व में वाहन स्वामी द्वारा मोटरकैब, मैक्सी कैब वाहन क्रय करने के पश्चात् उसे व्यवसायिक वाहन के रूप में पंजीकृत करने पर वाहन निर्माताओं द्वारा उक्त वाहनों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दी जाती थी। सम्भवतः उक्त प्रकार के व्यवसायिक वाहनों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट दिये जाने के उद्देश्य से ''05 वर्ष तक वाहन निजी में परिवर्तित नहीं की जायेगी की'' शर्त अधिरोपित की गयी होगी। वर्तमान में मोटरकैब वाहनों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट नहीं दी जा रही है। प्रार्थी द्वारा भी अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि उनकी वाहन को उत्पादन शुल्क से छूट नहीं दी गयी है।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि केन्द्र सरकार द्वारा जिन व्यसायिक मोटरकैब वाहनों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट से वंचित रखा है। ऐसे वाहनों अधिरोपित की गयी उपरोक्त शर्त में संशोधन करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–74 की उपधारा (2) के खण्ड (ix) में निम्न प्राविधान किया गया है :–

"That the Regional Transport Authority may, after giving notice of not less than one month-
(a) vary tha conditions of the permit ;
(b) attach to the permit further conditions;"

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।

अन्य मद 16 (4)

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट पिटीशन संख्या–1499/2007 (एम/एस), 1547/2007 (एम/एस) एवं 1618/2007 (एम/एस) श्री एस0के0 श्रीवास्तव बनाम् उत्तराखण्ड राज्य तथा अन्य में दिनांक 18–12–2008 को पारित आदेशों का अनुपालन करने विषयक श्री एस0के0 श्रीवास्ताव, 4 बी, राजा रोड़, देहरादून के प्रत्यावेदन दिनांक 25–10–2011 पर विचार व आदेश।

श्री एस0के0श्रीवास्तव ने अपने उक्त पत्र में उल्लेख किया है कि प्रार्थी को अपील संख्या–9/2004 पर मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा देहरादून–पौंटा साहिब वाया विकासनगर–डाकपत्थर मार्ग पर एक स्थायी सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत किया गया था। उक्त आदेशों से प्राधिकरण असहमत होने की दशा में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका प्रस्तुत की गयी थी। प्रार्थी द्वारा मा0 न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुपालन कराने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में समक्ष याचिका आयोजित की गयी थी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा परमिट जारी करने के आदेश पारित किये गये थे। प्राधिकरण द्वारा उक्त आदेशों के अनुपालन में देहरादून से कुल्हाल तक का ही परमिट जारी किया गया था। शेष भाग को आगामी बैठक में परिवहन करार के पश्चात् रखने के आदेश पारित किये गये थे। दिनांक 25–10–2011 के दैनिक जागरण समाचार पत्र से ज्ञात हुआ कि परिवहन करार सम्पन्न हो गया है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने हेतु प्राधिकरण की दिनांक 31–10–2011 की बैठक में मामले को सम्मिलित करते हुये पौंटा साहिब तक का परमिट जारी किया जाय।

इस सम्बन्ध में अवगत् कराना है कि अपीलार्थी द्वारा सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के कार्यालय में देहरादून–पौंटा साहिब वाया विकासनगर–डाकपत्थर मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रार्थना पत्र को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 03–01–2004 में विचार

व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त मार्ग पर दोनों राज्यों की निगम की बसों का पर्याप्त मात्रा में संचालन होने एवं मार्ग पर प्रार्थना पत्र आमन्त्रित न करने के कारण उक्त मार्ग के लिए प्राप्त स्थायी/अस्थायी सवारी गाड़ी परमिटों के प्रार्थना पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया था। प्राधिकरण के उक्त आदेशों के विरूद्ध याचिकाकर्ता द्वारा मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के समक्ष अपील संख्या–09/2004 दायर की गई, जिसमें मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 09–04–2007 को निम्न आदेश पारित किये गयेः–

''अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी का स्थायी सवारी गाड़ी परमिट का प्रार्थना पत्र, जो देहरादून–पौंटा साहिब वाया विकासनगर मार्ग का है, स्वीकृत किया जाता है, लेकिन प्रतिबन्ध यह है, कि अपीलार्थी के विधिसम्मत आदेश पर कुल्हाल से पौंटा साहिब तक 1 किलोमीटर तक का मार्ग जो हिमाचल राज्य की सीमा में पड़ है, मोटरयान अधिनियम–1988 में दी गयी विधि व्यवस्था के तहत हिमाचल राज्य के प्रतिहस्ताक्षर के अधीन होगा

देहरादून–पौंटा साहिब वाया विकासनगर–डाकपत्थर मार्ग अन्तर्राज्यीय मार्ग है। इस मार्ग का कुल्हाल से पौंटा साहिब तक का भाग हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश के मध्य दिनांक 05–05–1985 को हुई सहमति के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को देहरादून–पौंटा साहिब वाया विकासनगर–डाकपत्थर मार्ग पर 06 रिटर्न ट्रिप्स संचालन करने हेतु आपसी सहमति बनी थी। उत्तराखण्ड गठन के पश्चात् वर्ष 2003 में भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या–एसओ 1233ई दिनांक 17–10–2003 द्वारा दोनों राज्यों के निगमों का विभाजन हो जाने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–657/परि0/2002– 598(परि0)/2003 दिनांक 31–10–2004 द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम अस्तित्व में आ गया था। उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश के मध्य अन्तर्राज्यीय परिवहन करार पर सहमति बनने के पश्चात् अधिसूचना संख्या–194/ix/526/2007 दिनांक 26–03–2007 द्वारा मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–88 (5) में दिये गये प्राविधानानुसार अधिसूचना प्रकाशित की जा चुकी थी। दोनों राज्यों के

प्रस्तावित परिवहन करार के बिन्दु संख्या–11(3) में मंजिली गाड़ी मार्ग पूर्णतः अथवा ऑशिक रूप से राष्ट्रीयकृत होने की दशा में पारस्परिक करारकर्ता राज्य की समझौते के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली परिवहन निगम की वाहनें ही अनुमन्य होंगी, शर्त निर्धारित की गई थी।

प्रस्तावित करार विलेख के बिन्दु संख्या–11 (9) के अनुसार कुल्हाल और पौंटा साहिब के बीच दोनों निगमों के प्रबन्ध निदेशक आपसी सहमति से आवश्यकतानुसार शटल सेवायें संचालित करने एवं उक्त व्यवस्था भी मूल करार का ही भाग समझी जायेगी, शर्त अनुमन्य की गयी थी।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत् कराना है कि देहरादून–पौंटा साहिब वाया विकासनगर–डाकपत्थर मार्ग का देहरादून से प्रेमनगर राष्ट्रीयकृत मार्ग का भाग है तथा इस मार्ग का कुल्हाल से पौंटा साहिब तक का भाग हिमाचल प्रदेश में होने से अन्तर्राज्यीय मार्ग है। अन्तर्राज्यीय मार्ग के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–88(1) के प्रतिबन्धों के अनुसार परमिट प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर होने पर ही वैधता की शर्त निर्धारित है।

मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 09–04–2007 का उल्लेख करते हुए सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रश्नगत् प्रकरण पर पूर्ण स्थिति से अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को अवगत् कराते हुए अग्रिम निर्देश हेतु अनुरोध किया गया था। मार्ग अन्तर्राज्यीय होने व उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के मध्य पारस्परिक परिवहन करार नहीं होने के कारण अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेशों के विरूद्ध पुर्नविचार रिट याचिका दायर करने हेतु निर्देशित किया गया था। अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण के उक्त आदेशों के क्रम में पूर्ण स्थिति से अवगत् कराते हुए मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका दायर करने हेतु शासन से अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। शासनादेश संख्या–68/ix/रिट/2007 दिनांक 31–07–2007 द्वारा अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् विभाग द्वारा निम्न बिन्दुओं पर रिट याचिका संख्या–1499/(एम/एस)/2007 दायर की गयी।

i) देहरादून–पौंटा साहिब वाया विकासनगर अन्तर्राज्यीय मार्ग है। इस मार्ग का देहरादून से प्रेमनगर तक का भाग राष्ट्रीयकृत मार्ग का भाग है।

ii) उत्तराखण्ड गठन के पश्चात् देहरादून–पौंटा साहिब वाया विकासनगर मार्ग पर कोई भी परमिट जारी नहीं किया गया है।

iii) वर्तमान में दोनों राज्यों के मध्य पारस्परिक परिवहन करार संख्या–194/ix/526/2007 दिनांक 26–03–2007 प्रकाशित करते हुए आपत्तियॉ आमन्त्रित की गयी हैं।

iv) उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के मध्य परिवहन करार की प्रक्रिया गतिमान है एवं शासन की हियरिंग ऑथोरिटी द्वारा उक्त समझौते के सम्बन्ध में आपत्तियॉ आमन्त्रित की गयी है। उपरोक्त परिवहन करार के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या–471/(एम0बी0)/2007 दायर की गयी है, जो मा0 न्यायालय के विचाराधीन है।

v) प्रस्तावित पारस्परिक परिवहन करार के बिन्दु संख्या–11(3) में मंजिली गाड़ी मार्ग पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से राष्ट्रीयकृत होने की दशा में पारस्परिक करारकर्ता राज्य की समझौते के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली परिवहन निगम के वाहन ही संचालित होने की शर्त अनुमन्य की है।

vi) प्रस्तावित परिवहन करार में मात्र परिवहन निगम की ही कुल्हाल से पौंटा मार्ग पर शटल सेवा संचालित करने की शर्त अनुमन्य की गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त देहरादून–पौंटा वाया विकासनगर–डाकपत्थर मार्ग का कुल्हाल से पौंटा तक का भाग हिमाचल प्रदेश में पड़ने के कारण यह मार्ग अन्तर्राज्यीय मार्ग की श्रेणी में है। अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–88 की उपधारा– (1) व (5) में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

"Section 88- Validation of permits for use outside region in which granted- (1) Except as may be otherwise prescribed, a permit granted by the Regional Transport Authority of any one region shall be valid in any other region, unless the permit has been countersigned by the Regional Transport Authority of that other region, and a permit granted in any one State shall not be valid in any other State unless countersigned by the State Transport Authority of that other State or by the Regional Transport Authority concerned;

Provided that a goods carriage permit, granted by the Regional Transport Authority of any one region, for any area in any other region or regions within the same State shall be valid in that area without the countersignature of the Regional Transport Authority of the other region or of each of the other regions concerned;

Provided further that where both the starting point and the terminal point of a route are situate within the same State, but part of such route lies in any other State and the length of such part does not exceed sixteen kilometres, the permit shall be valid in the other State in respect of that part of the route which is in that other State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State;

Provided also that-

(a) where a motor vehicle covered by a permit granted in one State is to be used for the purposes of defence in any other State, such vehicle shall display a certificate, in such form, and issued by such Authority, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, to the effect that the vehicle shall be used for the period specified therein exclusively for the purposes of defence; and

(b) any such permit shall be valid in that other State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State."

(5) Every proposal to enter into an agreement between the States to fix the number of permits which is proposed to be granted or countersigned in respect of each route or area; shall be published by each of the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in regional language circulating in the area or route proposed to be covered by the agreement together with a notice of the date before which representations in connection therewith may be submitted, and the date not being less than thirty days from the date of publication in the Official Gazette, on which,

and the authority by which, and the time and place at which, the proposal and any representation received in connection therewith will be considered.

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने विभाग द्वारा दायर की गयी रिट याचिका संख्या–1499/(एम/एस)/2007, रिट संख्या–1547/(एम/एस)/2007 श्री एस0के0 श्रीवास्तव बनाम् एसटीए (टी) तथा रिट संख्या–1618/(एम/एस)/2007 उत्तराखण्ड रोड़वेज तथा अन्य को खारिज करते हुए दिनांक 18–12–2008 को निम्न आदेश पारित किये हैं:–

X X X

After hearing the detailed arguments of the learned counsel for the parties, I dispose of all the three petitions by directing the State Transport Authority, Uttarakhand to take all possible steps immediately and without any delay for issuing route permit for "Dehradun-Ponta Saheb via Vikasnagar" Route in favour of S.K. Srivastava, this of course being subject to the fulfillment and compliance of all formalities as well as all requirements of law as enshrined and contemplated in the aforesaid sub-section (1) and sub-section (5) of section 88 of 1988 Act. The compliance with the aforesaid requirements of law is mendatory as well as binding.

All pending applications in all the three writ petitions shall stand disposed of.

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के उक्त आदेशों का अनुपालन हेतु मामले को राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 28–02–2009 के मद संख्या–8 में प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये गये :–

X X X

''अतः मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–88 की उपधारा–(1) व (5) में वर्णित प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत् अर्न्तराज्यीय मार्ग पर श्री एस0के0 श्रीवास्तव के पक्ष में करने के लिए हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य पारस्परिक परिवहन करार को शीघ्रताशीघ्र अन्तिम रूप दिये

जाने हेतु शासन से तुरन्त अनुरोध किया जाय जिससे कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन बिना किस अनावश्यक विलम्ब के किया जा सके।

प्रश्नगत मार्ग हेतु अनुपूरक मद संख्या–02 में वर्णित आवेदक प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए एवं प्राधिकरण से उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक ही परमिट स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

सुनवाई के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि श्री एस0के0 श्रीवास्तव के पक्ष प्रश्नगत् मार्ग पर देहरादून–कुल्हाल उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक (हिमाचल राज्य के मार्ग भाग को छोड़कर) पूर्व प्रतिबन्धों एवं सामान्य शर्तों के साथ स्थायी सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत परमिट केवल 05 वर्ष तक की आयु सीमा की वाहन को अनुमन्य होगा। हिमाचल प्रदेश से उत्तराखण्ड के परिवहन करार के पश्चात् मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए श्री एस0के0 श्रीवास्तव के मामले को राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में रखा जाय।''

X X X

उक्त आदेशों के अनुपालन में श्री एस0के0श्रीवास्ताव द्वारा देहरादून से पौंटा वाया कुल्हाल मार्ग का (उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक) स्थायी सवारी गाड़ी परमिट प्राप्त कर लिया गया है तथा मूल प्रार्थना पत्र पर आवेदित मार्ग कुल्हाल से पौंटा की प्रार्थना को यथावत रखा गया है। याचिकाकर्ता के अतिरिक्त प्रश्नगत मार्ग हेतु स्वयंमेव 23 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये थे। जिन्हें अन्य मद के अन्तर्गत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा इन प्रार्थना पत्रों को भी स्वीकार करते हुये देहरादून से कुल्हाल वाया विकासनगर मार्ग (उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक) का एक–एक स्थायी सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत किया गया। जिसमें से 17 प्रार्थियों द्वारा परमिट प्राप्त किये गये थे। इस प्रकार इस मार्ग पर कुल 18 परमिट वैध हैं।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28–02–2009 के मद संख्या–8 एवं अनुपूरक मद संख्या–2 में पारित आदेशों के विरूद्ध श्री प्रशान्त जायसवाल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में स्पेशल अपील संख्या–200/2009 दायर की गयी थी। जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08–03–2011 को निम्नलिखित अंतिम आदेश पारित किये गये हैं :–

In the stay vacation application, filed by the state, it is being contended that the appellant, on the strength of permit granted by the State of Uttar Pradesh to him before the State of Uttarakhand was created, is plying buses on the route, commencing from Dehradun and terminating at Paonta Saheb respectively, situated in the State of Uttarakhand and the State of Himachal Pradesh, It may be possible that at the time of grant of permit in favour of the appellant, there was reciprocal aggrangement and agreement between the State of Uttar Pradesh and the State of Himachal Pradesh, pertaining to the said route, but after creation of the State of Uttarakhand, the said agreement has come to an end. Admittedly, the State of Uttarakhand has not yet made any arrangement or agreement with the State of Himachal Pradesh, pertaining to grant of permit on the said route.

2- That being so, the State of Uttarakhand, while is not entitled to permit anyone to ply vehicles on the said route, the appellant, on the strength of his earliar permits, is also not entitled to ply his buses on the said route.

3- The above clarifies the interim order pased by this Court, With the above clarification, the stay vacation application is disposed of.

Special Appeal No. 200 of 2009

In view of what has been said above, we think, the purpose of present appeal stands disposed of. We, accordingly, replace the judgment and order under appeal by what has been provided above. In other words, until such time there are arragnments or agreement *inter se* the State of Uttarakhand and the State of Himachal Pradesh at the instance of the State of Uttarakhand or its predecessor State, i.e., the State of Uttar Pradesh, no permit can be issued and, if such permit has been issued, the same shall not remain valid. This order will not prevent the State of Uttarakhand to enter into appropriate agreement with the State of Himachal Pradesh.

2- The appeal stands disposed of.

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 की उपधारा (5) में दिये गये प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के परिवहन करार की प्रस्तावित प्रस्थापना के सम्बन्ध में अभ्यावेदन आमंत्रित करने हेतु अधिसूचना संख्या–194/ix/526/2007 दिनांक 26–03–2007 प्रकाशित की गयी थी। शासन द्वारा उक्त अधिसूचना को वापस

लेते हुये मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 की उपधारा (5) में दिये गये प्राविधानानुसार पुनः हिमाचल एवं उत्तराखण्ड के मध्य परिवहन करार की प्रस्थापना के सम्बन्ध में अभ्यावदेन आमंत्रित करने हेतु अधिसूचना संख्या–102/ix/2011/526/2003 दिनांक 31–05–2011 गजट एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी थी। उक्त प्रस्तावित करार के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदनों को सुनने के पश्चात् सरकारी आदेश द्वारा अस्वीकृत करते हुये अधिनियम की धारा–88 की उपधारा (6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 17–10–2011 को निष्पादित पारस्परिक परिवहन करार को 25–10–2011 से लागू करने हेतु राजपत्र एवं समाचार पत्रों में अधिसूचना संख्या–255/ix/2011/526/2003 दिनांक 19–10–2011 जारी की गयी है। हिमाचल एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य पारस्परिक परिवहन करार पर बनी सहमति में **निजी वाहन संचालकों को संचालन की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में उक्त करार में व्यवस्था नहीं की गयी है।**

अतः प्राधिकरण दिनांक 28–02–2009 की बैठक के संकल्प संख्या–8 में आवेदक श्री एस0के0 श्रीवास्तव के देहरादून से पौंटा वाया विकासनगर–डाकपत्थर के लम्बित प्रत्यावेदन पर विचार कर आदेश पारित करना चाहें।

अन्य मद 16 (5)

देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाडी परमिटों के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में श्री अतुल सिंघल, देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मोटर यूनियन, देहरादून के प्रत्यावेदन दिनांक 25–10–2011 पर विचार व आदेश।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग की कुल लम्बाई लगभग 206 कि0मी0 है, जिसमें से 44 कि0मी0 भाग उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। उत्तराखण्ड गठन से पूर्व उक्त मार्ग अर्न्तसम्भागीय मार्ग की श्रेणी में परिभाषित था तथा राज्य गठन के पश्चात् इस मार्ग का तिमली

(विकासनगर–सहारनपुर मार्ग) से शाकुम्बरी देवी तक का मार्ग भाग उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने के कारण यह मार्ग अर्न्तराज्यीय मार्ग की श्रेणी में परिभाषित है। प्रश्नगत मार्ग पर पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी परमिटों पर निजी संचालकों की वाहनें संचालित हैं। मार्ग पर पूर्व में जारी किये गये कतिपय परमिट धारकों के परमिट समाप्त हो जाने पर उनके द्वारा परमिटों के नवीनीकरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। परमिट के नवीनीकरण के आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा नामंजूर करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–81 में निम्न प्राविधान किया गया है:–

81- (2) A permit may be renewed on an application made not less than fifteen days before the date of its expiry.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the Regional Transport Authority or the State Transport Authority as the case may be, entertain an application for the renewal of a permit after the last date specified in that sub-section if it is satisfied that the applicant was prevented by good and sufficient cause from making an application within the time specified.

(4) The Regional Transport Authority or the State Transport Authority, as the case may be, may reject an application for the renewal of a permit on one or more of the following grounds, namely:-

(a) the financial condition of the applicant as evidenced by insolvency, or decrees for payment of debts remaining unsatisfied for a period of thirty days, prior to the date of consideration of the application,

(b) the applicant had been punished twice or more for any of the following offences within twelve months reckoned from fifteen days prior to the date of consideration of the application commited as a result of the opeartion of a stage carriage service by the applicant, namely :-

(i) plying any vehicle -

(1) without payment of tax due on such vehicle;

(2) without payment of tax during the grace period allowed for payment of such tax and then stop the plying of such vehicle;

(3) on any unauthorised route;

(ii) making unauthorised trips;

Provided that in computing the number of punishments for the purpose of clause (b), any punishment stayed by the order of an appellate authority shall not be taken into account:

Provided further that no application under this sub-section shall be rejected unless an opportunity of being heard is given to the applicant.

देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग का तिमली से आगे शाकुम्बरी देवी वाया बेहट तक का भाग सहारनपुर (उत्तर प्रदेश राज्य) में पड़ने से यह मार्ग अन्तर्राज्यीय मार्ग की श्रेणी में परिभाषित है। अर्न्तराज्यीय मार्गों पर परमिट स्वीकृत/जारी करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा 88 की उपधारा– (1), (5) व (6) में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

"Section 88- Validation of permits for use outside region in which granted- (1) Except as may be otherwise prescribed, a permit granted by the Regional Transport Authority of any one region shall be valid in any other region, unless the permit has been countersigned by the Regional Transport Authority of that other region, and a permit granted in any one State shall not be valid in any other State unless countersigned by the State Transport Authority of that other State or by the Regional Transport Authority concerned;

Provided that a goods carriage permit, granted by the Regional Transport Authority of any one region, for any area in any other region or regions within the same State shall be valid in that area without the counter signature of the Regional Transport Authority of the other region or of each of the other regions concerned;

Provided further that where both the starting point and the terminal point of a route are situate within the same State, but part of such route lies in any other State and the length of such part does not exceed sixteen kilometres, the permit shall be valid in the other State in respect of that part of the route which is in that other

State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State;

Provided also that-

(a) where a motor vehicle covered by a permit granted in one State is to be used for the purposes of defence in any other State, such vehicle shall display a certificate, in such form, and issued by such Authority, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, to the effect that the vehicle shall be used for the period specified therein exclusively for the purposes of defence; and

(b) any such permit shall be valid in that other State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State."

(5) Every proposal to enter into an agreement between the States to fix the number of permits which is proposed to be granted or countersigned in respect of each route or area; shall be published by each of the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in regional language circulating in the area or route proposed to be covered by the agreement together with a notice of the date before which representations in connection therewith may be submitted, and the date not being less than thirty days from the date of publication in the Official Gazette, on which, and the authority by which, and the time and place at which, the proposal and any representation received in connection therewith will be considered.

(6) Every agreement arrived at between the States shall, in so far as it relates to the grant of countersignature of permits, be published by each of the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in the regional language circulating in the area or route covered by the agreement and the State Transport Authority of the State and the Regional Transport Authority concerned shall give effect to it."

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य मंजिली गाड़ी परिवहन करार लम्बित होने के कारण देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मार्ग के परमिटों का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा था परन्तु दिनांक 28–02–2009 एवं 23–07–2009 की बैठकों में मार्ग यूनियन की प्रार्थना पर उक्त मार्ग के परमिटों का नवीनीकरण परमिट धारकों की परेशानी के दृष्टिगत राज्य की सीमा तक किया जा रहा था।

परन्तु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23–10–2009 के पश्चात देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग पर परमिट स्वीकृत न करने के सम्बन्ध में मार्ग के एक परमिट धारक श्री जमशेद अली द्वारा मा0 उच्च न्यायालय,

नैनीताल में स्पेशल अपील संख्या–201/2009 दायर की गयी है, जिसमें मा0 न्यायालय की युगल पीठ द्वारा दिनांक 26–10–2009 को निम्न आदेश पारित किये गये थेः–

Prima facie, it appears that in the absence of a reciprocal agreement between the State of Uttarakhand and the State of U.P. as required u/s 88(1) and (5) of the Motor Vehicles Act, 1988, the advertisement issued for inviting applications for grant of permit on the route, namely, Dehradun-Vikasnagar-Dak Pathar and its allied routes appears to be without jurisdiction Consequently, till the next date of listing, the State Transport Authority respondent No.2 is restrained from granting any permit on Dehradun-Vikasnagar-Dak Pathar and its allied routes unless there exists a reciprocal agreement between the State Uttarakhand and State of U.P.

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के उक्त आदेशों के पश्चात् देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के परमिटों के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका संख्या–396/2010 बालकिशन अग्रवाल व अन्य बनाम् राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड व अन्य दायर की गयी थी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 04–05–2010 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं :–

The respondent No.4 i.e. State Transport Authority Uttarakhand, Dehradun is directed to take decisions on the application moved by the petitioners, annexed as annexure No.2 to the writ petition in accordance with law, expeditiously, preferably within a period of six weeks from the date of production of cerfified copy of this order.

The modification application stands disposed of finally.

(B.S.Verma, J.)
04-05-2010

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के उक्त आदेशों के अनुपालन में मामले को राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 14–07–2010 में प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये गयेः–

''मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा याचिका संख्या–396/2010 में याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदनों पर निर्णय लेने के निर्देश दिये गये हैं। दूसरी ओर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल की युगल पीठ द्वारा स्पेशल अपील संख्या–201/2009 में अपने आदेश दिनांक 26–10–2009 में देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत करने पर रोक लगाई है, जो प्रभावी है।

अतः उक्त आवेदकों (याचीगणों) के स्थाई सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी 1533/83, 1534/10, 1536, 1535/71, 1078, 1530/125, एवं 1539 के नवीनीकरण के प्राप्त प्रार्थना पत्रों को मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के स्पेशल अपील संख्या–201/2009 में पारित आदेश दिनांक 26–10–2009 के दृष्टिगत स्थगित रखा जाता है। उक्त स्पेशल अपील में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश पारित होने पर प्राधिकरण मामले पर पुनः विचार करेगी।''

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के उक्त आदेशों के प्रश्नगत मार्ग के परमिटों के नवीनीकरण **11** प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये थे। जिनको राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक 30–07–2010 के मद संख्या–13 में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा उक्त 11 प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में भी निम्न आदेश पारित किये गये हैं :–

''मद संख्या–13 में उल्लिखित स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–1072/115, 1524, 1521, 1526/75, 1537/87, 1538, 1541/72, 1543, 1546, 1547 एवं 1775 के नवीनीकरण के प्राप्त प्रार्थना पत्रों को मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर स्पेशल अपील संख्या–201/2009 में पारित आदेश दिनांक 26–10–2009 के दृष्टिगत स्थगित रखा जाता है। उक्त स्पेशल अपील में मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश पारित होने पर माम पुनः प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।''

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन स्पेशल अपील संख्या–201/2009 श्री जमशेद अली बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 04–04–2011 को 26–10–2009 में पारित अंतरिम आदेश को निरन्तर (Continue) किया गया है। प्रश्नगत मार्ग पर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के स्थगन आदेश आज

भी प्रभावी हैं। वर्तमान में देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग पर परमिट नवीनीकरण के 22 प्रार्थना पत्र लम्बित है। जिनका विवरण **परिशिष्ट 'ज'** में दिया गया है।

अन्य मद 16 (6)

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 की उपधारा (6) में दिये गये प्राविधानानुसार हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य पारस्परिक परिवहन करार को लागू करने हेतु दोनों राज्यों के मध्य दिनांक 17–10–2011 को बनी सहमति के क्रम में शासन द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या–255/ix/2011/526/2003 दिनांक 19–10–2011 का अवलोकन।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 की उपधारा (5) में दिये गये प्राविधानानुसार अधिसूचना संख्या–102/ix/2011/526/2003 दिनांक 31–05–2011 द्वारा परिवहन करार पर सहमति बनने के उपरान्त शासन द्वारा आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी। तदोपरान्त आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 की उपधारा (6) में दिये गये प्राविधानानुसार दिनांक 17–10–2011 को अंतिम सहमति बनते हुये दिनांक 25–10–2011 से लागू करने हेतु सरकारी गजट एवं समाचार पत्रों में अधिसूचना संख्या–255/ix/2011/ 526/2003 दिनांक 19–10–2011 प्रकाशित की गयी है। जिसमें अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त उत्तराखण्ड परिवहन निगम एवं हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों के संचालन के सम्बन्ध में निम्न सहमति बनी है :–

1– उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश के 28 मार्गों पर 87 सिंगल ट्रिप्स, 75 परमिट एवं 8662 कि0मी0 संचालन किया जायेगा।

2– हिमाचल राज्य पथ परिवहन निगम की बसों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के 60 मार्गों पर 113 सिंगल ट्रिप्स, 111 परमिट एवं 8392 कि0मी0 संचालन किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड गठन के पश्चात् हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य पारस्परिक परिवहन करार लम्बित होने के कारण उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों को हिमाचल राज्य हेतु अस्थायी परमिट जारी किये जा रहे हैं तथा हिमाचल राज्य द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों को जारी किये गये परमिटों को उत्तराखण्ड राज्य में पड़ने वाले मार्ग भाग के लिए अस्थायी प्रतिहस्ताक्षर किया जा रहा है। अब दोनों राज्यों के मध्य पारस्परिक परिवहन करार में बनी सहमति के आधार पर करारकर्ता राज्यों द्वारा परमिट स्वीकृत/प्रतिहस्ताक्षर किया जाना है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

अन्य मद 16 (7)

मोटरकैब, मैक्सी कैब परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा 15–11–2002 के मद संख्या–19 के अन्तर्गत मोटरकैब, मैक्सी कैब परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के कार्यालय में उपस्थित होने के स्थान पर वाहन स्वामियों को पंजीकृत प्राधिकारी के सामने उपस्थित होकर प्रमाणित करने की सुविधा प्रदान करने विषयक सचिव, उत्तराखण्ड टैक्सी/बस ऑपरेटर एसोशिएसन, 13 बी, राजपुर रोड़, देहरादून के प्रत्यावेदन दिनांक 25–10–2011 पर विचार व आदेश।

सचिव उत्तराखण्ड टैक्सी/बस ऑपरेटर एसोशिएसन द्वारा अपने प्रत्यावेदन में उल्लेख किया है कि राज्य परिवहन द्वारा टैक्सी/मैक्सी के परमिटों को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में दोनों पक्षों को प्राधिकरण के कार्यालय के सामने उपस्थित होने की शर्त लगाई गई है। इससे दूरदराज के मोटर स्वामी को आने में अत्यन्त कठिनाईयां होती है तथा धन भी अधिक व्यय होता है। परिवहन कार्यालय सभी जिलों में खोले गये हैं जिससे जनता की सुविधा को ध्यान में रखते

हुए वाहन स्वामी को पंजीकृत प्राधिकरण के सामने उपस्थित होकर प्रमाणित करने की सुविधा प्रदान की जाए साथ ही उत्तराखण्ड में परमिटों के आवेदनों को उदानीति से स्वीकार किये जाए।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समस्त भारतवर्ष एवं अन्य प्रकार के मोटरकैब/मैक्सी परमिटों पर आच्छादित वाहन स्वामियों द्वारा अपनी वाहनें विक्रय कर देने के पश्चात् क्रेता द्वारा वाहन क्रय करने के उपरान्त परमिट निरस्त न कराकर पूर्व वाहन स्वामी के नाम से वाहन का संचालन किया जाता है। क्रेता द्वारा वाहन क्रय करने के उपरान्त वाहन अपने नाम हस्तान्तरण न करते हुये मूल वाहन स्वामी के नाम से वाहन का संचालन किया जाता है तथा कर आदि जमा न करने की दशा में विभाग द्वारा मूल वाहन स्वामी के नाम मांगपत्र/वसूलीपत्र भेजे जाते हैं जिससे मूल वाहन स्वामी को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उक्त परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले को राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15–11–2002 की बैठक में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये गये थे :–

''उत्तर प्रदेश मोटरगाडी नियमावली, 1998 के नियम–87(4) में दिये गये प्राविधानानुसार विधिक बाधा न हो दोनों पक्षों के उपस्थित होने तथा आवश्यक पूछताछ कर एवं दोनों पक्षों से शपथपत्र फोटो सहित प्राप्त कर हस्त कर दिया जाय।''

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

अन्य मद 16 (4)

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट पिटीशन संख्या–1499/2007 (एम/एस), 1547/2007 (एम/एस) एवं 1618/2007 (एम/एस) श्री एस0के0 श्रीवास्तव बनाम् उत्तराखण्ड राज्य तथा अन्य में दिनांक 18–12–2008 को पारित आदेशों का अनुपालन करने विषयक श्री एस0के0 श्रीवास्ताव, 4 बी, राजा रोड़, देहरादून के प्रत्यावेदन दिनांक 25–10–2011 पर विचार व आदेश।

श्री एस0के0श्रीवास्तव ने अपने उक्त पत्र में उल्लेख किया है कि प्रार्थी को अपील संख्या–9/2004 पर मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा देहरादून–पौंटा साहिब वाया विकासनगर–डाकपत्थर मार्ग पर एक स्थायी सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत किया गया था। उक्त आदेशों से प्राधिकरण असहमत होने की दशा में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका प्रस्तुत की गयी थी। प्रार्थी द्वारा मा0 न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुपालन कराने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में समक्ष याचिका आयोजित की गयी थी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा परमिट जारी करने के आदेश पारित किये गये थे। प्राधिकरण द्वारा उक्त आदेशों के अनुपालन में देहरादून से कुल्हाल तक का ही परमिट जारी किया गया था। शेष भाग को आगामी बैठक में परिवहन करार के पश्चात् रखने के आदेश पारित किये गये थे। दिनांक 25–10–2011 के दैनिक जागरण समाचार पत्र से ज्ञात हुआ कि परिवहन करार सम्पन्न हो गया है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने हेतु प्राधिकरण की दिनांक 31–10–2011 की बैठक में मामले को सम्मिलित करते हुये पौंटा साहिब तक का परमिट जारी किया जाय।

इस सम्बन्ध में अवगत् कराना है कि अपीलार्थी द्वारा सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के कार्यालय में देहरादून–पौंटा साहिब वाया विकासनगर–डाकपत्थर मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रार्थना पत्र को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 03–01–2004 में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त मार्ग पर दोनों राज्यों की निगम की बसों का

पर्याप्त मात्रा में संचालन होने एवं मार्ग पर प्रार्थना पत्र आमन्त्रित न करने के कारण उक्त मार्ग के लिए प्राप्त स्थायी/अस्थायी सवारी गाड़ी परमिटों के प्रार्थना पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया था। प्राधिकरण के उक्त आदेशों के विरूद्ध याचिकाकर्ता द्वारा मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के समक्ष अपील संख्या–09/2004 दायर की गई, जिसमें मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 09–04–2007 को निम्न आदेश पारित किये गयेः–

''अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी का स्थायी सवारी गाड़ी परमिट का प्रार्थना पत्र, जो देहरादून–पौंटा साहिब वाया विकासनगर मार्ग का है, स्वीकृत किया जाता है, लेकिन प्रतिबन्ध यह है, कि अपीलार्थी के विधिसम्मत आदेश पर कुल्हाल से पौंटा साहिब तक 1 किलोमीटर तक का मार्ग जो हिमाचल राज्य की सीमा में पड़ है, मोटरयान अधिनियम–1988 में दी गयी विधि व्यवस्था के तहत हिमाचल राज्य के प्रतिहस्ताक्षर के अधीन होगा।''

देहरादून–पौंटा साहिब वाया विकासनगर–डाकपत्थर मार्ग अन्तर्राज्यीय मार्ग है। इस मार्ग का कुल्हाल से पौंटा साहिब तक का भाग हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश के मध्य दिनांक 05–05–1985 को हुई सहमति के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को देहरादून–पौंटा साहिब वाया विकासनगर–डाकपत्थर मार्ग पर 06 रिटर्न ट्रिप्स संचालन करने हेतु आपसी सहमति बनी थी। उत्तराखण्ड गठन के पश्चात् वर्ष 2003 में भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या–एसओ 1233ई दिनांक 17–10–2003 द्वारा दोनों राज्यों के निगमों का विभाजन हो जाने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–657/परि0/2002– 598(परि0)/2003 दिनांक 31–10–2004 द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम अस्तित्व में आ गया था। उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश के मध्य अन्तर्राज्यीय परिवहन करार पर सहमति बनने के पश्चात् अधिसूचना संख्या–194/ix/526/2007 दिनांक 26–03–2007 द्वारा मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–88 (5) में दिये गये प्राविधानानुसार अधिसूचना प्रकाशित की जा चुकी थी। दोनों राज्यों के प्रस्तावित परिवहन करार के बिन्दु संख्या–11(3) में मंजिली गाड़ी मार्ग पूर्णतः अथवा ऑशिक रूप से राष्ट्रीयकृत होने की

दशा में पारस्परिक करारकर्ता राज्य की समझौते के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली परिवहन निगम की वाहनें ही अनुमन्य होंगी, शर्त निर्धारित की गई थी।

प्रस्तावित करार विलेख के बिन्दु संख्या–11 (9) के अनुसार कुल्हाल और पौंटा साहिब के बीच दोनों निगमों के प्रबन्ध निदेशक आपसी सहमति से आवश्यकतानुसार शटल सेवायें संचालित करने एवं उक्त व्यवस्था भी मूल करार का ही भाग समझी जायेगी, शर्त अनुमन्य की गयी थी।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत् कराना है कि देहरादून–पौंटा साहिब वाया विकासनगर–डाकपत्थर मार्ग का देहरादून से प्रेमनगर राष्ट्रीयकृत मार्ग का भाग है तथा इस मार्ग का कुल्हाल से पौंटा साहिब तक का भाग हिमाचल प्रदेश में होने से अन्तर्राज्यीय मार्ग है। अन्तर्राज्यीय मार्ग के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–88(1) के प्रतिबन्धों के अनुसार परमिट प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर होने पर ही वैधता की शर्त निर्धारित है।

मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 09–04–2007 का उल्लेख करते हुए सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रश्नगत् प्रकरण पर पूर्ण स्थिति से अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को अवगत् कराते हुए अग्रिम निर्देश हेतु अनुरोध किया गया था। मार्ग अन्तर्राज्यीय होने व उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के मध्य पारस्परिक परिवहन करार नहीं होने के कारण अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेशों के विरूद्ध पुर्नविचार रिट याचिका दायर करने हेतु निर्देशित किया गया था। अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण के उक्त आदेशों के क्रम में पूर्ण स्थिति से अवगत् कराते हुए मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका दायर करने हेतु शासन से अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। शासनादेश संख्या–68/ix/रिट/2007 दिनांक 31–07–2007 द्वारा अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् विभाग द्वारा निम्न बिन्दुओं पर रिट याचिका संख्या–1499/(एम/एस)/2007 दायर की गयी।

i) देहरादून–पौंटा साहिब वाया विकासनगर अन्तर्राज्यीय मार्ग है। इस मार्ग का देहरादून से प्रेमनगर तक का भाग राष्ट्रीयकृत मार्ग का भाग है।

ii) उत्तराखण्ड गठन के पश्चात् देहरादून–पौंटा साहिब वाया विकासनगर मार्ग पर कोई भी परमिट जारी नहीं किया गया है।

iii) वर्तमान में दोनों राज्यों के मध्य पारस्परिक परिवहन करार संख्या–194/ix/526/2007 दिनांक 26–03–2007 प्रकाशित करते हुए आपत्तियॉ आमन्त्रित की गयी हैं।

iv) उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के मध्य परिवहन करार की प्रक्रिया गतिमान है एवं शासन की हियरिंग ऑथोरिटी द्वारा उक्त समझौते के सम्बन्ध में आपत्तियॉ आमन्त्रित की गयी है। उपरोक्त परिवहन करार के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या–471/(एम0बी0)/2007 दायर की गयी है, जो मा0 न्यायालय के विचाराधीन है।

v) प्रस्तावित पारस्परिक परिवहन करार के बिन्दु संख्या–11(3) में मंजिली गाड़ी मार्ग पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से राष्ट्रीयकृत होने की दशा में पारस्परिक करारकर्ता राज्य की समझौते के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली परिवहन निगम के वाहन ही संचालित होने की शर्त अनुमन्य की है।

vi) प्रस्तावित परिवहन करार में मात्र परिवहन निगम की ही कुल्हाल से पौंटा मार्ग पर शटल सेवा संचालित करने की शर्त अनुमन्य की गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त देहरादून–पौंटा वाया विकासनगर–डाकपत्थर मार्ग का कुल्हाल से पौंटा तक का भाग हिमाचल प्रदेश में पड़ने के कारण यह मार्ग अन्तर्राज्यीय मार्ग की श्रेणी में है। अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–88 की उपधारा– (1) व (5) में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

"Section 88- Validation of permits for use outside region in which granted- (1) Except as may be otherwise prescribed, a permit granted by the Regional Transport Authority of any one region shall be valid in any other region, unless the permit has been countersigned by the Regional Transport Authority of that other region, and a permit granted in any one State shall not be valid in any other State unless countersigned by the State Transport Authority of that other State or by the Regional Transport Authority concerned;

Provided that a goods carriage permit, granted by the Regional Transport Authority of any one region, for any area in any other region or regions within the same State shall be valid in that area without the countersignature of the Regional Transport Authority of the other region or of each of the other regions concerned;

Provided further that where both the starting point and the terminal point of a route are situate within the same State, but part of such route lies in any other State and the length of such part does not exceed sixteen kilometres, the permit shall be valid in the other State in respect of that part of the route which is in that other State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State;

Provided also that-

(a) where a motor vehicle covered by a permit granted in one State is to be used for the purposes of defence in any other State, such vehicle shall display a certificate, in such form, and issued by such Authority, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, to the effect that the vehicle shall be used for the period specified therein exclusively for the purposes of defence; and

(b) any such permit shall be valid in that other State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State."

(5) Every proposal to enter into an agreement between the States to fix the number of permits which is proposed to be granted or countersigned in respect of each route or area; shall be published by each of the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in regional language circulating in the area or route proposed to be covered by the agreement together with a notice of the date before which representations in connection therewith may be submitted, and the date not being less than thirty days from the date of publication in the Official Gazette, on which,

and the authority by which, and the time and place at which, the proposal and any representation received in connection therewith will be considered.

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने विभाग द्वारा दायर की गयी रिट याचिका संख्या–1499/(एम/एस)/2007, रिट संख्या–1547/(एम/एस)/2007 श्री एस0के0 श्रीवास्तव बनाम् एसटीए (टी) तथा रिट संख्या–1618/(एम/एस)/2007 उत्तराखण्ड रोड़वेज तथा अन्य को खारिज करते हुए दिनांक 18–12–2008 को निम्न आदेश पारित किये हैं:–

X X X

After hearing the detailed arguments of the learned counsel for the parties, I dispose of all the three petitions by directing the State Transport Authority, Uttarakhand to take all possible steps immediately and without any delay for issuing route permit for "Dehradun-Ponta Saheb via Vikasnagar" Route in favour of S.K. Srivastava, this of course being subject to the fulfillment and compliance of all formalities as well as all requirements of law as enshrined and contemplated in the aforesaid sub-section (1) and sub-section (5) of section 88 of 1988 Act. The compliance with the aforesaid requirements of law is mendatory as well as binding.

All pending applications in all the three writ petitions shall stand disposed of.

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के उक्त आदेशों का अनुपालन हेतु मामले को राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 28–02–2009 के मद संख्या–8 में प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये गये :–

X X X

''अतः मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–88 की उपधारा–(1) व (5) में वर्णित प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत् अर्न्तराज्यीय मार्ग पर श्री एस0के0 श्रीवास्तव के पक्ष में परमिट जारी करने के लिए हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य पारस्परिक परिवहन करार को शीघ्रताशीघ्र अन्तिम रूप

जाने हेतु शासन से तुरन्त अनुरोध किया जाय जिससे कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन बिना किस अनावश्यक विलम्ब के किया जा सके।

प्रश्नगत मार्ग हेतु अनुपूरक मद संख्या–02 में वर्णित आवेदक प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए एवं प्राधिकरण उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक ही परमिट स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

सुनवाई के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि श्री एस0के0 श्रीवास्तव के पक्ष में प्रश्नगत् मार्ग पर देहरादून–कुल्हाल उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक (हिमाचल राज्य के मार्ग भाग को छोड़कर) पू प्रतिबन्धों एवं सामान्य शर्तों के साथ स्थायी सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत परमिट केवल 05 वर्ष तक की आयु सीमा की वाहन को अनुमन्य होगा। हिमाचल प्रदेश से उत्तराखण्ड के परिवहन करार के पश्चात् मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए श्री एस0के0 श्रीवास्तव के मामले को राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में रखा जाय।''

X X X

उक्त आदेशों के अनुपालन में श्री एस0के0श्रीवास्ताव द्वारा देहरादून से पौंटा वाया कुल्हाल मार्ग का (उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक) स्थायी सवारी गाड़ी परमिट प्राप्त कर लिया गया है तथा मूल प्रार्थना पत्र पर आवेदित मार्ग कुल्हाल से पौंटा की प्रार्थना को यथावत रखा गया है। याचिकाकर्ता के अतिरिक्त प्रश्नगत मार्ग हेतु स्वयंमेव 23 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये थे। जिन्हें अन्य मद के अन्तर्गत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा इन प्रार्थना पत्रों को भी स्वीकार करते हुये देहरादून से कुल्हाल वाया विकासनगर मार्ग (उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक) का एक–एक स्थायी सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत किया गया। जिसमें से 17 प्रार्थियों द्वारा परमिट प्राप्त किये गये थे। इस प्रकार इस मार्ग पर कुल 18 परमिट वैध हैं।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28–02–2009 के मद संख्या–8 एवं अनुपूरक मद संख्या–2 में पारित आदेशों के विरूद्ध श्री प्रशान्त जायसवाल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में स्पेशल अपील संख्या–200/2009 दायर की गयी थी। जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08–03–2011 को निम्नलिखित अंतिम आदेश पारित किये गये हैं :–

In the stay vacation application, filed by the state, it is being contended that the appellant, on the strength of permit granted by the State of Uttar Pradesh to him before the State of Uttarakhand was created, is plying buses on the route, commencing from Dehradun and terminating at Paonta Saheb respectively, situated in the State of Uttarakhand and the State of Himachal Pradesh, It may be possible that at the time of grant of permit in favour of the appellant, there was reciprocal aggrangement and agreement between the State of Uttar Pradesh and the State of Himachal Pradesh, pertaining to the said route, but after creation of the State of Uttarakhand, the said agreement has come to an end. Admittedly, the State of Uttarakhand has not yet made any arrangement or agreement with the State of Himachal Pradesh, pertaining to grant of permit on the said route.

2- That being so, the State of Uttarakhand, while is not entitled to permit anyone to ply vehicles on the said route, the appellant, on the strength of his earliar permits, is also not entitled to ply his buses on the said route.

3- The above clarifies the interim order pased by this Court, With the above clarification, the stay vacation application is disposed of.

Special Appeal No. 200 of 2009

In view of what has been said above, we think, the purpose of present appeal stands disposed of. We, accordingly, replace the judgment and order under appeal by what has been provided above. In other words, until such time there are arragnments or agreement *inter se* the State of Uttarakhand and the State of Himachal Pradesh at the instance of the State of Uttarakhand or its predecessor State, i.e., the State of Uttar Pradesh, no permit can be issued and, if such permit has been issued, the same shall not remain valid. This order will not prevent the State of Uttarakhand to enter into appropriate agreement with the State of Himachal Pradesh.

2- The appeal stands disposed of.

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 की उपधारा (5) में दिये गये प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के परिवहन करार की प्रस्तावित प्रस्थापना के सम्बन्ध में अभ्यावेदन आमंत्रित करने हेतु अधिसूचना संख्या–194/ix/526/2007 दिनांक 26–03–2007 प्रकाशित की गयी थी। शासन द्वारा उक्त अधिसूचना को वापस

लेते हुये मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 की उपधारा (5) में दिये गये प्राविधानानुसार पुनः हिमाचल एवं उत्तराखण्ड के मध्य परिवहन करार की प्रस्थापना के सम्बन्ध में अभ्यावदेन आमंत्रित करने हेतु अधिसूचना संख्या–102/ix/2011/526/2003 दिनांक 31–05–2011 गजट एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी थी। उक्त प्रस्तावित करार के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदनों को सुनने के पश्चात् सरकारी आदेश द्वारा अस्वीकृत करते हुये अधिनियम की धारा–88 की उपधारा (6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 17–10–2011 को निष्पादित पारस्परिक परिवहन करार को 25–10–2011 से लागू करने हेतु राजपत्र एवं समाचार पत्रों में अधिसूचना संख्या–255/ix/2011/526/2003 दिनांक 19–10–2011 जारी की गयी है। हिमाचल एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य पारस्परिक परिवहन करार पर बनी सहमति में **निजी वाहन संचालकों को संचालन की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में उक्त करार में व्यवस्था नहीं की गयी है।**

अतः प्राधिकरण दिनांक 28–02–2009 की बैठक के संकल्प संख्या–8 में आवेदक श्री एस0के0 श्रीवास्तव के देहरादून से पौंटा वाया विकासनगर–डाकपत्थर के लम्बित प्रत्यावेदन पर विचार कर आदेश पारित करना चाहें।

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 31–10–2011 के कार्यसूची के मद संख्या–15 का परिशिष्ट–''छ''

मोटरगाड़ी अधिनियम–1988 की धारा–86 की कार्यवाही हेतु प्राप्त चालानों का विवरणः–

(1)– प्रार्थी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द, निवासी 613 राजेन्द्र नगर, देहरादून के नाम देहरादून–विकासनगर–कुल्हाल मार्ग का स्थायी सवारी गाडी परमिट संख्या–278 है, जो दिनांक 04–10–2014 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या यूके07पीए–0501 मॉडल–2009 संचालित है। प्रार्थी की उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान थाना इंचार्ज सहसपुर द्वारा दिनांक 13–10–2009 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1– थाना इंचार्ज सहसपुर का चालान दिनांक 13–10–2009
(1) क्षमता से अधिक सवारी चालक सहित 64 व्यस्क एवं 5 बच्चे बैठे हैं।
(2) यातायात नियमों का उल्लघंन कर रहे हैं।

परमिट धारक को उक्त चालान के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–2915/एसटीए/दिनांक 31–10–2009 द्वारा धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में वाहन स्वामी से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ था।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28–02–2010 के अनुपूरक मद संख्या–2 के अन्तर्गत देहरादून–कुल्हाल वाया विकासनगर मार्ग (उत्तराखण्ड की सीमा तक) का स्थायी सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत परमिट समय से प्राप्त न करने पर अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–09–2009 पर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2009 को मा0 उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुये श्री विवेक कुमार टण्डन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीत में रिट पिटीशन संख्या–1188/2010 पारित की गयी थी। जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 13–07–2010 को परमिट

जारी करने के उक्त आदेशों पर अगली सुनवाई पर रोक लगा दी है। जिसके अनुपालन में परमिट धारकों को प कार्यालय में जमा करने तथा वाहनों का संचालन तत्काल बन्द करने हेतु पंजीकृत पत्र दिनांक 17–07–2010 द्वारा निर्देश दिये गये हैं। साथ ही सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून को भी वाहन का संचालन बन्द करने के निर्देश दिये गये हैं। वर्तमान में मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

परमिट संख्या–पीएसटीपी–278 के परमिट के विरूद्ध धारा–86 की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में मामले को राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30–07–2010 के मद संख्या–15 (1) में विचार व आदेश हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये गये थे :–

''प्राधिकरण द्वारा मामले पर गम्भीरता से विचार किया गया तथा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि रिट पिटीशन संख्या–1188/2010 में पारित आदेश दिनांक 13–07–2010 के अनुपालन में देहरादून–कुल्हाल वाया विकासनगर मार्ग के परमिट संख्या–पीएसटीपी–278 पर संचालित वाहन संख्या–यूके07पीए–0501 का संचालन करने पर मा0 न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है। अतः उक्त परमिट के विरूद्ध धारा–86 के मामले को मा0 न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत स्थगित रखा जाता है। मामले पर मा0 न्यायालय के अंतिम आदेश प्राप्त हो जाने पर माम धारा–86 की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष विचार एवं आदेश हेतु पुनः प्रस्तुत किया जाय।''

प्राधिकरण के उक्त आदेशों के पश्चात् रिट पीटिशन संख्या–1188/2010 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 08–11–2010 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं :–

Learned counsel for the petitioner submitted that in respect of the route. namely, Dehradun-Ponta Sahab via Vikasnagar-Dakpathar a special appeal no. 200 of 2009 was filed in which Division Bench of this Court vide order dated 26.10.2009 restrained the State Transport Authority from granting any permit on Dehradun-Ponta Sahab via Vikasnagar-Dakpathar route unless there is a reciprocal agreement between the State of Uttarakhand and State of Himanchal Pradesh Learned counsel for the petitioner

further submitted that inspite of the order passed by the Division Bench of this Court the State Transport Authority has again passed orders on 23-07-2009 and 03-10-2009, which they cannot do.

Having heared the learned counsel for the parties, as an interim measure, it is directed that till next date of listing, operation of the impugned order dated 18-05-2009 and 25-09-2009 passed by the Commissioner Transport and order dated 23-07-2009 and 03-10-2009 passed by Secretary, State Transport Authority, Dehradun, shall remain stayed.

Stay application stand disposed of.

मा0 न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में कार्यालय के पत्र संख्या–5037/एसटीए/पीएसटीपी–278/2010–11 दिनांक 27–12–2010 द्वारा परमिट मुक्त किया जा चुका है। अतः परमिट धारक द्वारा दिनांक 28–01–2011 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। आवेदन पत्र में निवेदन किया है कि ***''मेरा परमिट कोट के स्टे के कारण एवं उस पर धारा–86 की कार्यवाही हेतु कार्यालय में जमा करवाया गया था जिससे मैनें परमिट पर संचालित वाहन संख्या–यूके07पीए–501 के कागजात आर0टी0ओ0, देहरादून में जमा कर दिये थे तथा गाडी को ह दिया था। प्राधिकरण द्वारा जो जुर्माना लगाया जायेगा मैं उसे जमा करूंगा। अतः अनुरोध है कि मेरे परमिट पर वाहन संख्या–यूके07पीए–0082 प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। जिससे मुझे अधिक नुकसान न हो।''***

परमिट धारक की उक्त प्रार्थना पर परमिट संख्या–पीएसटीपी–278 पर वाहन संख्या–यूके07पीए–0082 प्रतिस्थापन करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

(2) श्री किशन बड़थ्वाल पुत्र श्री सुरेश प्रसाद बड़थ्वाल निवासी विंग नं0–6, 15/3 प्रेमनगर, देहरादून के नाम समस्त भारतवर्ष का मैक्सी कैब परमिट संख्या–3306/एसटीए/06 है। जो दिनांक 29–12–2012 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूए07डी–5303 माडल 2002 संचालित है। श्री लेखराज, प्रान्तीय उपाध्यक्ष, स्टूडैन्ट फेडरेशन ऑफ इण्डिया,

81, न्यू पार्क रोड़, देहरादून द्वारा उक्त वाहन में कार्यरत चालक के विरूद्ध शिकायत की गयी है कि दिनांक 25–05–2011 को उनकी पत्नी प्रातः 8.00 बजे देहरादून में स्थित तहसील चौक के समीप बने टाटा सूमो स्टैण्ड से कोटद्वार जाने के लिए उक्त टाटा सूमो की पिछली सीट में अपनी छः वर्षीय बेटी के साथ बैठी। वाहन में कार्यरत चालक द्वारा उनकी छः वर्षीय बेटी को सीट न देकर कोटद्वार में दो सीट का निर्धारित मानको से अधिक किराया वसूला गया तथा वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठायी गयी और उनकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उनके द्वारा वाहन संख्या–यूए07डी–5303 के विरूद्ध उचित कार्यवाही की मांग की गयी है।

उक्त शिकायत के सम्बन्ध में परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–2228/एसटीए/दस–18 दिनांक 05–07–2011 द्वारा पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 19–07–2011 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये उल्लेख किया है कि ***''प्रार्थी की वाहन संख्या–यूए07डी–5303 नाम किशन बड़थ्वाल, विंग नं0–6 प्रेमनगर का वाहन मेरे नाम प्रकाश चन्द्र जोशी जो खुद ही वाहन चालक व वाहन मालिक है 25–05–2011 मैं स्वयं गाडी चला रहा थ यात्री के सीट न होने पर उसने शिकायत की है। भविष्य में उक्त प्रकार की गलती नहीं करूंगा।''***

(3) श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामशरण गुप्ता निवासी रामपुर रोड़, हल्द्वानी के नाम मोटरकैब परमिट संख्या–5571 है। जो समस्त भारतवर्षों के मार्गो हेतु दिनांक 01–06–2012 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूए04डी–0358 माडल 2006 संचालित है। श्री मोहम्मद राशिद पुत्र श्री मोहम्मद इस्माइल निवासी लेन नं0–12, आजाद नगर, हल्द्वानी ने दिनांक 15–05–2010 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा उक्त वाहन दिनांक 28–01–2009 में नीलामी में उनके नाम अवमुक्त की गयी है। उक्त वाहन को पूर्व में जारी किया गया परमिट निरस्त

करने की प्रार्थना की है। आवेदन पत्र के साथ नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी के नीलामी आदेश दिनांक 02–03–2009 की छायाप्रति संलग्न की है। जिसमें निम्न आदेश पारित किये गये है –

''थाना हल्द्वानी में स्थित 8 लावारिस वाहनों की नीलामी किये जानेह हेतु ए0सी0जी0एम0 हल्द्वानी द्वारा दिनांक 07–11–2008 को दिये गये निर्देश एवं एक वाहन की नीलामी किये जाने हेतु जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा सरकार बनाम देवेन्द्र कुमार गुप्ता अन्तर्गत धारा–6(ए) आव0वस्तु अधिनियम में अधोहस्ताक्षरी को दिये गये आदेश दि 12–01–2008 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को वाहन का नीलाम किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये आदेश के अनुपालन में थाना हल्द्वानी के लावारिस वाहनों की नीलामी हेतु प्रेस विज्ञप्ति 29 नवम्बर, 2008 को जारी की गई तथा दिनां 28–01–2009 को थाना हल्द्वानी में वाहनों की बोली बोलीदाताओं द्वारा बोली गई। वाहन एल्ट्रो कार संख्या–यूए04डी–358 का मूल्यांकन सम्भागीय परिवहन विभाग, कुमांऊ सम्भाग, हल्द्वानी के द्वारा 60,000.00 रूपये आका गया है। श्री मो0 राशिद पुत्र श्री मो0 ईस्माईल निवासी ला0न0 12 आजादनगर, हल्द्वानी द्वारा वाहन की 1,20,00.00 रूपये बोली लगाई गई है। जो वाहन मूल्यांकन से अधिक है। इनके सैल टैक्स जमा कर दिया गया है। वाहन एल्ट्रो कार संख्या–यूए04डी–358 को श्री मो0 राशिद पुत्र श्री मो0 ईस्माईल निवासी ला0न0 12, आदि की कार्यवाही बोल स्वयं कराना सुनिश्चित करें।''

श्री मो0 राशिद द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ वाहन संख्या–यूए04डी–358 के नीलामी आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत करने पर कार्यालय के पत्र संख्या–1636/एसटीए/5571/ए0आई0/2010–11 दिनांक 10–06–2010 द्वारा परमिट धारक श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामस्वरूप गुप्ता निवासी रामपुर रोड़, हल्द्वानी को वाहन संख्या–यूए07डी–0358 श्री मो0 राशिद के नाम नीलाम हो जाने के फलस्वरूप वाहन को जारी किया गया परमिट संख्या–5571 जो दिनांक 01–06–2012 तक समस्त भारतवर्ष के मार्ग हेतु वैध है, को दिनांक 25–06–2010 तक जमा करने के निर्देश दिये गये थे। परमिट धारक द्वारा उक्त समयावधि बीत जाने के पश्चात् आज तक उस वाहन को जारी किया गया परमिट इस कार्यालय में जमा नहीं किया गया है। श्री मो0 राशिद पुत्र श्री मो0 ईस्माईल द्वारा वाहन को जारी किया गया परमिट संख्या–5571 जो दिनांक 01–06–2012 तक वैध है, को निरस्त करने की प्रार्थना की है। ताकि वे उक्त वाहन अपने नाम हस्तान्तरण कर सके।

(4) श्री जमियत पुत्र श्री मो0 अली निवासी ग्रा0 सराय, ज्वालापुर, हरिद्वार के नाम मैक्सी कैब परमिट संख्या–6379/एसटीए/ए0आई0 है। जो समस्त भारतवर्ष के मार्गो हेतु दिनांक 03–02–2013 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूके08टीए–0050 माडल 2007 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा दिनांक 06–02–2008, 04–10–2008 एवं 12–10–2010 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1– चालान दिनांक 06–02–2008
(1) आर0सी0, आर0पी0, आई0सी0, प्रदूषण, मार्गकर, अतिरिक्त कर जमा का प्रमाण नहीं दिखाया।
(2) वाहन में 12 सवारी बैठी पायी गयी।
(3) चालक कक्ष में पार्टीशन नहीं है। चालान निस्तारित।

2–चालान दिनांक 04–10–2008
(1) वाहन चालक चण्डीघाट चौक पर वाहन रोककर फुटकर सवारी बैठा रहा था।
(2) वाहन पर 05 सवारियां बैठी हैं।
(3) लागबुक एवं पैसेन्जर लिस्ट नहीं है। चालान निस्तारित।

3–चालान दिनांक 12–10–2010
(1) वाहन 10 मे पास है जबकि वाहन में 12 सवारी बैठी है। क्षमता से 02 सवारी अधिक है।
(2) चालक के पास डी0एल0 नहीं है। चालान अनिस्तारित।

उक्त चालानों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–1086/एसटीए/2011 दिनांक 06–04–2011 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(5) श्री मनोज कुमार रावत पुत्र श्री प्रभु सिंह निवासी ग्राम खाटसा, पो0 सहिया, देहरादून के नाम मैक्सी कैब परमिट संख्या–6453/एसटीए/ए0आई0 है। जो समस्त भारतवर्ष के मार्गो हेतु दिनांक 14–02–2013 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूए07टी–8527 माडल 2007 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान क्षेत्राधिकारी विकासनगर द्वारा दिनांक 13–05–2010, थाना अध्यक्ष, कालसी द्वारा दिनांक 18–04–2011 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1– चालान दिनांक 13–05–2010
(1) वाहन में 14 सवारी पायी गयी।
(2) परमिट शर्तों का उल्लघंन किया जा रहा है। चालान निस्तारित।

2–चालान दिनांक 18–04–2011
(1) वाहन में सीटिंग क्षमता 10 है जबकि वाहन में कुल 13 सवारी बैठी है। चालान अनिस्तारित।

उक्त चालानों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–2442/एसटीए दिनांक 27–07–2011 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

(6) श्री कमल चन्द तिवारी पुत्र श्री जर्नादन तिवारी निवासी मं0न0–41, कुलसीवी, रानीखेत, अल्मोडा के नाम मोटर कैब परमिट संख्या–9437/एसटीए है। जो समस्त भारतवर्ष के मार्गो हेतु दिनांक 11–03–2015 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूके01टीए–0663 माडल 2010 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, हल्द्वानी द्वारा दिनांक 07–10–2010 एवं प्रवर्तन अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा दिनांक 12–01–2011 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1–चालान दिनांक 07–10–2010

(1) डी0एल0 की वैधता स्पष्ट नहीं है।

(2) वाहन में 05 के स्थान पर 06 सवारी बैठी पायी गयी है। चालान अनिस्तारित।

2–चालान दिनांक 12–01–2011

(1) वाहन में 05 के स्थान पर 06 सवारी बैठी हैं।

(2) 30–09–2010 के बाद कर अतिरिक्त कर जमा का प्रमाण नहीं दिखाया।

(3) प्रदूषण दिनांक 10–11–2010 को समाप्त है।

(4) डी0एल0 मे पर्वतीय मार्गों का पृष्ठांकन नहीं है। चालान अनिस्तारित।

उक्त चालानों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–2336/एसटीए दिनांक 18–07–2011 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(7) श्री रणजीत सिंह रौतेला पुत्र श्री दरवान सिंह निवासी 227, दीप नगर, अजबपुरकलां, देहरादून के नाम मोटर कैब परमिट संख्या–493/एसटीए है। जो समस्त उत्तराखण्ड के मार्गो हेतु दिनांक 08–05–2012 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूए07बी–4766 माडल 2002 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा दिनांक 10–11–2009 एवं प्रवर्तन अधिकारी, पौड़ी द्वारा 19–06–2010 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1–चालान दिनांक 10–11–2009

(1) कुल 06 के सापेक्ष 10 व्यक्ति ले जा रहे हैं।

(2) डी0एल0/आरपी के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। चालान निस्तारित।

2–चालान दिनांक 19–06–2010

(1) स्वीकृत क्षमता 06 के सापेक्ष 11 व्यक्ति ले जा रहे हैं।
(2) चालक ने डी0एल0 प्रस्तुत नहीं किया। चालान अनिस्तारित।

उक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–2235/एसटीए दिनांक 29–07–2010 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। जो अवितरित कार्यालय में वापस प्राप्त हुआ है।

(8) श्री हेमराज थापा पुत्र श्री पंच बहादुर निवासी 101 विनोद बस्ती, त्यूनी, देहरादून के नाम मैक्सी कैब परमिट संख्या–581/एल0के0यू0 है। जो समस्त उत्तराखण्ड के मार्गो हेतु दिनांक 14–07–2015 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूके07टीए–0532 माडल 2008 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान थाना अध्यक्ष, कालसी द्वारा दिनांक 14–10–2009 एवं 19–05–2011 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1–चालान दिनांक 14–10–2009
(1) वाहन 10 सवारी में पास है। जबकि वाहन में 19 सवारी ले जा रहें हैं। चालान निस्तारित।

2–चालान दिनांक 19–05–2011
(1) चालक के पास डी0एल0 नहीं है।
(2) गाड़ी में 13 सवारी बैठी है। जबकि 10 सवारी में पास है। चालान अनिस्तारित।

उक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–2455/एसटीए दिनांक 27–07–2011 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रश्नगत प्रकरण पर परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(9) श्री मगन गिरी पुत्र श्री शीतल गिरी निवासी ग्रा0 व पो0 दौलतपुर, जिला हरिद्वार के नाम मैक्सी कैब परमिट संख्या–1942/एसटीए है। जो समस्त उत्तराखण्ड के मार्गो हेतु दिनांक 29–07–2015 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूए08ई–9322 माडल 2005 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक, यातायात, देहरादून द्वारा दिनांक 16–04–2010 एवं क्षेत्राधिकारी, यातायात, देहरादून द्वारा दिनांक 07–04–2011 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1–चालान दिनांक 16–04–2010

(1) वाहन 10 सवारी में पास है जबकि मौके पर 16 सवारी बैठी हैं। 06 सवारी ओवरलोड है। चालान अनिस्तारित।

2–चालान दिनांक 07–04–2011

(1) मौके पर वाहन को चैक किया। वाहन 10 सवारी में पास है। जबकि 14 सवारी पायी गयी। चालान अनिस्तारित।

उक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–2454/एसटीए दिनांक 27–07–2011 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रश्नगत प्रकरण पर परमिट धारक द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(10) श्री विनोद ध्यानी पुत्र श्री शिवानन्द ध्यानी निवासी शिबू नगर, कोटद्वार, पौड़ी गढवाल के नाम मैक्सी कैब परमिट संख्या–2603/एसटीए है। जो समस्त उत्तराखण्ड के मार्गो हेतु दिनांक 31–08–2016 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूए12–7351 माडल 2006 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान उप जिलाधिकारी, चौबट्टाखाल द्वारा दिनांक 05–09–2008 एवं प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा दिनांक 24–09–2010, को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1–चालान दिनांक 05–09–2008

(1) वाहन 10 सीट में पास है। 15 सवारी बैठी हैं।

(2) वाहन का दो बार चालान किया गया है। चालान निस्तारित।

2–चालान दिनांक 24–09–2010

(1) आगे की सीट पर 03 व्यक्ति बैठे हैं। असुरक्षित संचालन।

(2) 10 के स्थान पर 13 सवारी ले जा रहे हैं।

(3) डी0एल0 के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। चालान अनिस्तारित।

उक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–31/एसटीए दिनांक 04–01–2011 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में वाहन स्वामी द्वारा 02–09–2011 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये उल्लेख किया है कि *''मेरी गाड़ी संख्या–यूए12–7351 का चालान दिनांक 24–09–2010 में हुआ था जो कि ओवर लोडिंग के अपराध में हुआ है, जिसमें 13 सवारी ले जा रहे थे जिसके कारण मेंरा परमिट सं0–2603 आपके कार्यालय में है। इस चालान को छुटाने के लिए में बहुत बार आया, लेकिन आप के कार्यालय के कर्मचारियों ने यह चालान मिटींग में छुटेगा।*

लेकिन इन महिनों के अन्तर्गत आपके कार्यालय में मिटिंग नहीं हुई, जिसके कारण इन महिनों में मेरा परमिट संख्या–2603 दिनांक 22–08–2011 को समाप्त हो गया है, जिसके कारण मैने अपनी गाडी भी खडी की हुई है। ज गाड़ी लोन पे है, अब आप ही बताये कि मे गाडी की किस्त भी कहां से दूंगा, जब कि मेरा कोई दूसरा व्यवसाय भी नहीं है। जिससे मैं अपनी गाडी की किस्त और अपने परिवार का खर्चा चला संकू।''

(11) श्री खुशाल सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह निवासी सुबेदार मौहल्ला, लैन्सडोन, पौड़ी गढ़वाल के नाम मैक्सी कैब परमिट संख्या–3120/एसटीए है। जो समस्त उत्तराखण्ड के मार्गो हेतु दिनांक 04–12–2012 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूए12–8266 माडल 2007 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा दिनांक 27–05–2009 एवं पौड़ी द्वारा दिनांक 12–01–2011 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1– चालान दिनांक 27–05–2009

(1) कुल 08 के सापेक्ष वाहन में 9 सवारी बैठी है। असुरक्षित संचालन।
(2) चालक के डी0एल0 के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।
(3) लागबुक, यात्री सूची नहीं बनायी गयी है।
(4) फुटकर सवारियों का ढुलान करते पाये गये। चालान निस्तारित।

2–स0स0प0अ0 पौडी चालान दिनांक 12–01–2011

(1) 08 के सापेक्ष 10 सवारी ले जाते पाये गये।
(2) 08 व्यक्तियों के लिए वाहन पास है। 10 व्यक्ति बैठाने की व्यवस्था की गयी है। चालान अनिस्तारित।

उक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–461/एसटीए दिनांक 11–02–2011 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रश्नगत प्रकरण पर परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(12) श्री यशवन्त सिंह परमार पुत्र श्री फुलेन्द्र सिंह निवासी खुरमोला, ब्रहमखाल, उत्तरकाशी के नाम मैक्सी कैब परमिट संख्या–3276/एसटीए है। जो समस्त उत्तराखण्ड के मार्गो हेतु दिनांक 05–12–2012 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूए10–4941 माडल 2007 संचालित है। उक्त वाहन दिनांक 09–12–2009 को धरासू–नालूपान के समीप क्षमता से अधिक सवारी ले जाने पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के फलस्वरूप सहायक परिवहन आयुक्त ने पत्र

संख्या–3115/टी0आर0/ दस–35/131/2009–10 दिनांक 05–10–2010 के द्वारा परमिट संख्या–3276 के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की संस्तुति की गयी है तथा उनके द्वारा अपर जिलाधिकारी, डुण्डा द्वारा दिनांक 12–03–2010 को प्रस्तुत मजिस्ट्रीयल जांच आख्या की प्रति संलग्न की गयी है। जो निम्नवत है :–

''दिनांक 09–12–2009 को प्रातः करीब 9.10 बजे बडकोट से उत्तरकाशी जा रही महिन्द्रा मैक्स टैक्सी संख्या–यूए10–4941 ऋषिकेश–उत्तरकाशी मोटरमार्ग पर नालूपाणी में दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 12 लोगों की वाहन चालक घायल हुआ। दुर्घटना की जिला मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी के आदेश संख्या–1283/20–5 (2008–09 दिनांक 14–12–2009 से अधोहस्ताक्षरी को दुर्घटना का मजिस्ट्रियल जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच में सार्वजनिक सूचना पत्रांक मेमो/म0जांच–(03) मैक्स संख्या–यूए10–4941 दिनांक 19–01–10 जारी की गई। दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच आख्या बिन्दुवार इस प्रकार है :–

*1– **दुर्घटना का कारण –***

दुर्घटना के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना के बाद भी कोई व्यक्ति साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुआ। नायब तहसीलदार/तहसीलदार डुण्डा की आख्यानुसार मैक्स संख्या–यूए10–4941 के घटनास्थल पर आते ही अचानक चट्टान से पत्थर वाहन पर गिरने के कारण वाहन अनियन्त्रित होकर सड़क से करीब 200 मीटर नीचे भागीरथी में जा गिरी।

*2– **वाहन में सवार व्यक्तियों की संख्या चालक सहित :–***

दुर्घटना के समय वाहन में चालक सहित 13 लोग सवार थे, जिसमें 12 की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो हुई तथा वाहन चालक घायल हुआ था।

*3. **मृतकों की वास्तविक संख्या व घायलों की विकलांगता का प्रतिशत :–***

दुर्घटना में 12 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी तथा वाहन चालक घायल हुआ, जिसकी विकलांगता की कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

*4. **मृतकों के उत्तराधिकारियों के नाम पता :–***

क्र0	*मृतक व्यक्ति का नात पता*	*मृतक के वारिसों के नाम पते*	*मृतक से सम्बन्ध*	*आयु*

सं0				
1	दिनेश सिंह जयाडा पुत्र गोपाल सिंह उम्र 30 वर्ष ग्राम डख्याटगांव	1. श्रीमती कविता पत्नी दिनेश सिंह 2. सर्वेश सिंह पुत्र ,, 3. कु0 कामना पुत्री ,,	पत्नी पुत्र पुत्री	31 10 08
2	जयेनद्र सिंह पुत्र मालचन्द, उम्र 58 वर्ष खनेड़ा, बडकोट	1. श्रीमती राजेन्द्री पत्नी जयेन्द्र सिंह 2. जयदेव सिंह 3. हरदेव सिंह 4. गोपाल सिंह पुत्रगण जयेन्द्र सिंह	पत्नी पुत्र ,,	50 32 28
3	दयाल सिंह पुत्र धूम सिंह उम्र 58 वर्ष खनेडा, बडकोट	1. श्रीमती जगदेईपत्नी दयाल सिंह 2. संजय पुत्र 3. हरपाल सिंह	पत्नी पुत्र	58 25
4	बालम सिंह पुत्र भवान सिंह उम्र 62 वर्ष ग्राम पौन्टी बडकोट	1. बिक्रम सिंह 2. अनीत व पुत्र 3. नितीन पुत्रगण बालम सिंह	पुत्र	54
5	विजयपाल सिंह पुत्र अतर सिंह 68 वर्ष पौन्टी, बडकोट	1. श्रीमती प्रेमपति पत्नी विजयपाल 2. जय सिंह 3. हरदेव सिंह पुत्र ,,	पत्नी पुत्र	63 28
6	गुलाबू पुत्र खिलारू उम्र 55 वर्ष ग्राम फैड़ी, भण्डारस्यू	1. श्रीमती सुरभादेवी पत्नी गुलाबू 2. धर्मलाल, रामलाल, अनूपलाल (पुत्र)	पत्नी पुत्र	50 24
7	राजेश उर्फ शम्भू पुत्र सूरजमणी 28 वर्ष ग्राम पनोथ, भण्डारस्यूं	1. श्रीमती कविता पत्नी राजेश 2. रंजीता 3. राहुल ,, 4. अभिशक 5. अभिजीत	पत्नी पुत्र	25 9 8
8	विपिन गिरी पुत्र ओमप्रकाश उम्र 25 वर्ष क्लेमेन्टाउन देहरादून	1. श्रीमती आशा गिरी पत्नी विपिन गिरी क्लेमेन्टाउन देहरादून	पत्नी	—
9	महेन्द्र सिंह हरित पु. रामलाल हरित उम्र 52 वर्ष म.335 ई. ब्लाक शास्त्री नगर, मेरठ	1. श्रीमती राजबाला पत्नी महेन्द्र सिंह हरित म.335 ई. ब्लाक शास्त्री नगर, मेरठ	—	—
10	बिजेन्द्र प्रसाद पुत्र बिशम्बर प्रसाद उम्र 28 वर्ष ग्राम बल्ला, डुण्डा।	श्रीमती भारती नौटियाल पत्नी बिजेन्द्र प्रसाद ग्राम बल्ला, डुण्डा	पत्नी	23
11	बिक्रम सिंह पुत्र अतर सिंह 60 वर्ष, पौन्टी, बडकोट	—	—	—
12	धनसिंह उर्फ धनबबहादुर नैपाली पुत्र काल्या, भैन्त,	अज्ञात	—	—

	रूकूम, रापति नैपाल			

उक्त में एक मृतक नैपाली होने से अभी उसके वारिस का पता नहीं हो पाया है।

उक्त वाहन दुर्घटना में वाहन चालक श्री मनोज कुमार पुत्र दर्शनलाल उम्र 23 वर्ष ग्राम सरतली वाला घायल हुआ था। जो अब स्वस्थ हो गया है तथा उसकी विकलांगता के बाबत कोई प्रमाण प्राप्त नहीं है।

5. ***परिवहन अधिकारी की तकनिकी रिपोर्ट :–***

दुर्घटनाग्रस्त वाहन सड़क से नीचे गंगानदी में गिरी था। परिवहन अधिकारी व थानाध्यक्ष धरासू से लिखने के बावजूद वाहन की तकनिकी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

6. ***वाहन के उपयोग का प्रकार :–***

दुर्घटनाग्रस्त टैक्सी संख्या–यूए10–4941 का उपयोग टैक्सी के रूप में होता था।

वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाने के कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–3317/एसटीए दिनांक 19–10–2010 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(13) श्री भारतभूषण बिष्ट पुत्र श्री मंगल सिंह निवासी ग्रा0 व पो0 अगरोड़ा, जिला पौड़ी गढवाल के नाम मैक्सी कैब परमिट संख्या–3397/एसटीए है। जो समस्त उत्तराखण्ड के मार्गो हेतु दिनांक 11–12–2012 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूए12ए–2580 माडल 2007 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, पौडी द्वारा दिनांक 14–07–2009, 22–07–2009 एवं दिनांक 19–01–2011 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1–चालान दिनांक 14–07–2009

(1) 10 के सापेक्ष 11 व्यक्ति ले जा रहे हैं।
(2) डी0एल0 प्रस्तुत नहीं किया गया। चालान सी0जी0एम0 न्यायालय भेजा गया।

2–चालान दिनांक 22–07–2009
(1) 10 के स्थान पर 11 व्यक्ति ले जा रहे हैं।
(2) डी0एल0 प्रस्तुत नहीं किया। चालान सी0जी0एम0 न्यायालय भेजा गया।
3–चालान दिनांक 19–01–2011
(1) वाहन 9+1 में पास है, वाहन में 11 सवारी यात्रा कर रहे हैं। चालान अनिस्तारित।

उक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–922/एसटीए दिनांक 17–03–2011 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(14) श्री शेर सिंह राणा पुत्र श्री चतर सिंह राणा निवासी 200 वाणी विहार, रायपुर, जिला देहरादून के नाम मैक्सी कैब परमिट संख्या–3718/एसटीए है। जो समस्त उत्तराखण्ड के मार्गो हेतु दिनांक 26–12–2012 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूए07एस–1536 माडल 2007 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, देहरादून द्वारा दिनांक 27–03–2011 एवं दिनांक 09–04–2011 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1–चालान दिनांक 27–03–2011
(1) 10 के स्थान पर 11 सवारी बैठी पायी गयी।
(2) चालान दिनांक 20–04–2011 को निस्तारित किया गया।

2–चालान दिनांक 09–04–2011
(1) वाहन में 12 सवारी बैठी पायी गयी। चालान अनिस्तारित।

उक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–1319/एसटीए दिनांक 27–04–2011 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(15) श्री हीरा सिंह पुत्र श्री शेर सिंह निवासी डुगरलेटी, लोहाघाट, जिला चम्पावत के नाम मैक्सी कैब परमिट संख्या–4921/एसटीए है। जो समस्त उत्तराखण्ड के मार्गो हेतु दिनांक 07–04–2011 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूके03टीए–0074 माडल 2008 संचालित है। उक्त वाहन दिनांक 01–12–2010 को लोहाघाट–लेटी मोटरमार्ग पर तोक डांगबटी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो जाने एवं वाहन में 10 व्यक्तियों की मृत्यु व 06 घायल हो जाने के कारण क्षमता से अधिक सवारी ले जाने से हुयी जानमाल की हानि के दृष्टिगत सहायक परिवहन आयुक्त, मुख्यालय द्वारा पत्र संख्या–3129/टी0आर0 दिनांक 05–10–2010 द्वारा परमिट के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की संस्तुति की गयी है तथा पत्र के साथ उप जिलाधिकारी, लोहाघाट की जांच आख्या दिनांक 27–03–2010 की प्रति संलग्न की है। जिसमें दुघर्टना का निम्न कारण दर्शाया गया है :–

''बयानकर्ता श्री गोपाल सिंह पु0 नैन सिंह उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम लेटी डुंगरा, पटवारी क्षेत्र रौसाल तहसील लोहाघाट जिला चम्पावत द्वारा दिये गये बयान व निरीक्षक कोतवाली पंचेश्वर की रिपोर्ट के अनुसार एवं पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विदित होता है कि मृतक चालक शिवराज सिंह पु0 लाल सिंह निवासी उपरोक्त के द्वारा दुर्घटना के समय वाहन चलाना पाया गया। वाहन में क्षमता से अधिक सवारी पाये जाने (ओवर लोडिंग) होने क वाहन दुर्घटनाग्रस्त होना पाया गया। तथा सीनियर फोरमैन डिपो कार्यशाला लोहाघाट द्वारा भी अवगत कराया कि वाहन संख्या–यूके03टीए–0074 महिन्द्रा मिनी बस की उपरोक्त क्षतियां दुर्घटना के दौरान होनी प्रतीत होती है।''

उक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–3316/एसटीए दिनांक 19–10–2010 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(16) श्री चरण सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह निवासी ग्राम डिंगारी, पो0 सरनाल, उत्तरकाशी के नाम मैक्सी कैब परमिट संख्या–5010/एसटीए है। जो समस्त उत्तराखण्ड के मार्गो हेतु दिनांक 19–05–2014 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूके10टीए–0109 माडल 2009 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के तहसील पुरोला द्वारा दिनांक 30–11–2009 एवं उपजिलाधिकारी, पुरोला द्वारा दिनांक 12–05–2010 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1–चालान दिनांक 30–11–2009

(1) गाड़ी की छत पर 08 सवारी बैठी थी।
(2) पैर पर जूते नहीं थे।
(3) मांगने पर कागज देने में टाल–मटौल कर रहा था।
(4) गाड़ी में लकडी का गुटका नहीं था। चालान निस्तारित।

2–चालान दिनांक 12–05–2010

(1) वाहन में कुल 36 सवारियां बैठी थी। जिसमें से 20 सवारी वाहन के द्वार पर बैठी थी।
(2) कागजात मांगने पर वाहन चालक वाहन को भगाकर मौके से फरार हो गया। चालान अनिस्तारित।

उक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–2449/एसटीए दिनांक 19–08–2010 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

राज्य परिवहन प्राधिकारण की बैठक दिनांक 31–10–2011 की कार्यसूची के अन्य मद संख्या–16 (5) का परशिष्ट ''ज''

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 81 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नियमावली 1998 (जो वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में लागू है) के नियम 81 में दिये गये प्राविधानुसार देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों के नवीनीकरण के लिये प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्रं0 सं0	परमिट संख्या, वैद्यता एवं वाहन संख्या	परमिट धारक का नाम व पता	प्रार्थना पत्र प्राप्ती की तिथि	समय से अथवा विलम्ब से	अन्य विवरण
1	1072/115 19–07–2009 यूए 07 बी–6279	श्री चन्द्र प्रकाश ग्रोवर पुत्र श्री हरनाम दास ग्रोवर निवासी हॉस्पीटल रोड विकासनगर देहरादून।	29–05–2009	समय सें	–
2	1078 30–03–2010 यूके07पीए–0795	श्री ज्योति सिंह पुंडीर पुत्र श्री भोपाल सिंह, 24 किशन नगर, देहरादून।	22–02–2010	समय से	–
3	1521 07–03–2010 यूए07एम–7036	श्री किशन चन्द पुत्र श्री ज्योती प्रसाद निवासी ग्राम व पो0 हर्बटपुर देहरादून।	18–02–2010	समय सें	**1– निरीक्षक, यातायात, पुलिस लाईन देहरादून का चालान दिनॉक** 09–01–2007 (1) वाहन मे चालक सहित 112 सवारी बैठ थी, जबकि वाहन 55 सीट में पास है, वाहन में 57 सवारी ओवरलोड है। चालान निस्तारित। **2– चालान दिनॉक 28–04–2009** (1)– वाहन मे 30 सवारी बैठी है, परिचालक द्वारा सवारियों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। परमिट शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। (2) कर तथा अति0 कर जमा प्रमाण पत्र नहीं दिखाया। (3) स्वास्थता प्रमाण पत्र नहीं दिखाया। (4) परिचालक ने कन्डक्टरी लाईसेंस नहीं

					दिखाया। (5) बीमा प्रमाण पत्र नहीं दिखाया। परमिट के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। **चालान अनिस्तारित।**
4	1524 13–03–2010 यूपी 07के–9147	श्री रमेश चन्द पुत्र श्री जय सिंह निवासी 191/15/13 धर्मपुर द्वितिय देहरादून।	08–09–2009	समय से	–
5	1526/75–एसटीए 15–03–2010 पीबी 13जी–5517	श्री संदीप कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हरी किशन अग्रवाल निवासी 14/2 ईस्ट रेस्ट कैम्प चन्दर नगर देहरादून।	15–02–2010	समय से	–
6	1530/125 17–03–2010 यूपी11टी–2875	श्री जितेन्द्र जोशी पुत्र श्री एस0एन0जोशी, निवासी अटट्न बाग, हरबर्टपुर, देहरादून।	18–02–2010	समय से	–
7	1533/83 22–03–2010 पीबी08एएन–3255	श्री बालकिशन अग्रवाल पुत्र श्री प्यारेलाल अग्रवाल, 226 डी, चन्दर नगर, देहरादून।	22–02–2010	समय से	–
8	1534/129 22–03–2010 यूके07पीए–0621	श्री राजकुमार गोयल व श्री भूपेन्द्र गौड़, पुत्रगण सर्व श्री जयप्रकाश गोयल एवं सरन किशोर गौड निवासी पौंटा रोड़, हरबर्टपुर, देहरादून।	22–02–2010	समय से	–
9	1535/71 24–03–2010 यूए07जी–0255	श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री पन्ने राम निवासी सहसपुर, देहरादून।	22–02–2010	समय से	–
10	1536 24–03–2010 यूपी07एफ–0941	श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द निवासी ग्रा0 व पो0 सहसपुर, देहरादून।	19–02–2010	समय से	–
11	1537/87/एसटीए 24–03–2010 यूके07पीए–0784	श्री सईद अहमद पुत्र श्री नजीर अहमद निवासी रामपुर देहरादून।	09–03–2010	समय से	–
12	1538 24–03–2010	श्री योगेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामानन्द निवासी सेलाकुई देहरादून।	26–10–2009	समय से	प्रार्थी द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 28–02–2009 मे धारा 86 के

	यूपी 07 के–9550				अन्तर्गत निर्धारित **प्रशमन शुल्क रू0 5,000 जमा नही किया गया हैं।**
13	1539 22–03–2010 यूपी14क्यू–5121	श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री स्वरूप सिंह निवासी 30 संजय कालोनी, गांधीग्राम, देहरादून।	22–02–2010	समय से	–
14	1541/72–एसटीए 28–03–2010 यूपी 07एफ–8278	श्री मोहम्मद आलम पुत्र श्री नेक मोहम्मद निवासी फतेहपुर हर्बटपुर देहरादून।	15–03–2010	02 दिन विलम्ब से प्राप्त	–
15	1543 29–03–2010 एचपी 21ए–1754	श्रीमती सन्तोष भाटिया पत्नी स्व0 श्री नरेन्द्र भाटिया निवासी 3/9/4 प्रेमनगर देहरादून।	24–08–2009	समय सें	–
16	1546 29–03–2010 यूपी 07एच–0041	श्री के0 एल0 भाटिया पुत्र श्री जी0पी0 भाटिया निवासी विंग नं 3 बी0के0 914 प्रेमनगर देहरादून।	02–03–2010	समय से	–
17	1547 29–03–2010 यूए 07बी–6311	श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोपी चन्द्र निवासी 14 अखाडा मोहल्ला देहरादून।	24–10–2009	समय से	–
18	1558 21–09–2010 यूए07डी–0429	श्री कुन्ज बिहारी लाल पुत्र श्री श्याम सुन्दर लाल, मैन रोड़, विकासनगर, देहरादून।	07–10–2010	15 दिन विलम्ब से।	–
19	1581/73 02–09–2011 यूके07पीए–0869	श्री हरी सिंह पुत्र श्री उदयराज सिंह निवासी 41 घोषी गली, देहरादून।	30–08–2011	समय से	–
20	1775 31–01–2010 यूए 12–5268	श्री एन0पी0 शर्मा पुत्र श्री पारस राम निवासी रेस्ट कैम्प त्यागी रोड देहरादून।	14–10–2009	समय से	–
21	1863/68 18–09–2011 यूए07एन–2355	श्री एस0के0श्रीवास्तव पुत्र श्री डी0पी0 श्रीवास्तव, 25/38, खदरी मौहल्ला, देहरादून।	03–09–2011	समय से	–
22	1867/76 14–11–2011 यूपी07एच–5062	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द निवासी 613 राजेन्द्र नगर, देहरादून।	13–10–2011	समय से	–

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 31–10–2011 की कार्यवाही ।

उपस्थितिः–

1– श्री आर0सी0 पाठक, आई0ए0एस0 — अध्यक्ष।
परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

2– श्री प्रेम सिंह खिमाल, — सदस्य।
अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

3– श्री ललित मोहन, — सदस्य।
मुख्य अभियन्ता, स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड।

4– श्री राकेश गोयल, — सदस्य।
शिवमूर्ति, जस्साराम रोड़,
हरिद्वार।

5– श्री हरीश पन्त, — सदस्य।
सांई कालोनी,
अल्मोड़ा।

6– श्री विनोद प्रसाद रतूड़ी, — सचिव।
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,

उत्तराखण्ड।

संकल्प संख्या–01

मद संख्या–01 के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 30–07–2010 की कार्यसूची के मद संख्या–01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15 में पारित आदेशों का पुष्टिकरण किया गया तथा मद संख्या–01 के क्रमांक–06 में चालक लाइसेन्स नवीनीकरण करते समय राज्य सरकार के चालक प्रशिक्षण संस्थान में दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स की शर्त को छोड़कर शेष मद की पुष्टि की गयी। उपरोक्त के अतिरिक्त मद संख्या–01 के क्रमांक–08 में वर्णित सभी सम्भागों के पर्वतीय मार्गों पर संचालित बसों का ओवरहैंग 60 प्रतिशत को इस शर्त पर पुष्टि की जाती है कि इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड से राज्य के पर्वतीय मार्गों पर सुगमता से कितने मापदण्ड की बसें संचालित की जा सकेंगी, के सम्बन्ध में मार्गों का संयुक्त सर्वेक्षण किया जाय। प्राधिकरण के इन आदेशों से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को अवगत कराया जाय।

मद संख्या–01 के क्रमांक–16 के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–75 में दिये गये प्राविधानानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्र सरकार द्वारा मोटर साईकिलों को उन व्यक्तियों के लिए जो अपने उपयोग के लिये मोटर साईकिल चलाना चाहते हैं, किराये पर देने के व्यापार और उससे सम्बन्धित मामलों का विनियमित करने के लिए ''**मोटर साईकिल किराया योजना (स्कीम), 1997**'' बनायी गयी है, जो दिनांक 12–05–1997 से प्रभावी है। उक्त योजना में दिये गये प्राविधानानुसार मोटर साईकिलों को किराये पर देने के सम्बन्ध में लाईसेन्स जारी करने हेतु श्री गुरविन्दर सिंह सेठी एवं अन्य प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये। उनके द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड नवोदित राज्य है तथा राज्य में पर्यटक स्थलों का बाहुल्य है। देश–विदेश से आने वाले पर्यटकों/तीर्थ यात्रियों को राज्य के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों तक मोटर साईकिल के माध्यम से यातायात सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है। दिल्ली,

गोवा एवं महाराष्ट्र राज्यों में लागू योजना की भांति इस राज्य में भी रोजगार एंव पर्यटन के दृष्टिकोण से इस राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत लागू किया जाय।

प्राधिकरण द्वारा सभी सम्बन्धित को सुनने एवं केन्द्र सरकार द्वारा मोटर साईकिलों को किराये पर देने के लिए बनायी गयी किराया योजना (स्कीम), 1997 में दी गयी शर्तों एवं श्री गुरविन्दर सिंह सेठी तथा अन्य के तर्कों पर गम्भीरता से विचार–विमर्श किया गया। प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य में रोजगार एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी उक्त योजना को उत्तराखण्ड राज्य में क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रार्थियों द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं, तो नियमावली में दी गयी सभी औपचारिकतायें पूर्ण करने वाले आवेदकों के आवेदन पत्रों को प्राधिकरण की नियमित बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

संकल्प संख्या–02

मद संख्या–02 (अ), (ब) एवं (स) के अन्तर्गत सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–57 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये गये परमिटों के प्रार्थना पत्रों पर पारित आदेशों का अनुमोदन किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मद के क्रमांक (द) में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक 16–07–2010 से 30–09–2011 तक की अवधि में विभिन्न प्रकार के परमिटों को निरस्त करने के सम्बन्ध में पारित आदेशों का अनुमोदन किया जाता है। साथ ही समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब/मैक्सी कैब परमिटों पर 05 वर्ष से कम अवधि के निजी में परिवर्तित करने हेतु परमिट निरस्त

किये गये हैं तथा जिन परमिटों पर लोअर मॉडल की वाहन लगायी गयी है, ऐसे परमिटों का अनुमोदन नहीं किया जाता है।

संकल्प संख्या–03

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–82(1) व (2) में दिये गये प्राविधानानुसार मद संख्या–3 में उल्लिखित समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस परमिटों के हस्तान्तरण के कुल **305** मामलों में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड/सहायक परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिनिधायन के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत परमिटों के हस्तान्तरण के प्रार्थना पत्रों पर पारित आदेशों का अनुमोदन किया जाता है।

संकल्प संख्या–04

मद संख्या–4 में उल्लिखित रामनगर–श्रीबद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी– 02, 07, 62, 64, 65, 66, 67, 68 **एवं** 69 के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में प्रतिनिधायन के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन किया जाता है।

संकल्प संख्या–05

मद संख्या–5 के अन्तर्गत ट्रैक्टर को व्यवसायिक में पंजीकृत करने के सम्बन्ध में श्री शंकर चन्द रमोला, महामंत्री, उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी, देहरादून के पत्र को राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण द्वारा आवेदक श्री शंकर चन्द रमोला को पुकारा गया। पुकारने पर वे अनुपस्थित पाये गये। प्राधिकरण द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–41 का अवलोकन किया गया। धारा–41 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पावर टीलर एवं ट्रैक्टर (जिनका सार्वजनिक सड़क पर उपयोग हो) परिवहन यान की श्रेणी में रखा गया है एवं कृषि ट्रैक्टर और पावर टीलर को अपरिवहन (अव्यवसायिक) यान की श्रेणी में रखा गया है। प्रकरण पर राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष विचारण हेतु कोई विवाद्यक नहीं है। प्राधिकरण द्वारा श्री रमोला के प्रत्यावेदन पर गम्भीरता से विचार करते हुये अधिनियम की धारा–2(44) के अनुसार परिभाषित श्रेणी के ट्रैक्टर ट्रालियों द्वारा चैकिंग के दौरान मोटरयान अधिनियम एवं नियमावली का उल्लघंन करने पर प्रदेश के सभी प्रवर्तन अधिकारियों को ऐसे वाहनों के विरूद्ध कठोर प्रवर्तन की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाय।

संकल्प संख्या–06

मद संख्या–06 के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 30–07–2010 के मद संख्या–06 में व्यवसायिक चालक अनुज्ञप्ति नवीनीकरण कराते समय रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग करने की अनिवार्यता की शर्त में संशोधन करने विषयक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी/अल्मोड़ा के पत्र संख्या–278/सा0–प्र0/दो–2/2010 दिनांक 18–10–2010 को प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30–07–2010 के मद/संकल्प संख्या–6 का अवलोकन किया गया, जिसमें प्राधिकरण द्वारा 05 वर्ष से अधिक पुराने लाईसेन्स धारक ही वाहन पर सेवायोजित किया जायेगा, की शर्त में संशोधन करते हुये व्यवसायिक वाहन चालकों के चालक लाईसेन्सों को नवीनीकरण करते समय चालकों द्वारा राज्य सरकार के चालक प्रशिक्षण संस्थान से दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग करना अनिवार्य किया गया था।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी/अल्मोड़ा द्वारा परिवहन यान के लाईसेन्स धारकों को रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग करने हेतु देहरादून स्थित चालक प्रशिक्षण संस्थान की बाध्यता से आने वाली कठिनाईयों के दृष्टिगत कुमांऊ के चालकों को उक्त शर्त से छूट देने का अनुरोध किया गया था। उक्त शर्त अधिरोपित करने में हो रही कठिनाईयों के दृष्टिगत तत्कालीन अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण/परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकरण के उक्त आदेशों का अनुपालन आगामी बैठक तक स्थगित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा स्थापित चालक प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून के संचालक श्री पुनीत खुराना प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये उनके द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि प्रशिक्षण संस्थान में कोई प्रशिक्षु प्रशिक्षण हेतु नहीं आ रहे हैं, जिससे संस्थान का अपना कोई व्यवसाय नहीं है। उनके द्वारा व्यवसायिक चालक लाईसेन्स नवीनीकरण करते समय चालक प्रशिक्षण संस्थान में दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग करने की शर्त यथावत रखने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा श्री पुनीत खुराना को सुनने एवं सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी/अल्मोड़ा द्वारा उल्लिखित कठिनाईयों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार का एक ही चालक प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून में होने के कारण राज्य के सुदूर क्षेत्रों से व्यवसायिक चालकों को लाईसेन्स नवीनीकरण करते समय देहरादून, चालक प्रशिक्षण संस्थान में दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–72 की उपधारा–2(xxii), धारा–74 की उपधारा–2(ix), एवं धारा–76 की उपधारा–3(iii) में दी गयी व्यवस्थानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार के चालक प्रशिक्षण संस्थान के स्थान पर व्यवसायिक चालक लाईसेन्स नवीनीकरण करते समय दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स के सम्बन्ध में निम्न शर्त को जोड़ा जाता है :–

1– कुमांऊ मण्डल में अल्मोड़ा, हल्द्वानी एवं गढवाल मण्डल में श्रीनगर में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) से भी व्यवसायिक चालक लाईसेन्स धारक द्वारा दो दिन का रिफ्रेशर कोर्स का प्रमाण पत्र प्रस्तुत

करने पर राज्य के सम्बन्धित लाईसेन्सिंग अधिकारी, मोटर वाहन विभाग द्वारा नवीनीकरण करने की कार्यवाही की जाय।

2– श्री सुधांशु गर्ग, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी/प्राविधिक अधिकारी, मुख्यालय द्वारा रिफ्रेशर कोर्स हेतु पाठ्यक्रम तैयार करते हुये उपरोक्त प्रशिक्षण संस्थानों को उपलब्ध कराया जाय।

3– उक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड से श्री गर्ग सम्पर्क करेंगे तथा 10 दिन के अन्दर अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

संकल्प संख्या–07

मद संख्या–07 के अन्तर्गत मैसर्स स्नो लैपर्ड एडवेन्चर प्रा0 लि0 के प्रत्यावेदन दिनांक 13–07–2011 को प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा उनके प्रतिनिधि को पुकारा गया, पुकारने पर प्राधिकरण के समक्ष मैसर्स स्नो लैपर्ड एडवेन्चर प्रा0 लि0 के प्रतिनिधि श्री बजाज उपस्थित हुए। श्री बजाज द्वारा प्राधिकरण को अवगत् कराया गया कि उनकी संस्था टूरिस्ट ट्रान्सपोर्ट्स आपरेटर के नाम से पंजीकृत है एवं पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। M/s Snow Leopard Adventures Pvt. Ltd. के शिवपुरी, ऋषिकेश में पर्यटक आवास हैं एवं इनके द्वारा एक स्वराज माजदा, ए0सी0 बस, जिसका व्हीलबेस 4760 एम0एम0 है, को ऋषिकेश से शिवपुरी पर्यटक आवास तक एवं ऋषिकेश से श्रीनगर तक संचालित किया जाना है। उनके द्वारा विशेष परिस्थितियों में 4760 एम0एम0 व्हीलबेस की वाहन संख्या–यूके07पीसी–0215 को संचालित करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण द्वारा श्री बजाज को सुनने एवं प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03–03–2001 के मद/संकल्प संख्या–20 एवं बैठक दिनांक 30–07–2010 के मद/संकल्प संख्या–8 में निर्धारित माप दण्डों एवं सहायक सम्भागीय पविरहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा प्रस्तुत आख्या का अवलोकन करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–72 की

उपधारा– 2(xxii), धारा–74 की उपधारा–2(ix) एवं धारा–76 की उपधारा–3 (iii) में दी गयी शक्ति का प्रयोग करते हुये प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजन के दृष्टिगत् 187 इन्च व्हील बेस (4760 एम0एम0) एवं 50 प्रतिशत् ओवरहैंग की स्वराज माजदा वाहन संख्या यूके07पीसी–0215, को ऋषिकेश–श्रीनगर मार्ग पर केवल ऋषिकेश से कौड़ियाला तक बस संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। यदि उक्त मापदण्डों के अनुरूप वाहन को अन्य वाहन स्वामी द्वारा भी प्रश्नगत मार्ग पर बस चलाने की अनुमति हेतु आवेदन किया जाता है, तो उन्हें भी ऋषिकेश से कौड़ियाला तक ही अनुमति दी जाय।

संकल्प संख्या–08

मद संख्या–08 के अन्तर्गत रामनगर–श्रीबद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–33 की स्वामिनी श्रीमती चम्पा वैला पत्नी श्री जगदीश चन्द को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर प्रार्थिनी अनुपस्थित पायी गयी। प्रार्थिनी के अनुपस्थित होने के कारण मामले को अगली बैठक के लिए स्थगित किया जाता है।

संकल्प संख्या–09

मद संख्या–09 के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–83 में दिये गये प्राविधानानुसार परमिटों पर वाहन प्रतिस्थापित करने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने सम्बन्धी मामले को प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा सभी प्रकार के परमिटों पर यानों को बदलने (प्रतिस्थापित) के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम,

1988 की धारा–83 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–84 (1) पर गम्भीरता से विचार करते हुये सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–83 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (जो वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त है) के नियम–84 (1) में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन किया जाय।

संकल्प संख्या–10

मद संख्या–10 के अन्तर्गत मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून के ऋषिकेश–ग्वालियर वाया हरिद्वार–आगरा मार्ग एवं मसूरी–दिल्ली–ग्वालियर मार्ग के लिए प्राप्त 02–02 स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों के सम्बन्ध में निगम के प्रतिनिधि, श्री मुकेश सिंह, मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), देहरादून प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये। प्राधिकरण द्वारा निगम के प्रतिनिधि को सुनने एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–6 में दिये गये प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड शासन, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या–86/ix/2010 /06/2008 दिनांक 30–04–2010 जारी हो जाने के पश्चात् उत्तराखण्ड एवं मध्य प्रदेश राज्य के मध्य पारस्परिक परिवहन करार पर बनी सहमति का अनुपालन करते हुये मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून को मद में उल्लिखित ऋषिकेश–ग्वालियर वाया बरेली–आगरा अन्तर्राज्यीय मार्ग पर 02 एकल फेरे एवं मसूरी–दिल्ली–ग्वालियर मार्ग पर 02 एकल फेरे के स्थायी गाड़ी परमिट 05 वर्ष की अवधि के लिए पूर्व प्रतिबन्धों, सामान्य शर्तों एवं करार में दी गयी शर्तो के साथ सम्बन्धित राज्य में पड़ने वाले मार्ग भाग के लिए प्रतिहस्ताक्षर की शर्त पर स्वीकृत किये जाते है। स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु दो माह का समय प्रदान किया जाता है। समय की गणना स्वीकृति पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से की जायेगी, समय सीमा समाप्त हो जाने पर स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

संकल्प संख्या–11

मद संख्या–11 के अन्तर्गत श्री बद्रीनाथ–केदारनाथ धार्मिक स्थल होने तथा इन धार्मिक स्थानों में देश–विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रामनगर–श्रीबद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के लिए स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त 22 प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में आवेदकों को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर उनके प्रतिनिधि प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये। प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को आवेदनों के परीक्षणोपरान्त मामले पर विचार करते हुये विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मद में वर्णित आवेदक **सर्वश्री सुधान सिंह पुत्र सर्व श्री खुशहाल सिंह, प्रदीप सिंह पुत्र धन सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्र चन्दन सिंह, श्रीमती जानकी पत्नी सुधान सिंह, योगेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, संजय कुमार पुत्र दीनानाथ, हरीश चन्द्र पुत्र दयाकिशन, श्रीमती सरस्वती पत्नी रमेश चन्द्र, देवेन्द्र शर्मा पुत्र स्व0 दामोदर शर्मा, मोहन सिंह रावत पुत्र बटन सिंह, हफीजुरहमान पुत्र मो0 उस्मान, दीपचन्द्र पाण्डेय पुत्र अम्बादत्त पाण्डेय, नीरज कुमार पुत्र रामकुमार, हबीकुर्ररहमान पुत्र उस्मान, मो0 साजिद पुत्र अब्दुल वाहिद, रिजवान पुत्र अब्दुल रहमान, दिनेश चन्द्र छिमवाल पुत्र महेश चन्द्र, कुलदीप सिंह पुत्र गुरूदेव सिंह, अतीकुररहमान पुत्र मो0 उस्मान, रणजीत सिंह कड़ाकोटी पुत्र डी0एस0 कड़ाकोटी, इरशाद अली पुत्र अशरफ अली एवं देवेन्द्र सिंह पुत्र जयपाल सिंह** को सम्बन्धित मार्ग का एक–एक स्थाई सवारी गाड़ी परमिट 05 वर्ष की अवधि के लिए पूर्व प्रतिबन्धों, सामान्य शर्तों एवं मार्ग की दशा, प्रदूषण एवं अनाधिकृत संचालन पर रोक लगाने के उद्देश्य से स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु दो माह का समय प्रदान किया जाता है। स्वीकृत परमिट पाँच वर्ष से कम पुरानी वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किये जांय। जारी किए गये परमिट धारकों द्वारा अपनी वाहनों का संचालन मार्ग पर पूर्व से चल रही वाहनों के साथ रोटेशन से किया जायेगा और उन्हीं के समान अतिरिक्त कर जमा किया जायेगा। सभी

परमिट जारी हो जाने के पश्चात् मार्ग यूनियन को संशोधित समय–सारिणी प्रस्तुत करने एवं संशोधित समय–सारिणी को यात्रियों के सुविधार्थ प्रत्येक वाहन में चस्पा करने हेतु निर्देशित किया जाय। समय की गणना स्वीकृति पत्र के जारी होने की तिथि से की जायेगी।

संकल्प संख्या–12

मद संख्या–12 के परिशिष्ट– **'क' एवं 'ख'** में उल्लिखित समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब एवं ठेका बस परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में आवेदकों को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर मोटरकैब यूनियन के प्रतिनिधि प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए, उन्होंने प्राधिकरण को अवगत् कराया कि उक्त प्रकार की वाहनें प्राईवेट एवं सरकारी संस्थाओं से वित्त पोषित् कराकर क्रय की जाती हैं। इन वाहनों को प्राधिकरण की बैठक से परमिट जारी करने का प्रतिबन्ध होने के कारण आवेदकों को यथा समय परमिट न मिलने पर आर्थिक क्षति के साथ–साथ वाहनों के ऋण की अदायगी करने में भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस व्यवस्था से जहां अनधिकृत संचालन को बढ़ावा मिलता है वहीं राज्य को मिलने वाले राजस्व की भी हानि होती है। वाहन स्वामियों को स्थाई परमिट के अपेक्षाकृत अस्थाई परमिट प्राप्त करने में बहुत अधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। उनके द्वारा मोटरकैब, मैक्सी कैब, ठेका बस के परमिट उदारनीति से स्वीकृत/जारी करने हेतु नीति निर्धारित करने का अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर गम्भीरता से विचार विमर्श किया तथा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मद के परिशिष्ट–**'क' एवं 'ख'** में उल्लिखित सभी प्रार्थियों को निवेदित परमिट मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–80 के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली–1989 के नियम–82 एवं 85 में दी गई व्यवस्थानुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए पूर्व प्रतिबन्धों एवं सामान्य शर्तों, ठेका गाड़ी के लिए राष्ट्रीयकरण की योजनानुसार प्रतिबन्धित मार्गों को छोड़कर,

की शर्तों के साथ स्वीकृत किये जाते हैं। स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु **02** माह का समय प्रदान किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा दी गयी समयावधि समाप्त हो जाने के पश्चात स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। समय की गणना स्वीकृति पत्र में उल्लिखित तिथि से की जायेगी। **उदारनीति से उक्त प्रकार के परमिट के सम्बन्ध में नीति निर्धारण का मामला प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।**

संकल्प संख्या–13

मद संख्या–13 के परिशिष्ट– **'ग', 'घ', 'च'** में उल्लिखित समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर मोटरकैब यूनियन के प्रतिनिधि प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए, उन्होंने प्राधिकरण को अवगत् कराया कि उक्त प्रकार की वाहनें प्राईवेट एवं सरकारी संस्थाओं से वित्त पोषित् कराकर क्रय की जाती हैं। इन वाहनों को प्राधिकरण की बैठक से परमिट जारी करने का प्रतिबन्ध होने के कारण आवेदकों को यथा समय परमिट न मिलने पर आर्थिक क्षति के साथ–साथ वाहनों के ऋण की अदायगी करने में भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस व्यवस्था से जहां अनधिकृत संचालन को बढ़ावा मिलता है वहीं राज्य को मिलने वाले राजस्व की भी हानि होती है। वाहन स्वामियों को स्थाई परमिट के अपेक्षाकृत अस्थाई परमिट प्राप्त करने में बहुत अधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। उनके द्वारा मोटरकैब, मैक्सी कैब, ठेका बस के परमिट उदारनीति से स्वीकृत/जारी करने हेतु नीति निर्धारित करने का अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर गम्भीरता से विचार विमर्श किया तथा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मद के परिशिष्ट–**'ग', 'घ' 'च'** सभी प्रार्थियों एवं बैठक के दौरान प्रस्तुत किए गये आवेदकों द्वारा निवेदित परमिट मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–74 एवं 80 में दिये गये प्राविधानानुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए पूर्व प्रतिबन्धों एवं

सामान्य शर्तों, ठेका गाड़ी के लिए राष्ट्रीयकरण की योजनानुसार प्रतिबन्धित मार्गों को छोड़कर की शर्तों के प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किये जाते हैं। स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु **02** माह का समय प्रदान किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा दी गयी समयावधि समाप्त हो जाने के पश्चात स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जाऐगी। समय की गणना स्वीकृति पत्र में उल्लिखित तिथि से की जाऐगी। **उदारनीति से उक्त प्रकार के परमिट के सम्बन्ध में नीति निर्धारण का मामला प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।**

संकल्प संख्या–14

मद संख्या–14 के अन्तर्गत पंतजलि योगपीठ, महर्षि दयानन्द, हरिद्वार की वाहन संख्या–यूके08पीए–1001 को समस्त भारतवर्ष का परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में उनके प्रतिनिधि को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया।

पुकारने पर अनुपस्थित पाये गये। प्राधिकरण द्वारा मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि यद्यपि उक्त वाहन केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–128 की शर्ते पूर्ण नहीं करती है। तथापि उक्त प्रकार की 30 सीटों के अतिरिक्त 15 स्लीपर लगी वाहन को पर्यटक परमिट देने के सम्बन्ध में राज्य के पड़ोसी राज्यों (यथा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात) द्वारा क्या नीति अपनायी जा रही है, इस सम्बन्ध में स्थिति ज्ञात कर ली जाय। तद्पश्चात् को मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय। तब तक मामले को स्थगित रखा जाय।

संकल्प संख्या–15

(1) मद संख्या–15 के अन्तर्गत परिशिष्ट **'छ'** के क्रमांक**–1** में वर्णित देहरादून–विकासनगर–कुल्हाल मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट संख्या–पीएसटीपी–278, जिस पर वाहन संख्या–यूके07पीए–0501, मॉडल 2009 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में परमिट धारक श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीचंद निवासी 613, राजेन्द्र नगर, देहरादून को इस कार्यालय के पत्र संख्या–2915/एसटीए/दिनांक 31–10–2009 द्वारा धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु परमिट धारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। प्रार्थी के परमिट के विरूद्ध धारा–86 के मामले को राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30–07–2010 के मद संख्या–15(1) के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा परमिट पर संचालित वाहन के संचालन पर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रोक लगाने पर मामले को स्थगित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट पीटिशन संख्या–1188/2010 में दिनांक 08–11–2010 को अन्तिम आदेश पारित करने के उपरान्त दिनांक 27–12–2010 को परमिट मुक्त हो जाने के उपरान्त पुनः परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–3406 /एसटीए/सूचना/2011 दिनांक 15–10–2011 द्वारा प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 31–10–2011 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया, पुकारने पर प्रार्थी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये। उनके द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि जो चालान किया गया है, उस समय स्कूल की छुट्टी का समय था, यदि बच्चों को बैठने नहीं दिया जाता है, तो वे चालक, परिचालक के साथ गाली–गलौच तथा मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। इसी बीच मेरे बच्चे का हाथ कट जाने से मैं बच्चे के इलाज के लिए बाहर था। गाड़ी की देखभाल नहीं कर सका और भविष्य में उक्त प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी तथा उक्त परमिट पर यूपी07जी–3629, मॉडल 1997 लगाने की भी प्रार्थना की है।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर गम्भीरता से विचार किया गया तथा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत् रखते हुए परमिट को निलम्बन करने के बजाय परमिट संख्या–पीएसटीपी–278 के धारक से चालान का प्रशमन शुल्क **रूपया 10,000–00** की एक निश्चित राशि जमा करने हेतु सहमति प्राप्त की जाय। सहमति प्राप्त होने के दो माह के अन्दर उक्त राशि जमा की जाय। भविष्य के लिये क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने के अभियोग में चालान पाये जाने पर परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को चेतावनी दी जाय। साथ ही परमिट धारक की परेशानी के दृष्टिगत परमिट पर वाहन संख्या–यूपी07जी–3629, मॉडल 1997 प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्राधिकरण के उक्त निर्णय से सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून को भी अवगत कराया जाय।

(2) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'छ'** के क्रमांक–2 में वर्णित समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब परमिट संख्या–3306, जिस पर वाहन संख्या–यूए07डी–5303, मॉडल 2002 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु परमिट धारक श्री किशन बड़थ्वाल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र बड़थ्वाल, निवासी विंग नं0–6, 15/3 प्रेमनगर, देहरादून को कार्यालय के पत्र संख्या–2228/एसटीए/दस–18 दिनांक 05–07–2011 द्वारा पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 19–07–2011 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये उल्लेख किया है कि ***भविष्य में उक्त प्रकार की गलती नहीं करूंगा।''*** पुनः दिनांक 15–10–2011 द्वारा परमिट धारक को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31–10–2011 में उपस्थित होकर मामले की पैरवी करने हेतु निर्देशित किया गया था। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया, पुकारने पर परमिट धारक प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये। उनके द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि रास्ते में चलते समय वाहन में शिकायतकर्ता द्वारा मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। शिकायतकर्ता द्वारा मेरे साथ अभद्र व्यवहार करने पर मेरे द्वारा उनके 06 वर्षीय बच्चे का भी किराया लिया गया। प्राधिकरण द्वारा परमिट धारक एवं शिकायतकर्ता की शिकायत पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में कार्यरत चालक द्वारा परमिट शर्तों का उल्लघंन करते हुये 06 वर्षीय बच्चे के आधे किराये के स्थान पर पूरा किराया लेने के अभियोग में जो स्वयं भी चालक हैं, की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुये परमिट को निलम्बन करने के बजाय परमिट संख्या–3306 के धारक को उक्त शिकायत का प्रशमन शुल्क **रूपया 1000/–** जुर्माना निर्धारित किया जाता है। निर्धारित शुल्क जमा करने हेतु दो माह का समय दिया जाता है। भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता के सम्बन्ध में परमिट धारक को सचेत किया जाता है।

(3) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'छ'** के क्रमांक–3 में वर्णित समस्त भारतवर्ष के मोटरकैब परमिट संख्या–5571, जिस पर वाहन संख्या–यूए04डी–0358, मॉडल 2006 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु परमिट धारक श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामशरण गुप्ता, निवासी रामपुर रोड़, हल्द्वानी को कार्यालय के पत्र संख्या–1636/एसटीए/5571/ए0आई0/2010–11 दिनांक 10–06–2010 द्वारा पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर पुनः कार्यालय के पत्र संख्या–3387/एसटीए/सूचना/2011 दिनांक 15–10–2011 द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31–10–2011 में उपस्थित होकर अपने मामले की पैरवी करने के निर्देश दिये गये थे। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर अनुपस्थित पाये गये। प्राधिकरण द्वारा श्री मोहम्मद राशिद पुत्र श्री मोहम्मद इस्माईल, निवासी लेन नं0–12, आजाद नगर, हल्द्वानी के प्रार्थना पत्र एवं नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी के आदेशों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त वाहन लावारिस अवस्था में पाये जाने पर वाहन श्री मो0 राशिद पुत्र श्री मो0 इस्माईल, निवासी लेन नं0–12, आजाद नगर, हल्द्वानी को नीलाम कर देने एवं जिस उद्देश्य के लिए परमिट जारी किया गया था, उसकी पूर्ति न होने के दृष्टिगत **परमिट संख्या–5571 को निरस्त** किया जाता है। प्राधिकरण के निर्णय से कर पंजीयन अधिकारी, मोटरवाहन विभाग, हल्द्वानी को अवगत करा दिया जाय।

(4) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'छ'** के क्रमांक–4 में वर्णित समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब परमिट संख्या–6379/एसटीए/ए0आई0, जिस पर वाहन संख्या–यूके08टीए–0050, मॉडल 2007 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु परमिट धारक श्री जमियत पुत्र श्री मो0 अली, निवासी ग्रा0 सराय, ज्वालापुर, हरिद्वार को कार्यालय के पत्र संख्या–1086/एसटीए/2011 दिनांक 06–04–2011 द्वारा पंजीकृत डाक

से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर पुनः कार्यालय के पत्र संख्या–3392/एसटीए/सूचना/2011 दिनांक 15–10–2011 द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31–10–2011 में उपस्थित होकर अपने मामले की पैरवी करने के निर्देश दिये गये थे। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर परमिट धारक प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये उनके द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि भविष्य में उक्त प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा किये गये चालानों के अभियोगों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुये चालक लाईसेन्स निरस्त करने की संस्तुति के साथ परमिट संख्या–6379 के धारक से चालानों का प्रशमन शुल्क **रूपया 15,000/– निर्धारित किया जाता है।** निर्धारित धनराशि जमा करने हेतु दो माह का समय दिया जाता है। भविष्य के लिए क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने के अभियोग में चालान पाये जाने पर परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को चेतावनी दी जाय। प्राधिकरण के निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को अवगत करा दिया जाय।

(5) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'छ'** के क्रमांक–5 में वर्णित समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब परमिट संख्या–6453/एसटीए/ए0आई0, जिस पर वाहन संख्या–यूए07एस–1319, मॉडल 2007 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु परमिट धारक श्री मनोज कुमार रावत पुत्र श्री प्रभु सिंह, निवासी ग्राम खाटसा, पो0 सहिया, देहरादून को पत्र संख्या–2442/एसटीए/2011 दिनांक 27–07–2011 द्वारा पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया

गया था। परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर पुनः कार्यालय के पत्र संख्या–3390/एसटीए/सूचना/2011 दिनांक 15–10–2011 द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31–10–2011 में उपस्थित होकर अपने मामले की पैरवी करने के निर्देश दिये गये थे। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर परमिट धारक अनुपस्थित पाये गये। प्राधिकरण द्वारा थाना अध्यक्ष, कालसी एवं विकासनगर द्वारा किये गये चालानों के अभियोगों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुये परमिट को निलम्बन करने के बजाय परमिट संख्या–6453 के धारक से चालानों का प्रशमन शुल्क **रूपया 10,000/–** निर्धारित किया जाता है। निर्धारित धनराशि जमा करने हेतु दो माह का समय दिया जाता है। भविष्य के लिए क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने के अभियोग में चालान पाये जाने पर परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को चेतावनी दी जाय। प्राधिकरण के निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को अवगत करा दिया जाय।

(6) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'छ'** के क्रमांक–6 में वर्णित समस्त भारतवर्ष के मोटरकैब परमिट संख्या–9437/एसटीए/ए0आई0, जिस पर वाहन संख्या–यूके01टीए–0663, मॉडल 2010 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु परमिट धारक श्री कमल चन्द तिवारी पुत्र श्री जर्नादन तिवारी, निवासी मं0न0–41, कुलसीवी, रानीखेत, अल्मोड़ा को पत्र संख्या–2336/एसटीए/2011 दिनांक 18–07–2011 द्वारा पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर पुनः कार्यालय के पत्र संख्या–3393/एसटीए/सूचना/2011 दिनांक 15–10–2011 द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31–10–2011 में

उपस्थित होकर अपने मामले की पैरवी करने के निर्देश दिये गये थे। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर परमिट धारक अनुपस्थित पाये गये। प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तन अधिकारी, अल्मोड़ा एवं हल्द्वानी द्वारा किये गये चालानों के अभियोगों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुये परमिट को निलम्बन करने के बजाय परमिट संख्या–9437 के धारक से चालानों का प्रशमन शुल्क **रूपया 5,000/–** निर्धारित किया जाता है। निर्धारित धनराशि जमा करने हेतु दो माह का समय दिया जाता है। भविष्य के लिए क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने के अभियोग में चालान पाये जाने पर परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को चेतावनी दी जाय। प्राधिकरण के निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को अवगत करा दिया जाय।

(7) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'छ'** के क्रमांक–7 में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड के मोटरकैब परमिट संख्या–493/एसटीए, जिस पर वाहन संख्या–यूए07बी–4766, मॉडल 2002 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु परमिट धारक श्री रणजीत सिंह रौतेला पुत्र श्री दरवान सिंह, निवासी 227, दीप नगर, अजबपुरकलां, देहरादून को पत्र संख्या–2235/एसटीए/2011 दिनांक 29–07–2010 द्वारा पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर पुनः कार्यालय के पत्र संख्या–3399/एसटीए/सूचना/2011 दिनांक 15–10–2011 द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31–10–2011 में उपस्थित होकर अपने मामले की पैरवी करने के निर्देश दिये गये थे। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर परमिट धारक अनुपस्थित पाये गये। प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तन अधिकारी, पौड़ी एवं कोटद्वार द्वारा किये गये चालानों के

अभियोगों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुये परमिट को निलम्बन करने के बजाय परमिट संख्या–493 के धारक से चालानों का प्रशमन शुल्क **रूपया 5,000/–** निर्धारित किया जाता है। निर्धारित धनराशि जमा करने हेतु दो माह का समय दिया जाता है। भविष्य के लिए क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने के अभियोग में चालान पाये जाने पर परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को चेतावनी दी जाय। प्राधिकरण के निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को अवगत करा दिया जाय।

(8) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'छ'** के क्रमांक–8 में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब परमिट संख्या–581/एल0के0यू0, जिस पर वाहन संख्या–यूके07टीए–0532, मॉडल 2008 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु परमिट धारक श्री हेमराज थापा पुत्र श्री पंच बहादुर, निवासी 101 विनोद बस्ती, त्यूनी, देहरादून को पत्र संख्या–2455/एसटीए/2011 दिनांक 27–07–2011 द्वारा पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर पुनः कार्यालय के पत्र संख्या–3394/एसटीए/सूचना/2011 दिनांक 15–10–2011 द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31–10–2011 में उपस्थित होकर अपने मामले की पैरवी करने के निर्देश दिये गये थे। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर परमिट धारक प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये, उनके द्वारा प्राधिकरण को भविष्य में ओवरलोडिंग न करने की बात कही। प्राधिकरण द्वारा थाना अध्यक्ष, कालसी द्वारा किये गये चालानों के अभियोगों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने

एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुये परमिट को निलम्बन करने के बजाय परमिट संख्या–581 के धारक से चालानों का प्रशमन शुल्क **रूपया 10,000/–** निर्धारित किया जाता है। निर्धारित धनराशि जमा करने हेतु दो माह का समय दिया जाता है। भविष्य के लिए क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने के अभियोग में चालान पाये जाने पर परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को चेतावनी दी जाय। प्राधिकरण के निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को अवगत करा दिया जाय।

(9) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'छ'** के क्रमांक–9 में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब परमिट संख्या–1942/एसटीए, जिस पर वाहन संख्या–यूए08ई–9322, मॉडल 2005 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु परमिट धारक श्री मगन गिरी पुत्र श्री शीतल गिरी, निवासी ग्रा0 व पो0 दौलतपुर, जिला हरिद्वार को पत्र संख्या–2454/एसटीए/2011 दिनांक 27–07–2011 द्वारा पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर पुनः कार्यालय के पत्र संख्या–3391/एसटीए/सूचना/2011 दिनांक 15–10–2011 द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31–10–2011 में उपस्थित होकर अपने मामले की पैरवी करने के निर्देश दिये गये थे। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर परमिट धारक प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये, उनके द्वारा वाहन में जबरन स्कूल के बच्चे बैठ गये थे। भविष्य में ओवरलोडिंग न करने की बात कही। प्राधिकरण द्वारा पुलिस अधीक्षक, यातायात, देहरादून द्वारा किये गये चालानों के अभियोगों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुये परमिट को निलम्बन करने के बजाय परमिट

संख्या–1942 के धारक से चालानों का प्रशमन शुल्क **रूपया 10,000/–** निर्धारित किया जाता है। निर्धारित धनराशि जमा करने हेतु दो माह का समय दिया जाता है। भविष्य के लिए क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने के अभियोग में चालान पाये जाने पर परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को चेतावनी दी जाय। प्राधिकरण के निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को अवगत करा दिया जाय।

(10) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'छ'** के क्रमांक–10 में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब परमिट संख्या–2603/एसटीए, जिस पर वाहन संख्या–यूए12–7351, मॉडल 2006 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु परमिट धारक श्री विनोद ध्यानी पुत्र श्री शिवानन्द ध्यानी, निवासी शिबू नगर, कोटद्वार, पौड़ी गढवाल को पत्र संख्या–31/एसटीए दिनांक 04–01–2011 द्वारा पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। परमिट धारक द्वारा दिनांक 02–09–2011 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक न होने के कारण परमिट समाप्त हो जाने पर वाहन खड़ी किये जाने का उल्लेख किया है। परमिट धारक को पुनः कार्यालय के पत्र संख्या–3393/एसटीए/सूचना/2011 दिनांक 15–10–2011 द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31–10–2011 में उपस्थित होकर अपने मामले की पैरवी करने के निर्देश दिये गये थे। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर परमिट धारक प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये, उनके द्वारा प्राधिकरण को भविष्य में क्षमता से अधिक सवारी न ले जाने की बात कही। प्राधिकरण द्वारा उपजिलाधिकारी, चौबट्टाखाल एवं प्रवर्तन अधिकारी, पौड़ी द्वारा किये गये चालानों के अभियोगों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को

दृष्टिगत रखते हुये परमिट को निलम्बन करने के बजाय परमिट संख्या–2603 के धारक से चालानों का प्रशमन शुल्क **रूपया 10,000/–** निर्धारित किया जाता है। क्षमता से अधिक सवारी ले जाने के अभियोग में चालान की तिथियों में कार्यरत चालक का चालक लाईसेन्स निरस्तीकरण हेतु सम्बन्धित लाईसेसिंग अधिकारी को भेजा जाय तथा वाहन के परमिट को 15 दिन के लिए निलम्बित किया जाय। उक्त निर्धारित धनराशि जमा करने हेतु दो माह का समय दिया जाता है। भविष्य के लिए क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने के अभियोग में चालान पाये जाने पर परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को चेतावनी दी जाय। प्राधिकरण के निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को अवगत करा दिया जाय।

(11) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'छ'** के क्रमांक–11 में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब परमिट संख्या–3120/एसटीए, जिस पर वाहन संख्या–यूए12–8266, मॉडल 2007 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु परमिट धारक श्री खुशाल सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी सुबेदार मौहल्ला, लैन्सडौन, पौड़ी गढ़वाल को पत्र संख्या–461/एसटीए दिनांक 11–02–2011 द्वारा पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर पुनः कार्यालय के पत्र संख्या–3398/एसटीए/सूचना/2011 दिनांक 15–10–2011 द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31–10–2011 में उपस्थित होकर अपने मामले की पैरवी करने के निर्देश दिये गये थे। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर परमिट धारक अनुपस्थित पाये गये। प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तन अधिकारी, पौड़ी एवं कोटद्वार द्वारा किये गये चालानों के अभियोगों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के

साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए परमिट को निलम्बन करने के बजाय परमिट संख्या–3120 के धारक से चालानों का प्रशमन शुल्क **रूपया 5,000/–** निर्धारित किया जाता है। चालानिंग अधिकारी द्वारा चालक के लाईसेन्स के विरूद्ध निलम्बन की संस्तुति की गयी है। चालक के लाईसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित लाईसेन्सिग अधिकारी को निर्देशित किया जाय। उक्त निर्धारित धनराशि जमा करने हेतु दो माह का समय दिया जाता है। भविष्य के लिए क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने के अभियोग में चालान पाये जाने पर परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को चेतावनी दी जाय। प्राधिकरण के निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को अवगत करा दिया जाय।

(12) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'छ'** के क्रमांक–12 में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब परमिट संख्या–3276/एसटीए, जिस पर वाहन संख्या–यूए10–4941, मॉडल 2007 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु परमिट धारक श्री यशवन्त सिंह परमार पुत्र श्री फुलेन्द्र सिंह, निवासी खुरमोला, ब्रहमखाल, उत्तरकाशी को पत्र संख्या–3317/एसटीए दिनांक 19–10–2010 द्वारा पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर पुनः कार्यालय के पत्र संख्या–3388/एसटीए/सूचना/2011 दिनांक 15–10–2011 द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31–10–2011 में उपस्थित होकर अपने मामले की पैरवी करने के निर्देश दिये गये थे। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर परमिट धारक अनुपस्थित पाये गये। प्राधिकरण द्वारा उप जिलाधिकारी, डुण्डा की मजिस्ट्रीयल जांच आख्या का अवलोकन किया गया। जांच आख्या में क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने के कारण दुर्घटना में हुई जान–माल की हानि एवं परमिट शर्तों के उल्लघंन के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए **परमिट**

संख्या–3276 को निरस्त किया जाता है। निरस्त परमिट के सम्बन्ध में प्रदेश के प्रवर्तन/पुलिस अधिकारियों को सूचित करते हुए परमिट धारक से निरस्त परमिट जमा कराया जाय। प्राधिकरण के निर्णय से सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी को अवगत कराया जाय।

(13) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'छ'** के क्रमांक–13 में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब परमिट संख्या–2397/एसटीए, जिस पर वाहन संख्या–यूए12ए–2580, मॉडल 2007 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु परमिट धारक श्री भारत भूषण बिष्ट पुत्र श्री मंगल सिंह, निवासी ग्रा0 व पो0 अगरोड़ा, जिला पौड़ी गढवाल को पत्र संख्या–922/एसटीए/2011 दिनांक 17–03–2011 द्वारा पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर पुनः कार्यालय के पत्र संख्या–3396/एसटीए/सूचना/2011 दिनांक 15–10–2011 द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31–10–2011 में उपस्थित होकर अपने मामले की पैरवी करने के निर्देश दिये गये थे। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर परमिट धारक अनुपस्थित पाये गये। प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तन अधिकारी, पौड़ी द्वारा किये गये चालानों के अभियोगों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए परमिट को निलम्बन करने के बजाय परमिट संख्या–2397 के धारक से चालानों का प्रशमन शुल्क **रूपया 5,000/–** निर्धारित किया जाता है। चालानिंग अधिकारी द्वारा चालक के लाईसेन्स के विरूद्ध निलम्बन की संस्तुति की गयी है। अतः चालक के लाईसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित लाईसेन्सिग अधिकारी को प्रेषित किया जाय। उक्त निर्धारित

धनराशि जमा करने हेतु दो माह का समय दिया जाता है। भविष्य के लिए क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने के अभियोग में चालान पाये जाने पर परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को चेतावनी दी जाय। प्राधिकरण के निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को अवगत करा दिया जाय।

(14) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'छ'** के क्रमांक–14 में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब परमिट संख्या–3718/एसटीए, जिस पर वाहन संख्या–यूए07एस–1536, मॉडल 2007 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु परमिट धारक श्री शेर सिंह राणा पुत्र श्री चतर सिंह राणा, निवासी 200, वाणी विहार, रायपुर, जिला देहरादून को पत्र संख्या–1319/एसटीए/2011 दिनांक 27–04–2011 द्वारा पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर पुनः कार्यालय के पत्र संख्या–3397/एसटीए/सूचना/2011 दिनांक 15–10–2011 द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31–10–2011 में उपस्थित होकर अपने मामले की पैरवी करने के निर्देश दिये गये थे। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर परमिट धारक अनुपस्थित पाये गये। प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तन अधिकारी, देहरादून द्वारा किये गये चालानों के अभियोगों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए परमिट को निलम्बन करने के बजाय परमिट संख्या–3718 के धारक से चालानों का प्रशमन शुल्क **रूपया 5,000/–** निर्धारित किया जाता है। उक्त निर्धारित धनराशि जमा करने हेतु दो माह का समय दिया जाता है। भविष्य के लिए

क्षमता से अधिक सवारी ढोये जाने के अभियोग में चालान पाये जाने पर परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को चेतावनी दी जाय। प्राधिकरण के निर्णय से प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों को अवगत करा दिया जाय।

(15) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'छ'** के क्रमांक–14 में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब परमिट संख्या–4921/एसटीए, जिस पर वाहन संख्या–यूके03टीए–0074, मॉडल 2008 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु परमिट धारक श्री हीरा सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी डुगरलेटी, लोहाघाट, जिला चम्पावत को पत्र संख्या–3316/एसटीए/2011 दिनांक 19–10–2010 द्वारा पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर पुनः कार्यालय के पत्र संख्या–3386/एसटीए/सूचना/2011 दिनांक 15–10–2011 द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31–10–2011 में उपस्थित होकर अपने मामले की पैरवी करने के निर्देश दिये गये थे। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर परमिट धारक अनुपस्थित पाये गये। प्राधिकरण द्वारा वाहन में 10 व्यक्तियों की मृत्यु व 06 व्यक्ति घायल हो जाने के कारण क्षमता से अधिक सवारी ले जाने पर हुई जान माल की हानि के दृष्टिगत उप जिलाधिकारी, लोहाघाट की मजिस्ट्रीयल जांच आख्या का अवलोकन किया गया। जांच आख्या में दुर्घटना का कारण ओवरलोडिंग होना पाया गया। प्राधिकरण द्वारा मामले पर गम्भीरता से विचार करते हुए परमिट शर्तों का उल्लघंन करने एवं दुर्घटना में हुई जान–माल की हानि को देखते हुए चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए **परमिट संख्या–4921 को निरस्त** किया जाता है। चालक के लाईसेन्स के विरूद्ध निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित लाईसेन्सिग अधिकारी को निर्देशित किया जाय। परमिट निरस्तीकरण के सम्बन्ध में प्रदेश के प्रवर्तन/पुलिस अधिकारियों

को सूचित करते हुए परमिट धारक से निरस्त परमिट जमा कराया जाय। प्राधिकरण के निर्णय से सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग को अवगत कराया जाय।

(16) मद संख्या–15 के परिशिष्ट **'छ'** के क्रमांक–16 में वर्णित समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब परमिट संख्या–5010, जिस पर वाहन संख्या–यूके10टीए–0109, मॉडल 2009 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु परमिट धारक श्री चरण सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह, निवासी ग्राम डिंगारी, पो0 सरनाल, उत्तरकाशी को कार्यालय के पत्र संख्या–2449/एसटीए दिनांक 19–08–2010 द्वारा पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। परमिट धारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर पुनः कार्यालय के पत्र संख्या–3400/एसटीए/सूचना/2011 दिनांक 15–10–2011 द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31–10–2011 में उपस्थित होकर अपने मामले की पैरवी करने के निर्देश दिये गये थे। बैठक के दौरान परमिट धारक को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर परमिट धारक अनुपस्थित पाये गये। प्राधिकरण द्वारा उप जिलाधिकारी, पुरोला एवं तहसीलदार, पुरोला द्वारा किये गये चालानों पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त वाहन में 10 के स्थान पर 36 सवारी ढोने जिसमें से 12 सवारी वाहन के दरवाजे पर बैठे होने तथा चालक वाहन भगा ले जाने के कारण वाहन में ओवरलोडिंग की बार–बार पुनरावृत्ति करने, अधिक सवारी ढोये जाने से सम्भावित दुर्घटना से जान–माल की हानि एवं परमिट शर्तों के उल्लघंन के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए **परमिट संख्या–5010 को निरस्त** करते हुऐ चालान की तिथि में वाहन में कार्यरत चालक लाईसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही हेतु सम्बन्धित लाईसेन्सिग अधिकारी को निर्देशित किया जाय।

अन्य संकल्प संख्या–16 (1)

अन्य मद संख्या–16(1) मोटरकैब, मैक्सी कैब वाहनों की मॉडल सीमा पूर्व की भांति 15 वर्ष करने सम्बन्धी मामले को प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। गढ़वाल टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर अनुपस्थित पाये जाने पर मामले को अगली बैठक के लिए स्थगित किया जाता है।

अन्य संकल्प संख्या– (2)

अन्य मद संख्या–16(2) प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा पुकारा गया। पुकारने पर आवेदक उपस्थित नहीं हुए। प्राधिकरण द्वारा मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–85 का अवलोकन किया गया। इस नियम के उप नियम (7) में मोटरकैब से भिन्न पर्यटन यान के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था है :–

"The tourist vehicle shall be painted in white colour with blue ribbon of five centimetres width at the centre of the exterior of the body and the word "Tourist" shall be inserted on two sides of the vichile within a circle of sixty centimetres diameter."

आवेदक द्वारा वाहन संख्या–यूए08डी–9974, मॉडल 2005 है एवं रंग लाल है। उक्त वाहन मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–85 के उप नियम (7) का पालन नहीं करती है। आवेदक द्वारा उक्त वाहन के अधिकार पत्र के नवीनीकरण हेतु अनुरोध किया गया है और इस वाहन को परमिट की वैधता दिनांक 11–07–2015 तक है। आवेदक के अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि जिन वाहनों को परमिट पूर्व में जारी किये गये हैं और वे वैध हैं, ऐसे वाहन स्वामियों को मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–85 के उप नियम (7) की शर्तो का अनुपालन करने हेतु वाहन सफेद रंग में रंगी जानी है पर रंग करने हेतु छः माह का समय प्रदान किया जाता है। वर्तमान में वाहन

स्वामी की वाहन लाल रंग की है। इस पर वाहन स्वामी द्वारा 7 से0मी0 सर्किल के भीतर यान के दोनों ओर ''पर्यटक'' शब्द लिखा जायेगा तथा अधिकार पत्र का नवीनीकरण भी उक्त शर्तों के अधीन किया जाय। वाहन डीलरों को इस आशय का पत्र भेजा जाय की व्यवसायिक के रूप में वाहन मैक्सी कैब (ओमनी बस) की दशा में मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–85 (7) एवं मोटर कैब की दशा में 85 क(1) के अनुरूप होने पर ही विक्रय करने हेतु निर्देशित किया जाय। प्राधिकरण के उक्त निर्णय से सर्व सम्बन्धित के सूचनार्थ समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय तथा प्रदेश के परिवहन अधिकारियों को उक्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

अन्य संकल्प संख्या– (3)

अन्य मद संख्या–16 (3) प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा पुकारा गया। पुकारने पर आवेदक उपस्थित नहीं हुए। उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा समस्त भारतवर्ष के मोटरकैब, मैक्सी कैब परमिटों पर संचालित वाहनों को परमिट जारी करने की तिथि से 05 वर्ष तक निजी वाहन के रूप में परिवर्तन की अनुमति नहीं दिये जाने की शर्त अधिरोपित की गयी थी। वर्तमान में उक्त शर्त उत्तराखण्ड राज्य में यथावत लागू है। आवेदक श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामशरण को मोटरकैब परमिट संख्या–11285 स्वीकृत किया गया था और इस परमिट पर वाहन संख्या–यूके08टीए–2372, मॉडल 2010 संचालित है और वाहन का परमिट दिनांक 27–01–2016 तक सम्पूर्ण भारतवर्ष हेतु वैध है। इस परमिट पर उपरोक्त शर्त अधिरोपित की गयी है। राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष इस सम्बन्ध में ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है कि वर्तमान में मोटरकैब वाहनों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट नहीं दी जा रही है, जिससे उपरोक्त शर्त को मोटरकैब, मैक्सी कैब वाहनों के परमिटों से हटाया जाना उचित नहीं है।

अतः राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री धर्मेन्द्र सिंह के आवेदन को निरस्त किया जाता है।

अन्य संकल्प संख्या– (4)

अन्य मद संख्या–16 (4) प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा पुकारा गया। पुकारने पर श्री एस0के0 श्रीवास्तव प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया है कि उन्हें मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या–1499/एम0एस0/2007, संख्या–1547/एम0एस0/2007, संख्या–1618 /एम0एस0/2007 में पारित आदेश दिनांक 18–12–2008 में देहरादून से पौंटा वाया विकासनगर मार्ग का स्थायी सवारी गाड़ी परमिट स्वीकार किया गया है। उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा उपरोक्त रिट में पारित आदेश दिनांक 18–12–2008 के अनुपालन में देहरादून से पौंटा वाया विकासनगर मार्ग पर परमिट जारी करने का अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–102 के अन्तर्गत देहरादून से प्रेमनगर मार्ग का भाग उपान्तरित कर लिया गया है, जिससे उपरोक्त मार्ग भाग राष्ट्रीयकृत मार्ग का भाग नहीं रह गया है। देहरादून–पौंटा साहिब वाया डाकपत्थर मार्ग पर स्थायी सवारी गाड़ी परमिट हेतु प्रार्थना पत्र सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03–01–2004 में दोनों राज्यों की निगम की बसें पर्याप्त मात्रा में चलने एवं मार्ग पर प्रार्थना पत्र आमंत्रित न करने के कारण प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत किया गया है। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के उक्त तिथि में निर्गत आदेशों के विरूद्ध राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, देहरादून के समक्ष अपील संख्या–9/2004 दायर की गयी। जिसमें राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 09–04–2007 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये :–

''अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी का स्थायी सवारी गाड़ी परमिट का प्रार्थना पत्र, जो देहरादून–पौंटा साहिब वाया विकासनगर मार्ग का है, स्वीकृत किया जाता है, लेकिन प्रतिबन्ध यह है, कि अपीलार्थी के

विधिसम्मत आदेश पर कुल्हाल से पौंटा साहिब तक 1 किलोमीटर तक का मार्ग जो हिमाचल राज्य की सीमा में पड़ है, मोटरयान अधिनियम–1988 में दी गयी विधि व्यवस्था के तहत हिमाचल राज्य के प्रतिहस्ताक्षर के अधीन होगा।''

देहरादून से पौंटा साहिब वाया विकासनगर मार्ग अन्तर्राज्यीय मार्ग है। इस मार्ग का कुल्हाल से पौंटा साहिब तक का भाग हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मार्ग अन्तर्राज्यीय होने व उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के मध्य पारस्परिक परिवहन करार नहीं होने के कारण अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेशों के विरूद्ध पुनर्विचार रिट याचिका दायर करने हेतु निर्देशित किया गया था। अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण के उक्त आदेशों के क्रम में पूर्ण स्थिति से अवगत् कराते हुए मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका दायर करने हेतु शासन से अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। शासन द्वारा शासनादेश संख्या–68/ix/रिट/2007 दिनांक 31–07–2007 के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर विभाग द्वारा रिट याचिका संख्या–1499/(एम/एस)/2007 दायर की गयी थी। राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 09–04–2007 के विरूद्ध उत्तराखण्ड रोड़वेज द्वारा भी रिट याचिका संख्या–1618/एम0एस0/2007 दायर की गयी तथा याचिकाकर्ता श्री श्रीवास्तव द्वारा भी मा0 राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेशों का अनुपालन न करने के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–1499/एम0एस0/2007 दायर की गयी थी। उपरोक्त तीनों याचिकाओं का एक साथ निस्तारण करते हुए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18–12–2008 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये थे :–

X X X

The aforesaid direction of the State Transport Appellate Tribunal contained in the aforesaid order 09.04.2007 cannot run counter to the express, specific and binding provisions of law contained in sub-section (1) and sub-section (5) of Section 88 of Motor Vehicles Act, 1988. The State Government or the

State Transport Authority or the Regional Transport Authority concerned in the State of Uttarakhand cannot be, therefore, compelled to act in violation of the aforesaid provisions of law.

After hearing the detailed arguments of the learned counsel for the parties, I dispose of all the three petitions by directing the State Transport Authority, Uttarakhand to take all possible steps immediately and without any delay for issuing route permit for "Dehradun-Ponta Saheb via Vikasnagar" Route in favour of S.K. Srivastava, this of course being subject to the fulfillment and compliance of all formalities as well as all requirements of law as enshrined and contemplated in the aforesaid sub-section (1) and sub-section (5) of section 88 of 1988 Act. The compliance with the aforesaid requirements of law is mendatory as well as binding.

All pending applications in all the three writ petitions shall stand disposed of.

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मामले को राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 28–02–2009 के मद संख्या–8 में प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये गये :–

X **X** **X**

''अतः मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–88 की उपधारा–(1) व (5) में वर्णित प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत् अर्न्तराज्यीय मार्ग पर श्री एस0के0 श्रीवास्तव के पक्ष में करने के लिए हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य पारस्परिक परिवहन करार को शीघ्रताशीघ्र अन्तिम रूप जाने हेतु शासन से तुरन्त अनुरोध किया जाय जिससे कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के किया जा सके।

प्रश्नगत मार्ग हेतु अनुपूरक मद संख्या–02 में वर्णित आवेदक प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए एवं प्राधिकरण उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक ही परमिट स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

सुनवाई के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि श्री एस0के0 श्रीवास्तव के पक्ष प्रश्नगत् मार्ग पर देहरादून–कुल्हाल उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक (हिमाचल राज्य के मार्ग भाग को छोड़कर) पू प्रतिबन्धों एवं सामान्य शर्तों के साथ स्थायी सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत परमिट केवल 05 वर्ष तक की आयु सीमा की वाहन को अनुमन्य होगा। निजी मंजिली गाड़ियों के विषय में हिमाचल प्रदेश से उत्तराखण्ड के

परिवहन करार के पश्चात् मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए श्री एस0के0 श्रीवास्तव के मामले को राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में रखा जाय।''

X X X

उक्त आदेशों के अनुपालन में श्री एस0के0 श्रीवास्तव द्वारा देहरादून से पौंटा वाया कुल्हाल मार्ग का (उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक) स्थायी सवारी गाड़ी परमिट प्राप्त कर लिया गया है तथा मूल प्रार्थना पत्र पर आवेदित मार्ग कुल्हाल से पौंटा की प्रार्थना को सुरक्षित रखा गया था।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य के मध्य पारस्परिक परिवहन करार दिनांक 19–10–2011 को सम्पादित हो चुका है। करार का प्रकाशन शासन की अधिसूचना संख्या–255/ix/2011/526/2003 दिनांक 19–10–2011 द्वारा सरकारी गजट एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए, इस परिवहन करार को दिनांक 25–10–2011 से लागू किया गया है। इस पारस्परिक परिवहन करार में निजी संचालकों की मंजिली गाड़ियों को संचालन की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था नहीं की गयी है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त आवेदक श्री एस0के0 श्रीवास्तव के परमिट के मूल आवेदन पत्र में उल्लिखित देहरादून से पौंटा साहिब वाया विकासनगर–डाकपत्थर मार्ग की कुल्हाल से पौंटा (हिमाचल प्रदेश) तक की प्रार्थना को पारस्परिक परिवहन करार में निजी संचालकों की मंजिली गाड़ियों को संचालन की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था न होने के आधार पर निरस्त किया जाता है। श्री श्रीवास्तव को राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28–02–2009 के मद संख्या–8 में देहरादून से कुल्हाल तक एक स्थाई सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत किया गया है। इस परमिट को यथावत रखा जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त अनुपूरक मद संख्या–2 में स्वीकृत/जारी किये गये देहरादून–कुल्हाल वाया विकासनगर मार्ग के 17 परमिट धारकों की भी कुल्हाल से पौंटा तक की प्रार्थना को दोनों राज्यों के मध्य दिनांक

19–10–2011 को बनी अन्तिम सहमति में निजी संचालको की मंजिली गाड़ियों को संचालन की अनुमति नहीं दिये जाने के आधार पर निरस्त किया जाता है तथा देहरादून से कुल्हाल वाया विकासनगर (उत्तराखण्ड राज्य तक की सीमा तक) तक स्वीकृत परमिटों को यथावत रखा जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि देहरादून–कुल्हाल वाया विकासनगर (उत्तराखण्ड राज्य तक की सीमा तक) मार्ग निर्धारण करने की कार्यवाही की जाय, मार्ग निर्धारण हो जाने पर प्रश्नगत मार्ग को सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून को हस्तान्तरित कर दिया जाय।

अन्य संकल्प संख्या–(5)

अन्य मद संख्या–16 (5) के अन्तर्गत देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के लम्बित परमिटों के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में मार्ग के परमिट धारक श्री अतुल सिंघल प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि पूर्व में उक्त मार्ग के परमिटों के नवीनीकरण किये जा रहे थे, परन्तु श्री जमशेद अली द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में स्पेशल अपील संख्या–201/2009 दायर की गयी है। उस अपील में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 26–10–2009 को नये परमिट जारी करने पर रोक लगायी गयी है न कि नवीनीकरण करने के लिए। उनके द्वारा पूर्व की भांति लम्बित परमिटों के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए परमिटों का नवीनीकरण करने की बात कही गयी है। प्राधिकरण द्वारा श्री सिंघल के तर्क को सुना गया तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का संज्ञान लेते हुए सम्यक् विचारोपरान्त मामले को अगली बैठक तक के लिए स्थगित किया जाता है।

अन्य संकल्प संख्या–(6)

अन्य मद संख्या–16 (6) के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 की उपधारा (6) में दिये गये प्राविधानानुसार हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य पारस्परिक परिवहन करार को लागू करने के सम्बन्ध में दोनों राज्यों के मध्य बनी सहमति के क्रम में शासन की अधिसूचना संख्या–255/ix/2011/526/2003 दिनांक 19–10–2011 को अंगीकृत किया जाता है। उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–57 (1) में परिवहन प्राधिकारियों द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन करने हेतु निम्न व्यवस्था की गयी है :–

"A State or a Regional Transport Authority may, by general or special resolution recorded in its proceedings and subject to such conditions as may be specified in the resolution, delegate -

(1) to its Secretary and in the case of State Transport Authority to Assistant Transport Commissioner (Administration), and in the case of a Regional Transport Authority to any Assistant Regional Transport Officer of the Region concrned, power to grant, refuse, renew or transfer the permits of stage carriage, contract carriage, private service vehicles or goods carriages."

X *X*

X

उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत दोनों राज्यों के मध्य हुई सहमति के अनुसार अपने सचिव को राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी, प्राईवेट सेवायान, मालयानों के परमिटों को जारी/प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकरण की नियमित बैठक में अनुमोदन की शर्त पर अधिकार प्रदत्त किये जाते हैं।

अन्य संकल्प संख्या–(7)

अन्य मद संख्या–16 (7) को प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा पुकारा गया। पुकारने पर मैक्सी/मोटर कैब के परमिट धारक प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने प्राधिकरण को अवगत कराया कि परमिट हस्तान्तरण के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पूर्व में क्रेता एवं विक्रेता दोनों पक्षों को प्राधिकरण के कार्यालय में उपस्थित होने की शर्त अधिरोपित की गयी है। परमिट धारकों द्वारा सुदूर क्षेत्रों से प्राधिकरण के कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता है, जिससे उन्हें कठिनाईयां उत्पन्न हो रहीं हैं। उनके द्वारा उपरोक्त शर्त में संशोधन करने की प्रार्थना की गयी है। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15–11–2002 की बैठक में मोटर/मैक्सी कैब के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्त लगायी गयी है :–

''उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी नियमावली, 1998 के नियम–87(4) में दिये गये प्राविधानानुसार विधिक बाधा न हा
दोनों पक्षों के उपस्थित होने तथा आवश्यक पूछताछ कर एवं दोनों पक्षों से शपथपत्र फोटो सहित प्राप्
कर दिया जाय।''

उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात् परिवहन विभाग के कार्यालय सभी जिलों में स्थापित हो चुके हैं। सभी जिलों में स्थापित वाहनों के पंजीकरण की कार्यवाही हो रही है। प्राधिकरण द्वारा वाहन स्वामियों की कठिनाईयों के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15–11–2002 की बैठक के मद संख्या–19 के अन्तर्गत मोटरकैब, मैक्सी कैब परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में अधिरोपित शर्त पर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–74 की उपधारा–2 के खण्ड (9) (क) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त शर्त में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :–

''उत्तर प्रदेश मोटरगाडी नियमावली, 1998 के नियम–87(4) में दिये गये प्राविधानानुसार विधिक बाधा न हो
दोनों पक्षो को सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी, मोटरवाहन विभाग के कार्यालय में उपस्थित होने तथा सम्बन्धि
द्वारा आवश्यक पूछताछ एवं दोनों पक्षों से शपथपत्र फोटो सहित सत्यापित करते हुए *राज्य परिवहन प्राधिकरण के*

कार्यालय में परमिट हस्तान्तरण हेतु संस्तुति करने पर हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जाय तथा हस्तान्तरण के म
पर प्राधिकरण की नियमित बैठक में अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

प्राधिकरण के उक्त आदेशों से प्रदेश के सभी पंजीयन अधिकारी, मोटरवाहन विभाग को अवगत करा दिया जाय।

अन्य संकल्प संख्या–(8)

बैठक के दौरान प्राधिकरण के समक्ष दून ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष श्री पंकज अरोड़ा उपस्थित हुए, उनके द्वारा एक प्रत्यावेदन दिया गया। श्री अरोड़ा द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि राज्य परिवहन प्राधिकरण ने ऑटो चालकों की किराये दर 7/– रूपये प्रति कि0मी0 तय की गयी है जो बहुत कम है। असल में बढ़ती मंहगाई में प्रति कि0मी0 एल0पी0जी0 में 7.27 रूपये, डीजल ऑटो में 6.29 रूपये, पेट्रोल ऑटो में 8.57 प्रति कि0मी0 पर सवारी हमें पड़ रही है। इनके द्वारा ऑटो की तुलनात्मक तालिका प्रस्तुत की गयी है। प्राधिकरण द्वारा इनके तर्कों को सुना गया और सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्य श्री राकेश गोयल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया जाता है। समिति में श्री दिनेश पठोई, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून एवं ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष सदस्य होंगे। उक्त समिति द्वारा ऑटो रिक्शा वाहनों के यात्री किराये के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करते हुए, अपनी आख्या 10 दिन के अन्दर उपलब्ध करायेंगे। उनकी संस्तुति/आख्या को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राधिकरण के सदस्यों एवं वाहन स्वामियों का आभार व्यक्त करते हुए बैठक समाप्त की गयी तथा **प्राधिकरण की आगामी बैठक की तिथि 05–12–2011 निर्धारित की गयी।**

(श्री राकेश गोयल)
सदस्य

(श्री हरीश पन्त)
सदस्य

(ललित मोहन)
सदस्य।

(प्रेम सिंह खिमाल)
सदस्य।

(श्री आर0सी0पाठक)
अध्यक्ष।